महानगर नई दिल्ली सोमवार 23 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

एनआरसी कैबिनेट में आया न संसद में : मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, फैलाया जा रहा झूठ का हौवा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देशभर में जारी प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा कि विपक्ष झूठ फैलाकर मुसलमानों को भ्रमित कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, उनसे नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का ही कोई लेना-देना नहीं है। मोदी ने कहा कि एनआरसी हमने तो बनाया नहीं, कैबिनेट में आया नहीं, संसद में आया नहीं। झूठ का हौवा खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने गरीबों की भलाई की योजनाओं में लाभार्थी चुनते समय कभी कागजों की बंदिशें नहीं लगाई।

> “विपक्ष की साजिशों के बावजूद वे देश की एकता के लिए, शांति और सद्भाव के लिए कार्य करने से पीछे नहीं हटेंगे।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष की साजिशों के बावजूद वे देश की एकता के लिए, शांति और सद्भाव के लिए कार्य करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने स्वार्थ व राजनीति के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये बीते सप्ताह सामने आया है। विपक्ष ने अपने बयान, झूठे वीडियो, उकसाने वाली बातों को उच्च स्तर पर बैठे बाकी पेज 8 पर

कांग्रेस और उसके साथी, शहरों में रहने वाले कुछ पढ़े लिखे नक्सली-अर्बन नक्सल, ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। कुछ तो अपनी शिक्षा की कद्र करिए। एक बार पढ़ तो लीजिए नागरिकता संशोधन एक्ट है क्या?

कांग्रेस और शहरी नक्सलियों द्वारा डिटेंशन सेंटर की अफवाह उड़ाई गई है जो झूठ है। जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, उनका नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों से ही कोई लेना-देना नहीं है।

दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को रैली के दौरान बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। *अरुष चोपड़ा*

‘कांग्रेस और उसके सहयोगी तिलमिलाए हुए हैं’

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी इस बात से तिलमिलाए हुए हैं कि आखिर क्यों एनडीए सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुसलिम बहुल देशों में समर्थन मिलता है। अफगानिस्तान, फलस्तीन, सऊदी अरब, यूएई, मालदीव, बहरीन जैसे देशों ने भारत को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि बीते पांच साल में मुसलिम देशों ने जितनी संख्या में भारतीय कैदियों को छोड़ा है, वो अप्रत्याशित है।

‘70 साल पुराने वादे को पूरा किया’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू व सिखों को जब भी लगे कि भारत आना चाहिए, उनका भारत में स्वागत है। उनके आदर्शों के अनुरूप ही सरकार ने 70 साल पुराने वादे को पूरा किया है, तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है।

नागरिकता कानून : मुंबई, पुणे में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

नागरिकता कानून को लेकर कई राज्यों में हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कुछ नई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन किसी अप्रिय वारदात की सूचना नहीं है।

रविवार को मुंबई के धारावी में हजारों लोगों ने नागरिकता कानून (सीएए) और दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। पुणे में भी छात्रों ने सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण मार्च निकाला। नागपुर में शनिवार को लोग सड़कों पर उतरे।

> *रविवार* को मुंबई के धारावी में हजारों लोगों ने नागरिकता कानून (सीएए) और दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया।

मुंबई के धारावी में 90 फीट रोड पर लोगों ने विरोध मार्च में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में सीएए और भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) बनाने के दावों के विरोध में लिखी हुई तख्तियां लिए हुए थे। मलाड के मालवानी में लोगों ने मुंबई पुलिस के समर्थन में नारे लगाए।

पुणे में युवाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। फर्ग्युसन कॉलेज के नजदीक गुडलक चौक के पास युवक क्रांति दल, पेशेवर कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों ने रविवार दोपहर को प्रदर्शन किया। उनके हाथों बाकी पेज 8 पर

यूपी हिंसा में अब तक 18 की मौत, मेरठ-कानपुर में दो घायलों ने तोड़ा दम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में घायलों में से दो लोगों की रविवार को मौत हो गई। कानपुर और मेरठ में एक-एक व्यक्ति की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। मेरठ में कुल पांच लोग मारे गए हैं। इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में हुए प्रदर्शनों में ‘बाहरी तत्वों’ का हाथ होने का दावा किया है।

> *उत्तर प्रदेश* पुलिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक रविवार को पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही और सामान्य जनजीवन सुचारू रूप से चल रहा है।

उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने रविवार को कहा कि पीएफआइ और सिमी से जुड़े छह लोगों को पश्चिम बंगाल के मालदा गिरफ्तार किया गया है। यूपी के विभिन्न हिस्सों में फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बंद है। ‘सोशल मीडिया लैब’ लगातार भड़काऊ पोस्ट पर नजर रख रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे राज्य में हालात नियंत्रण में होने का दावा किया है।

मेरठ में मरने वालों की पहचान मोहसिन, आसिफ, जहीर, आलिम और दिल्ली के आसिफ के रूप में की गई है। आइजी आलोक सिंह ने इन मौतों की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मेरठ में शुक्रवार को हुई हिंसा में 35 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इन मामलों में अभी तब 102 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकियों की शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

पुलिस ने हालात नियंत्रण में होने का दावा किया, इंटरनेट पर रोक जारी

दिनेश शर्मा का दावा, हिंसा में बाहरी तत्वों का हाथ, बंगाल से सिमी के छह सदस्य पकड़े गए

कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने बताया बाकी पेज 8 पर

एफएटीएफ ने पाकिस्तान से पूछे 150 नए सवाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

आतंक के लिए वित्तपोषण के सवाल पर पाकिस्तान को राहत नहीं मिलती दिख रही। पाकिस्तान ने कुछ हफ्ते पहले पेरिस स्थित निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) को एक रिपोर्ट सौंप कर आतंकवाद और धन शोधन पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी थी। इस पर असंतोष जाहिर करते हुए एफएटीएफ ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर पाकिस्तान से और अधिक स्पष्टीकरण बाकी पेज 8 पर

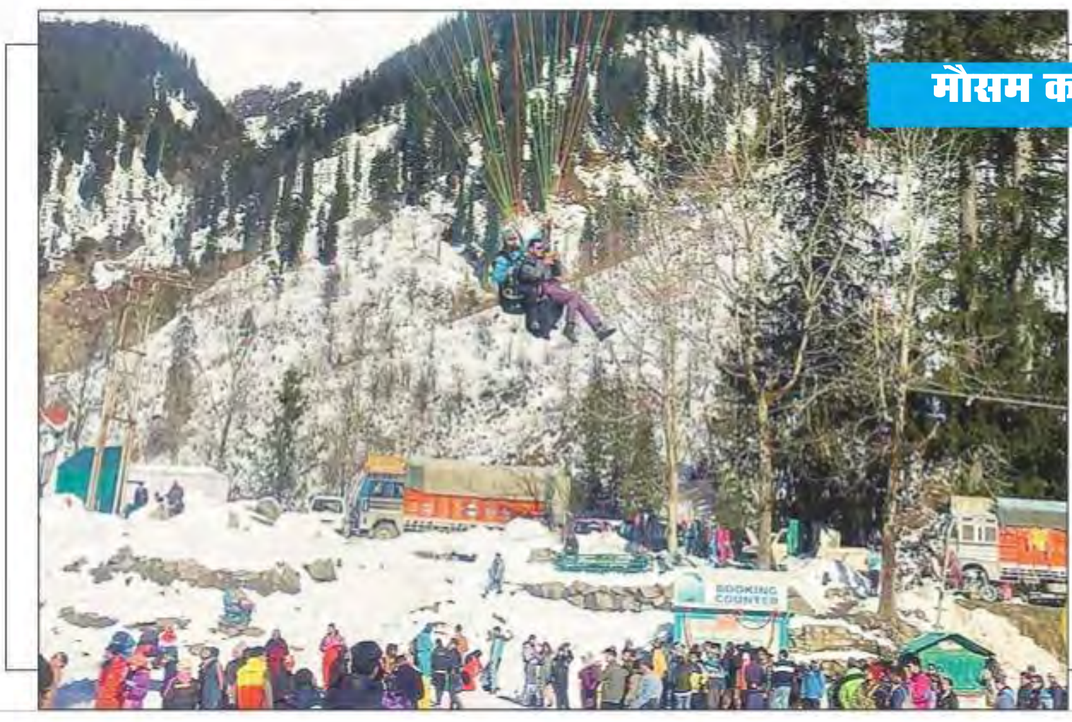

मौसम का लुत्फ

मनाली में रविवार को बर्फबारी के बीच पैराग्लाइडिंग का आनंद उठाते पर्यटक। इस सीजन में यहां मौसम का आनंद उठाने हर साल काफी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक जुटते हैं।

कंडाघाट के पास हादसे में पांच युवकों की मौत

शिमला, 22 दिसंबर (जनसत्ता)।

शनिवार रात कंडाघाट के पास एक कार के हादसाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार पांच युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मारे गए युवक पंचकूला के गांव गढ़ी कोटाहा और रायपुररानी के रहने वाले थे। हादसे का पता रविवार सुबह करीब 10 बजे लगा।

पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर सभी शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस के मुताबिक बीती रात कार (नंबर एचआर-03टी-0534) में सवार ये युवक कंडाघाट-सोलन की ओर से शिमला आ रहे थे। रास्ते में पड़ौथा के पास कार नीचे खाई में जा गिरी लेकिन रात होने की वजह से कुछ पता बाकी पेज 8 पर

पड़ौथा के पास खाई में गिरी कार।

एलओसी पार तीन पाक चौकियां और आतंकी ठिकाना तबाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास अग्रिम चौकियों और गांवों को निशाना बनाकर गोलाबारी की और संघर्षविराम का उल्लंघन किया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, यह गोलाबारी शनिवार रात भर और रविवार दोपहर तक जारी रही। इस दौरान भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में उत्तरी कश्मीर के दुदनियाल और एथमुकाम में भी तीन पाकिस्तानी चौकियों और आतंकियों (जैश) के एक लांच पैड को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी गोलाबारी में 40 वर्ष की एक महिला घायल हो गई।

> *राजौरी*, पुंछ में पाक ने किया संघर्षविराम उल्लंघन, एक महिला घायल
>
> *भारत* की जवाबी कार्रवाई के दौरान दुदनियाल और एथमुकाम में पाकिस्तान को खासा नुकसान

रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक, राजौरी के नौशेरा सेक्टर में रविवार सुबह सीमा पार से गोलीबारी शुरू हुई जबकि रात भर मेंढर, कृष्णा घाटी बाकी पेज 8 पर

कश्मीर से हिरासत में लिए व्यक्ति की प्रयागराज में मौत

श्रीनगर, 22 दिसंबर (भाषा)।

प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के एक सदस्य को जम्मू-कश्मीर में कठोर जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में लेकर बाहर भेजा गया और उस सदस्य की प्रयागराज में एक जेल में मौत हो गई। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उत्तरी कश्मीर बाकी पेज 8 पर

> *महबूबा* मुफ्ती के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर घटना की निंदा

घर में मृत मिले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नंजुंदन

बंगलुरु, 22 दिसंबर (भाषा)।

प्रख्यात अनुवादक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉ. जी नंजुंदन शनिवार को बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए। पुलिस ने बताया कि उन्हें आशंका है कि 58 वर्षीय नंजुंदन की करीब चार दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई होगी और उनकी सड़ी हुई लाश नगादेवनहल्ली स्थित बाकी पेज 8 पर

> *डॉ. नंजुंदन* को कन्नड़ किताबों को तमिल में अनुवाद करने की वजह से ख्याति मिली।

दरअसल

इस साल आए छह तूफानों की तीव्रता को गंभीर श्रेणी में रखा गया

मौसम

1893 के बाद सर्वाधिक तूफान आए इस साल

हिंद महासागर में उठे तूफानों ने तोड़ा 125 साल का रेकार्ड

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

हिंद महासागर में इस साल चक्रवाती गतिविधियों की अधिकता के कारण भारत के तटीय क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी से लेकर अंडमान सागर तक 11 चक्रवाती तूफानों की दस्तक ने सवा सौ साल का रेकार्ड तोड़ दिया है।

मौसम की चरम गतिविधियों (एक्सट्रीम एक्टिविटीस) से संबंधित मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में चक्रवाती तूफान ‘पवन’ की दस्तक के साथ 2019 में हिंद महासागर में आए चक्रवाती तूफानों की संख्या 11 हो गई, जो कि 1893 के बाद सर्वाधिक है। दिलचस्प है कि ‘पवन’, सात दिसंबर को सोमालिया तट से गुजरने के बाद कमजोर पड़ गया था।

चक्रवाती विक्षोभ (साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस) की सक्रियता को दर्शाने वाली विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल आए 11 चक्रवाती तूफानों में अरब सागर से पांच और बंगाल की खाड़ी से तीन तूफान उठे। इनमें से छह तूफानों की तीव्रता को गंभीर श्रेणी में रखा गया। एक के बाद एक, लगातार 11 तूफानों ने मौसम विज्ञानियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

> **2019** में आए 11 चक्रवाती तूफानों में अरब सागर से पांच और बंगाल की खाड़ी से तीन तूफान उठे।
>
> **मौसम वैज्ञानिक** डॉ कुलदीप श्रीवास्तव के अनुसार चक्रवाती तूफानों की तीव्रता और आवृत्ति में इजाफा भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम चक्र को प्रभावित करने का स्पष्ट इशारा है।

बंगाल की खाड़ी से इस साल तीन चक्रवाती तूफान (पाबुक, फानी और बुलबुल) उठे। हिंद महासागर क्षेत्र में इस साल उठे अन्य चक्रवाती तूफानों में ‘वायु’ ने जून और ‘हिक्का’ ने सितंबर में दस्तक दी।

मौसम वैज्ञानिक डॉ कुलदीप श्रीवास्तव के अनुसार चक्रवाती तूफानों की तीव्रता और आवृत्ति में इजाफा भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम चक्र को प्रभावित करने का स्पष्ट इशारा है। इसके जलवायु परिवर्तन से संबंध के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन के बाद ही इसके दूरगामी परिणाम और प्रभाव के बारे में कुछ कहा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्रों से उठने वाले चक्रवाती तूफानों का शुरुआती प्रभाव, असमय बारिश के रूप में दिखता है, जिसका सीधा असर फसलों पर पड़ता है। समुद्री क्षेत्र से स्थल भाग की ओर बढ़ते हुए चक्रवाती तूफान तटीय क्षेत्रों में हवा के कम दबाव का क्षेत्र पैदा कर बारिश की वजह बनते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इसके पहले हिंद महासागर में सर्वाधिक दस चक्रवाती तूफान 1893 के अलावा 1926, 1930 बाकी पेज 8 पर

मंगलुरु : प्रदर्शन में मारे गए दो लोग प्राथमिकी में आरोपी

मंगलुरु, 22 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के गुरुवार को हिंसक होने के बाद पुलिस की गोलीबारी में मारे गए दो लोगों को मंगलुरु सिटी पुलिस ने प्राथमिकी में आरोपी बताया है। दूसरी ओर मंगलुरु में लगाए कर्फ्यू में रविवार को 12 घंटे की ढील दी गई। शहर में अभी किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है।

बुंदेर इलाके में सीएए के खिलाफ 19 दिसंबर को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली लगने से जलील (49) और नौशीन (23) की जान चली गई थी। प्राथमिकी के अनुसार जलील और नौशीन मुसलिम संगठनों द्वारा सीएए के खिलाफ आयोजित हिंसक प्रदर्शन का हिस्सा थे।

प्राथमिकी में जलील को आरोपी नंबर तीन और नौशीन को आरोपी नंबर आठ बताया गया है। कुल 77 लोगों का प्राथमिकी में जिक्र किया गया है, जो प्रदर्शन में शामिल थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के शनिवार को शहर का दौरा करने और दक्षिण कन्नड़ के उपायुक्त सिंधु बी रूपेश को पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिए जाने के बाद यह बात सामने आई है।

दूसरी ओर प्रदर्शनों के दौरान गुरुवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प में दो लोगों के मारे जाने के बाद लगे कर्फ्यू को लेकर पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, ताकि लोग जरूरत का सामान खरीद सकें। उन्होंने बताया कि शहर में अभी तक किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है।

विदेशी सैलानियों की संख्या में कमी का अंदेशा

कोलकाता, 22 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के चलते छुट्टियों के इस मौसम में भी पर्यटन क्षेत्र की कमर टूट गई है।कई देश भारत को यात्रा के लिए फिलहाल असुरक्षित देश बता रहे हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि कई घरेलू पर्यटक भी कानून-व्यवस्था के मद्देनजर सर्दियों की अपनी छुट्टियां विदेश में बिताने का मन बना रहे हैं।

ठंड से कश्मीर को थोड़ी राहत, लद्दाख में कड़ाके की सर्दी

श्रीनगर/बनिहाल/जम्मू/चंडीगढ़, 22 दिसंबर (भाषा)।

कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में रविवार को न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई जिससे घाटी के लोगों को हाड़ कंपा देने वाली ठंड से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। विभाग के मुताबिक, कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहा।

श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शनिवार की रात 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जो शुक्रवार रात शून्य से नीचे 0.4 डिग्री सेल्सियस था। उत्तर कश्मीर के गुलमर्ग में न्यूनतम पारा शून्य से नीचे 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो शुक्रवार रात से करीब दो डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। गुलमर्ग, घाटी का सबसे सर्द इलाका रहा।

कुपवाड़ा में शनिवार रात को न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि लद्दाख के लेह में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।

दूसरी ओर जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों के आवागमन के लिए लगातार तीसरे दिन रविवार को बंद रहा और फिर से भूस्खलन के कारण इस मार्ग को खोलने के प्रयास बाधित हुए। यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हजारों वाहन राजमार्ग पर फंसे हुए हैं। इन वाहनों में अधिकतर ट्रक हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार शाम रामबन जिले के डिगडोले में राजमार्ग पर भीषण भूस्खलन के कारण मार्ग बाधित हो गया। यातायात पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सड़क को शीघ्र खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

● श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शनिवार की रात 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ ● जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे हजारों वाहन

उन्होंने कहा, 'श्रमबल और मशीनें काम कर रही हैं लेकिन मलबे को देखते हुए आज (रविवार) मार्ग खोलना लगभग असंभव है।' इस बीच, मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू क्षेत्र के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई। जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इससे पहले की रात में 6.8 डिग्री सेल्सियस था। न्यूनतम तापमान इस मौसम के औसत तापमान से 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि बनिहाल में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि ताजा बर्फबारी के बाद पिछले दो दिन से वहां तापमान शून्य से नीचे था। रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शनार्थ जाने वाले श्रद्धालुओं के आधार शिविर कटरा में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि पूर्ववर्ती रात में तापमान सात डिग्री सेल्सियस था। अधिकारी ने बताया कि डोडा जिले के भद्रवाह में भी रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जहां तापमान शून्य से 1.3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया।

हरियाणा और पंजाब में रविवार को भी ठंड का प्रकोप जारी रहा। हरियाणा के नारनौल में 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने यहां बताया कि धुंध के कारण दोनों राज्यों में कई जगहों पर सुबह बेहद कम दृश्यता रही। उन्होंने बताया कि दोनों राज्यों में नारनौल सबसे अधिक ठंडा स्थान रहा, जहां रात में तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि भिवानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री नीचे 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सयस दर्ज किया गया।

पंजाब में लुधियाना सबसे ठंडा स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अमृतसर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस जबकि पटियाला में यह 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बाजवा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, सीएए के दायरे में अहमदियों को भी लाने का अनुरोध किया

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस के नेता एवं राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे अहमदिया समुदाय को भी नए नागरिकता कानून के दायरे में लाने की रविवार को अपील की। बाजवा ने कोविंद को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया।

बाजवा ने कहा कि सरकार को अहमदियों के लिए मानवीय कदम उठाने की जरूरत है, जिन्हें लगातार प्रताड़ना के कारण पाकिस्तान से भागना होगा। बाजवा ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा, 'भारत का स्वभाव प्रताड़ना झेलने वालों का संरक्षण करने का रहा है। आधुनिक भारत के पूरे इतिहास में हम एक ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत रहे हैं, जो विविधता में एकता का समर्थन करता है। हमने अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया है और हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों में इन विशेषताओं को लाने की पूरी कोशिश की है।'

राजद ने उपद्रव में शामिल तीन कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया

पटना, 22 दिसंबर (भाषा)।

बिहार में विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने भागलपुर जिले के अपने तीन कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया। ये कार्यकर्ता संशोधित नागरिकता अधिनियम और प्रस्तावित एनआरसी के खिलाफ बुलाए गए राज्यव्यापी बंद के दौरान उपद्रव में लिप्त पाए गए थे। राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तिरुपतिनाथ यादव, मिराज चंद और शहजादा के निष्कासन आदेश शनिवार को जारी किए। उन्होंने कहा, 'यादव भागलपुर में जिला इकाई के अध्यक्ष और चंद युवा इकाई के प्रमुख थे। शहजादा राजद के एक सक्रिय सदस्य थे। यह कार्रवाई बंद के दौरान एक ऑटो रिक्शा में तोड़फोड़ में उनकी संलिप्तता के मद्देनजर की गई है। पार्टी के सख्त निर्देश थे कि बंद के दौरान कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए।' गगन ने कहा, 'पार्टी ने यह भी निर्णय लिया है कि ऑटो रिक्शा चालक को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।' कांग्रेस और पांच सदस्यीय महागठबंधन के अन्य घटक दलों ने बंद का समर्थन किया था। बंद के दौरान व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़, आगजनी और यातायात बाधित हुआ था।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Satpal S/o Rajveer Nain R/o House No-199, Village Saran, Sector-22, Faridabad, Haryana-121005, that name of my father has been wrongly written as Virendra Nain in my PAN Number : AUTPN9835D. The actual name of my father is Rajveer Nain. 0070689423-1

I, Ravinder Pal Singh Dhiman S/o Gurdial Singh Dhiman R/o:Shop-Plot-54, Pandav Nagar, Main Road, Mother Dairy, Delhi-110092 have changed my name to Ravinder Pal Singh for all purposes. 0040525041-1

I, R Dani S/o P Rajendran R/o D-377,Flat No:102,Nawada Housing Complex,55' Foota Road, Dwarka Mor,Uttam Nagar,New Delhi- 110059, have changed my name to Anubhav Dani. 0050160042-1

I, Monica Sethi W/o Vivek Sethi R/o E-17/1, Sector-30, Noida(U.P.) have changed my name to Monika Sethi for all future purposes. 0040525042-1

I, Hitherto Known As Devender S/o Sh.Prakash Taank R/o 5/94,Shiv Park, Village Nangloi,Delhi-110041, Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Devender Taank. It Is Certified That I Have Complied With Other Legal Requirements In This Connection 0040524942-1

I, Dukha Sah S/o Jai Narayan Sah R/o RC-90-B, Jhuggi, Gali No.10, Taliwalan Basti, Anand Parbat, New Delh-110005, inform that my name wrongly written in my ESI Card/record (IP No.1104091689) as Santosh. My correct name is Dukha Sah. 0040524337-1

खोया+पाया

It is notified for the information that my original Qualifying Examination Marksheet of Senior Secondary Examination of Year 2011 and Roll No.9672509 issued by CBSE has been actually lost.Deepak Singh, J-256, Mangole Puri, New Delhi-83, Mob-8130747040 0050160106-1

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Anil Kumar Sharma S/o Sh Jai Prakash Sharma, R/o F-25, Gali No. 7, Subhash Chowk, Laxmi Nagar, New Delhi-92 has severed all his relations with his son namely Gaurav Sharma and his wife Aditi Kaushik Sharma, they are not in my client's control. Anil has disown his son Gaurav Sharma and his wife Aditi Kaushik Sharma from all his moveable and immovable properties with immediate effect. In case any kind of misconduct, fighting, legal activity and transaction done by them my client shall not be responsible for their any acts indeed.
Madan Gopal Vacher, Advocate
Ch. 234, Civil Wing, Tis Hazari Court, ND

PUBLIC NOTICE

To be known to all that my client, Sh. Birender Singh Dhanoa, S/o Late Sh. Surain Singh Dhanoa R/o Flat No. 40, Ground Floor, Munirka Enclave, New Delhi-110067, declare that his father Late Sh. Surain Singh Dhanoa was the allotee of DDA SFS Flat No. 40, Ground Floor, situated at Munirka Enclave, New Delhi-110067, and my client has applied for Certified Copies in respect of said flat. The original documents i.e. Allotment Letter, Possession Letter, Possession Slip, NOC for Water & Electricity Connection, 5th & Final Demand Letter, Allocation Letter, All bank Challans and Conveyance Deed of the above said property has been lost or misplace by my client and are not traceable inspite of their best efforts. An FIR/NCR to this effect has been lodged in P.S. Crime Branch, Delhi (LR No. 2017032/2019 dated 20.12.2019). Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above Address/ Phone No. 9013886072 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property, can personally inform or write to Deputy Director LAB (Housing) or Director (Housing), Vikas Sadan, New Delhi. Naveen Aggarwal, Advocate
Ch. No. 7, Tis Hazari Court, Delhi-54

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

COURT NOTICE

In the court of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO : PBLD03-017517-2018
NEXT DATE: 28-01-2020
Kotak Mahindra Bank V/s Ramakrushna Panigrahi
Publication Issued To: Ramakrushna Panigrahi Address- R/o Dalingia Jirital Khantapara, Nr. Basuli Temple Balasore, Orissa
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In the court of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBLD03-017297-2018
NEXT DATE: 28-01-2020
KOTAK MAHINDRA BANK V/s KAILASH DIP @ KAILASH DEEP
Publication Issued To: Kailash Dip @ Kailash Deep R/o Jhankarpada Ward No. 10 Kantabanji Bolangir Odisha Bolangir Orissa
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In the court of Sh. Ramesh kumar JMIC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and Judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBLD03-017525-2018
NEXT DATE: 28-01-2020
Kotak Mahindra Bank V/s Rashmi Ranjan Nayak
Publication Issued To: Rashmi Ranjan Nayak Address- R/o Oladhi Fakirabad Derabis, Kendrapara Orissa
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused / accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-01-2020 at 10.00a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in Your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In the court of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBLD03-017546-2018
NEXT DATE: 28-01-2020
Kotak Mahindra Bank V/s Bijaya Kumar Padhan
Publication Issued To: Bijaya Kumar Padhan S/o Dinabandhu Padhan R/o At Tingipali Po Mahada Near Canal Barapali, Bargarh, Orissa
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this Proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In the court of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBLD03-018244-2018
NEXT DATE: 28-01-2020
Kotak Mahindra Bank V/s Radhika Sanghai
Publication Issued To: Radhika Sanghai Address R/o Jamuna lal Bajaj Street, Khalpara Micro Siliguri Bazar Darjeeling Behind Sani Mandir, Siliguri West Bengal
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this Proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In the court of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO : PBLD03-017513-2018
NEXT DATE : 28-01-2020
KOTAK MAHINDRA BANK V/S RITA RANI SWAIN
Publication Issued To : Rita Rani Swain Address- R/o Balisuan Patakura Kendrapara, Nr. Balisuana Up School, Kendrapara. Orissa
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana JMIC LUDHIANA

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2017 का विनियम 14]
अभिषेक के कैहो प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	सुसंगत विशिष्टियाँ	
1.	कार्पोरेट व्यक्ति का नाम	अभिषेक के कैहो प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	18.06.2019
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट व्यक्ति निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली एवं हरियाणा
4.	कार्पोरेट व्यक्ति की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U37200DL2019PTC351514
5.	कार्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	1, अण्डर हिल लेन, सिविल लाइन्स, दिल्ली- 110054
6.	कार्पोरेट व्यक्ति के परिसमापन प्रारम्भ होने की तिथि	17.12.2019
7.	परिसमापक का नाम, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या एवं पंजीकरण संख्या	मनोज कुमार पुर्बे कार्यालय नं. 03, द्वितीय मंजिल, बी-32, एमडीएचएवी कॉम्पलेक्स, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 ई-मेल आईडी : purbey31@gmail.com 011-22444014 पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IPN00374/ 2017-18/11117
8.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	16.01.2020

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अभिषेक के कैहो प्राइवेट लिमिटेड ने 17 दिसम्बर, 2019 को स्वैच्छिक परिसमापन प्रारम्भ कर दिया है। अभिषेक के कैहो प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 16 जनवरी, 2020 को अथवा इससे पूर्व परिसमापक के समक्ष ऊपर प्रविष्टि 7 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
अन्य सभी हितधारक अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।
तिथि: 21.12.2019 परिसमापक का नाम एवं हस्ताक्षर
स्थान: दिल्ली मनोज कुमार पुबे

सार्वजनिक सूचना

एम एंड एनः टीसीः 1291 पीएसएनः जीएल 6 दिसम्बर, 2019
हमारे क्लाइन्टः एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय ''एचडीएफसी बैंक हाउस'', सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट), मुम्बई-400013 में है तथा अंचल कार्यालयः रिटेल एसेट्स कॉलैक्शनन, 1ला तल, टावर ए, प्लॉट नं. 31, नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, शिवाजी मार्ग, मोती नगर, नई दिल्ली-110015 में है।
1. कन्ट्री लाइन लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड, एल-289, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076, साथ हीः प्लॉट नं. 284, ट्रान्सपोर्ट नगर, सेक्टर-58, फरीदाबाद हरियाणा, साथ ही उपलब्धः ई-179, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076
2. श्री नितिन मल्होत्रा, पुत्र श्री रविन्दर नाथ मल्होत्रा, एल-289, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076, साथ ही उपलब्धः ई-179, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076
3. श्री रविन्दर नाथ मल्होत्रा, पुत्र श्री अमर नाथ मल्होत्रा, एल-289, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076
4. श्री रविन्दर कुमार जग्गा, पुत्र श्री केहर सिंह जग्गा, मकान सं. 2100, भू तल, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 3, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004, हरियाणा
5. श्री रौनक वर्मा, पुत्र श्री विमल कुमार वर्मा, मकान सं. 1251, सेक्टर-9, फरीदाबाद-121006, हरियाणा
6. सुश्री ममता मल्होत्रा, पुत्र श्री शिव कुमार सिक्का, एल-289, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076

विषयः ऋण खाता संख्या 50200012242315 तथा 50200013631620 एवं 83696202 में गिरवी रखी गई गोल्ड के लिए पूर्व बिक्री सूचना

हमारे ऊपर वर्णित क्लाइन्ट के निर्देशों के अन्तर्गत तथा उनकी ओर से हम एतद्द्वारा यह कानूनी सूचना आपको सर्व कर रहे हैं जिसके विषय-वस्तु पर आप ध्यान दें:
1. कि आपको हमारे क्लाइन्ट ने समय-समय पर तथा अंतिम रूप से माह फरवरी, 2019 में आपके पक्ष में उपरोक्त साख सुविधाओं को स्वीकृत/बढ़ाया/नवीकृत किया/ जारी रखा था।
2. कि हमारे क्लाइन्ट द्वारा आपको उपरोक्त साख सुविधाओं की स्वीकृत/ बढ़ाने/ नवीकृत करने/ जारी रखने के लिए आप संबोध्य व्यक्ति द्वारा निदेशकों/ गारन्टरों ने बकाया राशि के नियत पुनर्भुगतान के लिए विभिन्न प्रतिभूति दस्तावेजों को निष्पादित किया तथा हमारे क्लाइन्ट को सुपूर्द किया था। कि, हमारे क्लाइन्ट के पक्ष में निर्मित अन्य चार्ज के अतिरिक्त माह फरवरी, 2019 में आपने स्वीकृति/ नवीकरण को आगे बढ़ाने के लिए गोल्ड का गिरवी किया था।
3. कि आप, संबोध्य व्यक्तियों, द्वारा उसके प्रबंध निदेशक ने 12.2.2019 को संबोध्य सं. 1 की विभिन्न ऋण खाताओं में देय तथा बकाया राशि के संदर्भ में ऋण की अभिस्वीकृतियों को निष्पादित किया।
4. कि आप ऊपर नामित संबोध्य व्यक्तियों ने गोल्ड की गिरवी के रूप में हमारे क्लाइन्ट के पक्ष में गोल्ड को गिरवी किया था।
5. कि, आप ऊपर नामित संबोध्य व्यक्तियों ने उक्त ऋण के पुनर्भुगतान का वचन दिया था, लेकिन ऊपर वर्णित रूप में किस्तों/ बकाया राशि के भुगतान में आप ने चूक की है। इस परिस्थिति में हमारे क्लाइन्ट उक्त विषय अनुबंध को समाप्त करने के लिए बाध्य है तथा आप ऊपर नामित संबोध्य व्यक्तियों को निर्देश देते हैं कि विषय ऋण खाता में अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के साथ 1.9.2019 को रु. 13,93,56,589.33 (रुपए तेरह करोड़ तिड़ानवे लाख छप्पन हजार पांच सौ नवासी एवं पैसे तैंतीस मात्र) की सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर अपनी देयताओं को निष्पादित करें।
6. हमारे क्लाइन्ट पुनः आप संबोध्य व्यक्तियों को सलाह देते हैं कि मांग तथा टर्मिनेशन सूचना तिथि 2.5.2019 के अनुसार देयता निष्पादित करें।
7. कि, आप संबोध्य व्यक्ति हमारे क्लाइन्ट की बकाया देयता का भुगतान करने के अपने दायित्वों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, अतः हमारे क्लाइन्ट गिरवी रखी गई गोल्ड की बिक्री करने तथा ऋण खाता में अपनी देयता की वसूली करने के लिए आपको वर्तमान सूचना सर्व करने के लिए बाध्य हैं।
9. वर्तमान सूचना के माध्यम से एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि बकाया देयता पूरा करने के लिये भुगतान के द्वारा इस सूचना की प्राप्ति पाँच दिनों के भीतर 1.9.2019 को रु. 13,93,56,589.33 (रुपये तेरह करोड़ तिड़ानवे लाख छप्पन हजार पाँच सौ नवासी एवं पैसे तैंतीस मात्र) की कुल राशि का भुगतान कर अपनी देयताओं को निष्पादित करें। जिसमें विफल होने पर हमारे क्लाइन्ट गिरवी रखी गई गोल्ड की बिक्री कर तथा आपकी ऋण खाताओं की बकाया में बिक्री राशि को समायोजित करने की कार्रवाई शुरू करेंगे। कृपया इस तथ्य को जान लें कि बिक्री राशि को नीलामी पर बहन की गई खर्चे की कटौती करने के बाद विषय ऋण खाताओं में बकाया देयता के लिये समायोजित किया जायेगा तथा किसी भी न्यूनता की स्थिति में हमारे क्लाइन्ट कानून के अनुसार उसकी वसूली करने के लिये अधिकृत होंगे।
10. कृपया इस सूचना को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 176 के अंतर्गत वर्णित रूप में बिक्री सूचना माने।
11. हम आश्वस्थ हैं कि आप हमारे क्लाइन्ट के आशयों की गम्भीरता को समझेंगे तथा इस सूचना के अनुपालन में उपयुक्त रूप से कार्य करेंगे।

एचडीएफसी बैंक लि. की ओर से
मनीश वर्मा, एडवोकेट

फार्म नं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
पीक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U45400DL2011PTC225458)
राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली-110032
...आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता
[illegible]
कृते पीक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
मनोज जैन (निदेशक)
दिनांक: 23 दिसम्बर 2019 स्थान: दिल्ली डीआईएन: 00709645

फार्म नं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
सर्वोत्तम बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U45200DL2011PTC224772)
[illegible]
कृते सर्वोत्तम बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
मयंक अग्रवाल (निदेशक)
दिनांक: 23 दिसम्बर 2019 स्थान: नई दिल्ली डीआईएन: 01230833

प्रपत्र संख्या आईएनसी-26
गैलॉप होर्सेज मोबिलिटी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
CIN U63030HR2019PTC083977
[illegible]
दिनांक: 23.12.2019 स्थान: गुड़गांव
निदेशक (DIN: 08625353)

फार्म नं. INC-25A
[illegible]
DIN: 00058339

कॉनकॉर CONCOR
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
[illegible]
corindia.com ... www.tenderwizard.com/FHEL ... www.concorindia.com, www.tenderwizard.com/FHEL ...
फोन नं. 011-41673093-96

प्रपत्र सं.5
ऋण वसूली अधिकरण
6001/1 युनिवर्सिटी रोड, निकट हनुमान सेतु मन्दिर, लखनऊ-226007
(अधिकार क्षेत्र - उत्तर प्रदेश का भाग)
प्रकाशन द्वारा जवाब दाखिल करने तथा उपस्थिति के लिए सम्मन
ओ.ए. नं.1028/2019 दिनांक 16.11.2019
(ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(3) के अंतर्गत प्रतिवादियों के लिए सम्मन)
मूल आवेदन सं. वर्ष 2019 का 1028
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ....आवेदक
बनाम
श्री संदीप मिश्रा एवं अन्य ....प्रतिवादीगण
सेवा में,
1. श्री मोहित कुमार त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निवासी मकान नं.79, गुलधर-1, सेक्टर-22, गाजियाबाद-201002.
ऊपर वर्णित आवेदन में आपको इस अधिकरण में व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने विधिवत अधिकृत एजेंट अथवा विधिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से दो सेट में पेपर बुक पद्धति में अपना जवाब तथा शपथ-पत्र (यदि कोई हो) दाखिल करना होगा तथा सम्मन के प्रकाशन के बाद आवेदक अथवा उसके सलाहकार /विधिवत अधिकृत एजेन्ट थे उसकी प्रति सर्व करने के बाद 22.01.2020 को 10:30 बजे पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना होगा जिसमें विफल रहने पर आवेदन की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जायेगी।
न्यायालय की मुहर
रजिस्ट्रार,
ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ

www.readwhere.com

मौसम
तापमान नई दिल्ली
अधिकतम–14.6 डि.से. सूर्योदय– 7:10
न्यूनतम– 7.4 डि.से. सूर्यास्त– 17:30

कच्ची कॉलोनियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरकार को घेरा, कहा

रोड़ा अटकाने का कोई मौका नहीं छोड़ा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कच्ची कॉलोनियों के नियमितिकरण में रोका अटकाने में कोई मौका नहीं छोड़ा और कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत केंद्र सरकार ने यह काम अपने हाथों में लिया और कानून बनाकर इन कॉलोनियों में रह रहे 40 लाख से अधिक परिवारों को बड़ी राहत दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव आते थे तो इन कॉलोनियों के लिए तारीखें आगे बढ़ाई जाती थीं, बुलडोजर का पहियां कुछ समय के लिए रुक जाता था, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती थी। इन कॉलोनियों के लिए स्थाई समाधान भाजपा लेकर आई है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने दिल्ली के सबसे आलीशान और सबसे महंगे इलाकों में 2 हजार से ज्यादा बंगले, अवैध तरीके से अपने करीबियों को दे रखे थे। भाजपा ने ये बंगले खाली कराए और कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अधिकार दिया। दिल्ली के लोगों का जीवन आसान बने, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार ने ऐसी 1700 कॉलोनियों को नियमित किया और अब तक 1200 से अधिक कॉलोनियों के नक्शे तैयार किए हैं।

पानी संकट की तरफ नहीं है सरकार का ध्यान : प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लिए पानी सबसे बड़ा संकट है और राज्य सरकार इस पर आंख मूंदकर बैठी है। उन्होंने कहा कि यहां समस्या पीने के पानी की है। इस वजह से दिल्ली में सबसे अधिक पानी शोधन करने वाली मशीनों की बिक्री हो रही है। जो लोग घरों में ये मशीनें नहीं लगा पा रहे हैं। वो लोग 40–50 रुपए में पानी बोतल खरीदकर गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां पानी पहुंच भी रहा है। उन इलाकों में आम जनता को पानी की गुणवत्ता पर विश्वास नहीं है।

मेट्रो के विस्तार में लाई तेजी : प्रधानमंत्री ने कहा कि आम जनता की सुविधाएं बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मेट्रो विस्तार की योजनाओं पर तेजी से काम किया है। उन्होंने कहा कि अब तक हर वर्ष करीब 14 किलोमीटर की रफ्तार से मेट्रो को विस्तार हो रहा था लेकिन अब 25 किलोमीटर हर वर्ष मेट्रो बढ़ रही है। इस समय 70 किलोमीटर एरिया में मेट्रो विस्तार का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेट्रो विस्तार के चौथे चरण में स्थानीय सरकार द्वारा राजनीति नहीं की होती तो इस समय इस चरण में भी तेजी से काम किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बसों की कमी है और इस वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है। जबकि राज्य सरकार बसें लाने के मामले में हर बार नए बहाने बता रही है। ाण जाम से राहत दिलाई है।

पुलिस के जज्बे को प्रधानमंत्री ने सराहा : प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोग देख चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को भी कठघरे में खड़ा किया है। लेकिन देश का पढ़ा लिखा नौजवान जब इस पूरे मामले की जांच करेगा तो वह इन प्रदर्शनों के खिलाफ खुद को खड़ा पाएगा। उन्होंने मंच से ही पुलिस कर्मचारियों के जज्बे की तारीफ की।

रामलीला मैदान की रैली में दिल्ली के भाजपा नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फोटो : अरुष चोपड़ा

ड्रोन और हेलिकाप्टर से रखी गई नजर

रामलीला मैदान में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। रामलीला मैदान दरियागंज से करीब एक किलोमीटर दूर है, जहां संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने एक निजी कार में आग लगा दी थी। विरोध–प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और खुफिया एजंसी के अधिकारियों ने शनिवार को बैठक की थी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। रैली को देखते हुए ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी वहां की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी।

रामलीला मैदान बाहर दिल्ली पुलिस के अलावा अर्द्धसैनिक बल की 20 कंपनियों को तैनात किया गया था। इसके साथ ही मंच के आसपास एनएसजी कमांडो और दिल्ली पुलिस के स्वात टीम को तैनात किया गया था। रामलीला के आसपास इलाके में दुकाने व व्यवसायिक प्रतिष्ठान सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दी गई थी। इलाकों में यातायात मार्ग में बदलाव किया गया था। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि रैली के दौरान पीएम की सुरक्षा को देखते हुए 20 कंपनियां, 20 उपायुक्त, एनएसजी का एंट्री ड्रोन स्टाफ, दिल्ली पुलिस के शार्प शूटर एवं कमांडो और सड़क पर यातायात पुलिस कर्मी तैनात रहे। सुरक्षाकर्मी रैली स्थल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बेड़े में एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) और एनएसजी कमांडो मुख्य सुरक्षा घेरे में थे। वहीं, दिल्ली पुलिस के कमांडो और जवान बाहरी सुरक्षा का पूरा घेरा संभाले हुए थे। दिल्ली पुलिस के कमांडो अत्याधुनिक हथियार से लैस होकर सिविक सेंटर व आसपास की इमारतों पर तैनात थे। वहीं सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस के जवान भीड़ में मौजूद हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखे हुए थे। एनएसजी कमांडो रैली के दौरान एंटी ड्रोन व एंटीक्राफ्ट से लैस रहे। रामलीला मैदान पर जमीन से आसमान तक सुरक्षा एजंसियों का कड़ा पहरा था।

खुफिया एजंसियों ने एसपीजी और दिल्ली पुलिस को इनपुट दिया है कि रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली प्रधानमंत्री की धन्यवाद रैली के दौरान आतंकी भीड़ में घुसकर उन पर हमला कर सकते हैं।

चुनावी दंगल में विपक्ष बना सकता है हथियार

कड़े और बड़े फैसलों का दिल्ली को आज भी इंतजार

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

दिल्ली की राजनीतिक पार्टियों की बढ़ती सरगर्मियां आने वाले विधानसभा चुनाव की दस्तक की ओर इशारा कर रही हैं। आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने पांच साल पूरे किए हैं और आज भी पांच बड़े वादों का दिल्ली वालों को पूरा होने का इंतजार है। हालांकि इस बार के चुनाव में 'आप' विकास के मॉडल को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन पार्टी के प्रमुख चुनावी वादे ही इस बार विपक्ष का हथियार बनेंगे। इन कड़े और बड़े फैसलों के साथ ही 'आप' ने दिल्ली की सत्ता संभाली थी।

जन लोकपाल : आम आदमी पार्टी सत्ता में जन लोकपाल कानून की वजह से आई थी। पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी इस कानून का आज भी इंतजार है। इस कानून को लागू करने के लिए दिल्ली विधानसभा से कानून को पारित भी कर दिया गया था। लेकिन आज तक यह कानून लागू नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी जन लोकपाल आंदोलन से ही दिल्ली की सत्ता में आई थी। इसके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी में भी आंतरिक लोकपाल की व्यवस्था को लागू करने एलान किया था। आंतरिक लोकपाल की व्यवस्था भी लागू नहीं हो पाई है। जन लोकपाल विधेयक विधानसभा ने 2015 में पारित कर दिया था।

जनता से पूछकर होने थे काम : आम आदमी को सरकार से जोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी मोहल्ला सभा की व्यवस्था लेकर आई थी। इस व्यवस्था के तहत जन भागीदारी को सत्ता में सक्रिय करना था। इसके तहत आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल के पहले साल में मोहल्ला सभा की बैठकें की थीं। इसके बाद ये सभाएं नहीं हुईं। इसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी नीतियों व सरकारी व्यवस्था के तहत ही योजनाओं को लागू किया।

कच्ची कॉलोनियों का बवाल : कच्ची कॉलोनियां दिल्ली की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार रही है। आम आदमी पार्टी ने इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सड़क, सीवर व पानी जैसी सेवाओं के लिए काम किया। लेकिन इन कॉलोनियों को अभी भी पक्का होने का इंतजार है। इस मामले में अदालत में भी आम आदमी पार्टी को स्वीकार करना पड़ा है कि उसे इन कॉलोनियों की व्यवस्था सुधारने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी। इसके बाद शहरी विकास मंत्रालय ने इन कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया अपने हाथों में ली और कॉलोनियों के लिए कानून भी पारित किया। अब इस मुद्दे को ही भारतीय जनता पार्टी अपना हथियार बना रही है।

सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के बिगड़ते हालात : 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों के समय में दिल्ली को सबसे बड़ा बसों का बेड़ा मिला था। बीते नौ सालों में इन बसों की हालत खराब हुई है। इन बसों की जगह दिल्ली परिवहन निगम में बसों की संख्या बढ़ाकर सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की योजना आम आदमी पार्टी ने तैयार की थी। डीटीसी की बसों के बेड़े में इस दौरान कोई इजाफा नहीं हुआ जबकि ऐसी 1000 बसें लाने की योजना पर सरकार काम कर रही है। बसों की कमी ही सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या बढ़ने की प्रमुख वजह है। हालांकि दिल्ली सरकार ने निजी भागीदारी के तहत चल रही क्लस्टर बस सेवा के जरिए बसों की संख्या बढ़ाने की कोशिश जरूर की थी। दिल्ली में बसों का बेड़ा करीब 6200 बसें था जो अब घटकर केवल 3781 रह गया है।

क्यों नहीं दी किसी को रजिस्ट्री : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

दिल्ली कांग्रेस ने रामलीला मैदान में आयोजित दिल्ली भाजपा की 'धन्यवाद रैली' को 'धोखा रैली' करार दिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने आरोप लगाया कि एक भी व्यक्ति को रजिस्ट्री न देकर उनका मजाक उड़ाया है।

रैली में लोगों को गुमराह करके रजिस्ट्री देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब लोग वहां से निकले तो वे अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। वहीं, नरेला में कांग्रेस ने हल्ला बोल रैली का आयोजन किया। मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने निंदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया। वहीं, रमेश कुमार और कीर्ति आजाद ने कहा कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में पूर्वांचल के लोग भारी संख्या में रहते है। केन्द्र व दिल्ली सरकार द्वारा नियमन के नाम पर इन कॉलोनियों के लोगों के साथ धोखा किया गया है।

साथ ही पूर्व विधायक जयकिशन के नेतृत्व में मंगोलपुरी में पोल खोल जनसभा का आयोजन किया गया। जय किशन ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार की नाकामी का नतीजा है। आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। यही कारण है कि यह मुद्दा उठा दिया गया है।

नए कानून के बाद 21 हजार लोगों ने कराई रजिस्ट्री : पुरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कच्ची कॉलोनियों का पक्का करने का कानून बनने के बाद अब तक 21 हजार संपत्ति मालिकों ने अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराई है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय इन कॉलोनियों के नक्शे ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा है। वे रामलीला मैदान में भाजपा की रैली को संबोधित कर रहे थे।

हरदीप पुरी ने कहा कि 2015 में केजरीवाल ने 70 वादे किए थे। इन वादों में ही एक साल में इन कॉलोनी को पक्का करने का वादा था। दिल्ली सरकार ने इस काम के लिए दो साल का मांगा था। दिल्ली सरकार को कॉलोनियों के सर्वेक्षण का काम करना था। यह काम भी दिल्ली सरकार ने नहीं किया। इसके बाद केंद्र सरकार ने कॉलोनियों का काम अपने हाथों मे लिया और इनके लिए कानून बनाकर नियमित किया। दिल्ली चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 45 दिन के बाद चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में भाजपा बहुमत की सरकार बनाएगी। दिल्ली को तय करना है कि विकास चाहिए या विनाश चाहिए। उन्होंने जेएनयू में हुई नारेबाजी और 26 जनवरी की परेड में मुख्यमंत्री के धरने पर भी सवाल किया है।

रजिस्ट्री का क्या हुआ : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को फिर से धोखा देने का आरोप लगाते हुए पूछा कि रजिस्ट्री का क्या हुआ? केजरीवाल ने कहा कि सभी लोगों की संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। उन्होंने इन कॉलोनियों के निवासियों को आश्वासन दिया कि आप सरकार ऐसा करेगी। केजरीवाल ने यह आरोप मीडिया में आई उन खबरों के हवाले से लगाया है जिनमें कहा गया है कि भाजपा अनधिकृत कॉलोनियों में केवल कुछ परिवारों की संपत्तियों का पंजीकरण करेगी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि रजिस्ट्री का क्या हुआ?

कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के साथ फिर से धोखा हुआ है। लोगों को उम्मीद थी कि आज से रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस झूठे वादे करती थी, अब भाजपा ने भी वही किया। लेकिन चिंता मत करना। हमने कच्ची कॉलोनियों में सभी विकास के काम करवाए, अब इनकी रजिस्ट्री भी करवा के देंगे।

फार्म जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

(दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36 ए के उप-विनियमन (5) के अंतर्गत)

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	दिल्ली बड़ौदा रोड कैरिअर प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	31 मार्च 1995
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U74899DL1995PTC067016
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकृत कार्यालयः 23, ट्रान्सपोर्ट सेन्टर न्यू सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली–110033 कॉर्पोरेट कार्यालयः 480, फेज V, उद्योग विहार, सेक्टर 19, गुरुग्राम हरियाणा–122008
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	24 सितम्बर, 2019 (28 सितम्बर, 2019 को आईआरपी को प्राप्त)
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	23 दिसम्बर, 2019
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है:	विवरण ip.dbrc@in.ey.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	विवरण ip.dbrc@in.ey.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	22 जनवरी, 2020
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	01 फरवरी, 2020
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	06 फरवरी, 2020
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	11 फरवरी, 2020
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	01 फरवरी, 2020
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	क्रम सं. 8 में निर्दिष्ट रूप में योग्य संभावित प्रस्ताव आवेदक तथा नान-डिस्क्लोजर एग्रीमेन्ट/अंडरटैकिंग को निष्पादित करने के बाद इलेक्ट्रानिक पद्धति में ई-मेल द्वारा अनुरोध कर प्राप्त कर सकते हैं।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	17 मार्च, 2020
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	मुहरबंद लिफाफे में डाक द्वारा अथवा हाथों-हाथ जिसके बाद ईमेल सम्पुष्टि की जायेगी।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	26 मार्च, 2020
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	श्री आर.बालाचन्दर IBBI/IPA-001/IP-P00679/2017-2018/11151
20.	कोर्ट में पक्ष-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल	श्री आर.बालाचन्दर बी–97, आनंद निकेतन, नई दिल्ली–110021 ई-मेलः balachnader@in.ey.com
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	श्री आर.बालाचन्दर 3रा तल, वालंडमार्क–1, एयरोसिटी, दिल्ली–110037 ई-मेलः ip.dbrc@in.ey.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध है	ip.dbrc@in.ey.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	23 दिसम्बर, 2019

हस्ता./-
आर.बालाचन्दर
दिल्ली बड़ौदा रोड कैरिअर प्राईवेट लिमिटेड कैरिअर प्राईवेट लिमिटेड के रिजॉल्यूशन प्रफेशनल
आईबी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00679/2017-2018/11151
तिथि: 23 दिसम्बर, 2019

एनआरसी पर जब चर्चा नहीं तो लागू करने का बयान क्यों : येचुरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के खिलाफ रविवार को दसवें दिन भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहे। रविवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी भी विद्यार्थियों को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान कुछ छात्र 100 मीटर का तिरंगा लिए हुए जामिया के विद्यार्थियों के पक्ष में यहां आए थे।

येचुरी ने एनआरसी से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान का हवाला देते हुए सवाल किया कि जब एनआरसी पर कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई तो फिर गृह मंत्री अमित शाह इसे लागू करने का बयान क्यों दे रहे हैं। जामिया में सीएए के खिलाफ विद्यार्थियों के प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचे येचुरी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को एनआरसी पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस तरह का कानून लाना संविधान के खिलाफ है। इस देश की एक ही हॉली बुक (पवित्र पुस्तक) हमारा संविधान है। संविधान की रक्षा और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। माकपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे कि किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नागरिकता के साथ धर्म को क्यों जोड़ रहे हैं। येचुरी ने कहा कि आप पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने एक घंटे के भाषण में लोगों से जुड़े आम मुद्दों के बार कुछ नहीं कहा। किसान खुदकुशी कर रहा है, लोग महंगाई से जूझ रहे हैं और अर्थव्यवस्था डूब रही है। लेकिन इन समस्याओं का कोई जिक्र नहीं है। येचुरी ने कहा कि आप बताइए कि लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं?

इस मौके पर पुलिस की बर्बरता की वजह से घायल हुए विद्यार्थी भी यहां पहुंचे और उन्होंने आपबीती बताई। सभी विद्यार्थियों ने कहा कि हम सभी पुस्तकालय में पढ़ रहे थे और अचानक पुलिस ने परिसर में घुसकर बिना किसी चेतावनी दिए हमें मारना शुरू कर दिया। इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली में भी जामिया के विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई के विरुद्ध मार्च निकाला। अलकनंदा इलाके में निकाले गए मार्च के दौरान हाथों में पोस्टर लिए लोगों ने 'इंकलाब जिंदाबाद' का नारा लगाया और विवादित कानून को निरस्त करने की मांग की। जामिया के विद्यार्थियों के एक समूह ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सीएए और एनआरसी के खिलाफ एक हफ्ते से प्रदर्शन हो रहे हैं।

सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में भी रविवार को जगह–जगह प्रदर्शन किए गए।

कनॉट प्लेस, निजामुद्दीन और जंतर मंतर पर विरोध जारी रहा है। तो वहीं, पुलिस ने भी फ्लैग मार्च निकाला। रविवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन के लिए जुटे लोगों में छात्र, चिकित्सक और कलाकार भी शामिल थे। प्रदर्शन स्थल पर एम्स के कई चिकित्सक भी जुटे थे, जिन्होंने अपने गले में स्टेथस्कोप लटकाया हुआ था। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने देशभक्ति के गाने गाए और कविताएं पढ़ीं। प्रदर्शन का आयोजन हाल में गठित समूह डेलहाइटीज फॉर कॉन्स्टीट्यूशन ने किया था। कई प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में तख्तियां ली हुई थीं जिन पर नारे लिखे थे।

निजामुद्दीन बस्ती के मुसाफिर खाना पार्क में रविवार को काफी संख्या में लोग प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महात्मा गांधी के पथ का अनुसरण करेंगे। कभी हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे और नफरत का जवाब प्यार से देंगे। जेएनयू के पूर्व छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद ने कहा कि सबसे अधिक अहम लड़ाई इस वक्त देश को बचाने की है।

प्रदर्शन के चलते कई मार्ग बंद, लोगों को परेशानी

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

दिल्ली में बीते दस दिनों से नागारिका संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ जामिया में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र–छात्राएं और शाहीन बाग और ओखला के स्थानीय निवासी सड़कों पर उतर कर इसके खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं।

सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज से क्राउन प्लाजा, ओखला तक मार्ग को बंद कर दिया गया है। चार पहिया वाहनों और बसों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इसका खमियाजा आसपास के इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों के साथ–साथ उन पेशेवर लोगों को भी परेशानी हो रही है, जो अपने दफ्तर इस मार्ग से होकर जाते हैं। नोएडा की ओर से दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी दिल्ली जाने वाले लोगों को डीएनडी से होकर जाना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में नोएडा में रहने वाले लोग ओखला औद्योगिक क्षेत्र और नेहरू प्लेस के अलावा दक्षिणी दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में स्थित कारखाना और दफ्तरों में काम करते हैं। पर मार्ग बंद होने की वजह से उन्हें डीएनडी से होकर जाना पड़ रहा है।

इस कारण उन्हें कई घंटे लग रहे हैं। यही कारण है कि रविवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद डीएनडी पर जाम लग गया था। इसी प्रकार जामिया नगर, ओखला, खड्डा कॉलोनी, जैतपुर, बदरपुर, शाहीन आग और सरिता विहार में रहने वाले बड़ी संख्या में लोग नोएडा फेस–2 और अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं। इस मार्ग के बंद होने की वजह से उन लोगों को भी खासी दिक्कतें हो रही है। ओखला के बटला हाउस इलाके में रहने वाली सलमा ने बताया कि उन्हें उत्तर प्रदेश के अमरोहा जाना है।

जामिया नगर और ओखला इलाके में जगह–जगह बैरिकेडिंग कर दी गई। वहीं, दूसरी ओर कालिंदी कुंज की ओर से भी वाहनों की आवाजाही बंद है। वह अपने घर के पास से ई–रिक्शा की मदद से कालिंदी कुंज तक पहुंची है। करीब दो किमी पैदल चल कर यहां तक पहुंची हैं। वह अब ऑटो से नोएडा सेक्टर–37 तक जाएंगी। वहां से उत्तर प्रदेश की रोडवेज बस से अमरोहा जाएंगी। पहले वह सराय काले खां से बस पकड़ती थी, लेकिन सुरक्षा की वजह से ओखला इलाके में कई जगह पर पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है और वाहनों की आवाजाही बंद है।

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	14.7 डि.से.	14.6 डि.से.	13.7 डि.से.	14.0 डि.से.
न्यूनतम	7.4 डि.से.	7.4 डि.से.	7.4 डि.से.	7.4 डि.से.

महिला की घर में घुसकर हत्या, आरोपी फरार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

सागरपुर में दो बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची दक्षिण-पश्चिम पुलिस को पीड़ित परिजनों ने बताया कि हत्या किराए को लेकर हुए विवाद में की गई है। पुलिस किराए विवाद सहित सभी कोण से मामले की जांच कर रही है। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक पीड़ित विजेंद्री अपने पति और बच्चों के साथ सागरपुर की दुर्गा पार्क कॉलोनी में रहती थी। उसका पति संपत्ति खरीदने बेचने का काम करता है। विजेंद्री ने अपने मकान में कुछ कमरे किराए पर दे रखे थे। शनिवार शाम छह बजे विजेंद्री अपने घर पर थी और उसके बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे। अचानक बच्चों ने तेज आवाज सुनी। बच्चों को विजेंद्री की चीख भी सुनाई दी। बच्चे दौड़कर घर में गए तो देखा कि उनकी मां सीढ़ी के पास खून से लथपथ हालत में पड़ी थी। बच्चों ने यह बात परिजनों को बताई। इसके बाद विजेंद्री को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने परिजनों को बताया कि विजेंद्री की मौत गोली लगने से हुई है। गोली उसके कान के नीचे मारी गई है।

मामले की जांच में जुटी सागरपुर थाना पुलिस ने घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो वारदात के बाद दो लोग गली में भागते हुए नजर आए। परिजनों का कहना है कि फुटेज में नजर आ रहे दोनों लोगों से विजेंद्री का किराए को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों व्यक्ति की पहचान रेस्तरां में वेटर के रूप में काम करने वालों के तौर पर की जा रही है। पुलिस अभी इस मामले में अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। पुलिस का कहना है कि अभी छानबीन जारी है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

युवक ने की आत्महत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

हर्ष विहार थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान राहुल अरोड़ा (26) के तौर हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मृतक के परिजनों से पूछताछ कर आत्महत्या करने का कारण पता लगाने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक, राहुल अरोड़ा हर्ष विहार में रहते थे। परिवार में पत्नी नीरज, बेटा और दो बेटियां हैं। राहुल की इलेक्ट्रिशियन की दुकान है। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

जेएनयू के 10 से 15 फीसद विद्यार्थी ही अन्य माध्यमों से दे रहे परीक्षा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की अन्य माध्यमों से सेमेस्टर परीक्षा आयोजित कराने की कोशिश भी विफल होती नजर आ रही है। पहले तो सभी शिक्षकों की ओर से पंजीकृत सभी विद्यार्थियों को ईमेल या वाट्सऐप पर प्रश्नपत्र उपलब्ध ही नहीं कराए हैं। जिन विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र उपलब्ध भी कराए गए हैं उनमें से बहुत कम विद्यार्थियों ने इनके उत्तर वापस भेजे हैं। कुल मिलाकर 10 से 15 फीसद विद्यार्थियों ने ही अन्य माध्यमों से परीक्षाओं में भाग लिया है। बाकी बचे विद्यार्थी परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं।

जेएनयू से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी अन्य माध्यमों (ईमेल, वाट्सऐप) आदि के जरिए आए प्रश्नपत्रों का जवाब नहीं दे रहे हैं जबकि 23 दिसंबर उत्तर भेजने की अंतिम तिथि है। उन्होंने बताय कि 10 से 15 फीसद विद्यार्थियों ने अपने उत्तर शिक्षकों को भेजे हैं। सभी विद्यार्थी एकजुट नजर आ रहे हैं और परीक्षाओं के बहिष्कार के अपने निर्णय पर अड़िग नजर आ रहे हैं। जेएनयू के विद्यार्थी करीब दो महीने से छात्रावास नियमावली और बढ़े शुल्क का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान पहले विद्यार्थियों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और उसके बाद उन्होंने परीक्षाओं का बहिष्कार का फैसला किया था।

बहिष्कार के चलते बहुत सारे विद्यार्थी 12 दिसंबर से शुरू हुई परीक्षाओं को नहीं दे पाएं थे। इनमें स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज (एसएसएस), स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (एसआइएस), स्कूल ऑफ लेंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज (एसएलएलसीएस) और स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स (एसएए) के ज्यादा विद्यार्थी शामिल थे। स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अन्य वैकल्पिक माध्यमों से परीक्षाएं कराने का निर्णय किया है ताकि सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य खराब न हो। वैकल्पिक माध्यमों में ओपन बुक परीक्षा, घर पर बैठकर परीक्षा या असाइनमेंट आदि शामिल थे।

खबरों में शहर

चौ. चरण सिंह के 118वें जन्मदिवस पर सम्मेलन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

पूर्व प्रधानमंत्री चौ. चरण सिंह के 118वें जन्मदिवस पर सत्य बहुमत पार्टी के किसान कामगार मोर्चा और उद्योग व्यापार मोर्चा ने एक सम्मलेन का आयोजन रविवार को चौ. छोटूराम भवन, केशवपुरम में किया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों ने चौ. चरण सिंह के राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक जीवन पर चर्चा की। कार्यक्रम में दिल्ली के किसान नेता, मजदूरों के नेता, व्यापारियों और समाजसेवियों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी ने कहा कि राजनीति को गठबंधन से मुक्त करके चौ. चरण सिंह के सपनों को पूरा करेंगे। पार्टी हर प्रकार से पूरी ताकत के साथ चौ. चरण सिंह के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व राष्ट्रीय चिंतन व दर्शन को देशवासियों के समक्ष रखेगी और उसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कर लागू करने का काम करेगी।

युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के आइस्टिन सभागार में नेहरू युवा केंद्र मध्य दिल्ली की ओर से तीन दिवसीय युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण का समापन हुआ। राजेश कुमार जादोन ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और तीन दिवसीय प्रशिक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत की। तीन दिवसीय युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि प्रभात कुमार वर्मा उपनिदेशक कार्यक्रम अधिकारी नेहरू युवा केंद्र संगठन, विशिष्ट अतिथि श्याम सुंदर जोशी उपनिदेशक दिल्ली, शाहिद अहमद जमाल, प्रशासनिक अधिकारी गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति और डॉ सुमन कुमार प्रोफेसर राजधानी कॉलेज से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मोहित कुमार भारतीय राज्य प्रशिक्षक द्वारा किया गया।

पूर्वी दिल्ली निगम ने शुरू किया यूपिक सर्वेक्षण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने शाहदरा में विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड (यूपिक) सर्वे की शुरुआत कर दी। निगम के संपत्ति कर विभाग ने भोलानाथ नगर, शाहदरा में यूपिक जारी करने हेतु जरूरी सर्वे का कार्य प्रारंभ किया है। भोलानाथ नगर, समुदाय भवन में आयोजित कार्यक्रम में आरडब्लूए के पदाधिकारियों, प्रबुद्धजनों और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया। निगम अधिकारियों ने यूपिक सर्वे के संबंध में लोगों की शंकाओं और सुझावों को सुना और स्पष्टीकरण दिया।

कार्यक्रम के दौरान मेयर अंजु कमलकांत ने कहा कि यूपिक जारी होने के बाद पूर्वी दिल्ली की संपत्तियों को विशिष्ट पहचान मिलेगी जिससे संपत्ति का कर भुगतान और अधिक सुगम व पारदर्शी हो जाएगा।

इनामी बदमाश गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जमशेद गिरोह के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के सदस्यों ने सात राज्यों में आतंक मचा रखा था। यह बदमाश रुपए से भरे एटीएम को लूट लेता था। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान वकील उर्फ शकील (27) के तौर पर हुई है। आरोपी पलवल, हरियाणा का रहने वाला है। यह गिरोह एटीएम काटकर या उसे उखाड़कर अपने साथ ले जाते थे। बाद में एटीएम से नकद निकाल लेते थे। मध्य प्रदेश और उत्तर-प्रदेश पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था।

आज के कार्यक्रम

फिल्म

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : फिल्म महोत्सव, सीडी देशमुख सभागार, सेंटर परिसर, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

प्रदर्शनी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : संगीत पाठक की कलाकृतियों की प्रदर्शनी, सेंटर एनेक्स आर्ट गैलरी, 40 मैक्समूलर मार्ग, सुबह 11 बजे।

रंगदारी न देने पर व्यापारी को गोली मारी, हालत गंभीर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

रंगदारी नहीं देने पर एक व्यवसायी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। रविवार सुबह उत्तम नगर के वाणी विहार के रहने वाले पीड़ित राजेश बंसल (48) का ऑपरेशन एक अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच शुरू कर दी है।

द्वारका जिला के बिंदापुर थाना इलाके में रविवार सुबह साढ़े 11 बजे मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने एक व्यापारी को दिनदहाड़े गोली मार दी। व्यापारी को पेट और बांह में दो गोली लगी है। राजेश बंसल को चानन देवी अस्पताल जनकपुरी में भर्ती कराया गया है जहां उनका ऑपरेशन किया गया। बंसल के बेटे गौरव बंसल का आरोप है कि इलाके के कुछ बदमाश उन्हें और उनके परिवार को कई बार फोन कर 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। उनका रिक्शा बेचने का व्यवसाय है। उनके भाई का जमीन खरीदने और बेचने सहित मकान बनाने की सामग्री का कारोबार है। कई बार फोन करने के बाद भी जब बदमाशों के पास रुपए नहीं पहुंचाए गए तो रविवार को गोली मारने की वारदात सामने आई। गौरव का कहना है कि उनका चार भाईयों का भरा पूरा परिवार है और छोटा सा व्यवसाय है। बदमाशों को गलतफहमी है कि उनके पास बहुत सारे रुपए हैं अलबत्ता वे फोन कर धमकाते भी हैं और 50 लाख रुपए की मांग भी की है।

सीएए के बारे में गांव-गांव जाकर समझाएंगे किसान यूनियन कार्यकर्ता

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर पैदा हुए अराजक और भय के माहौल को दूर करने के लिए भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने नई मुहिम शुरू की है। लोगों को समझाने और शांति बनाए रखने के लिए संगठन के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को समझाएंगे। वहीं, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में रविवार को एक समुदाय के सदस्यों ने डीएम बीएन सिंह को ज्ञापन सौंपा।

सेक्टर-27 स्थित कैंप कार्यालय पर रविवार को एक खास समुदाय के सदस्यों ने डीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। डीएम ने ज्ञापन को शासन स्तर तक भेजकर सरकार तक उनकी बात पहुंचाने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर मौजूदा परिस्थितियों का हवाला देते हुए शांति व्यवस्था और आपसी सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील की। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति की रविवार को बरौला स्थित कार्यालय पर अहम बैठक हुई।

बैठक की अध्यक्षता बलराम यादव और संचालन श्याम सिंह यादव ने किया। जिसमें मुख्य रूप से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में अराजकता एवं भय का माहौल पैदा करने वालों से सावधान रहने और लोगों को समझाकर शांति बनाए रखने की अपील की गई। कानून के बाबत सच्चाई को सही ढंग से क्षेत्र में प्रस्तुत कर अराजक लोगों के मंसूबों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी पदाधिकारियों को सौंपी।

सीएए देश के 135 करोड़ नागरिकों को देगा अधिकार : डॉ शर्मा

सेक्टर-52 बारात घर में रविवार शाम नागरिकता संशोधन कानून के तत्वाधान में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉ. महेश शर्मा ने अल्पसंख्यक समाज को संबोधित करते हुए कहा कि इसका धर्म से कोई मेल नहीं है। विश्वास दिलाया कि संसद में इस कानून के पारित होते समय मौजूद थे। इसमें देश में रह रहे 135 करोड़ नागरिकों को अधिकार देने की बात है, छीनने का नहीं। कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने युवाओं व विद्यार्थियों को निशाना बनाकर देश के कुछ राज्यों में हिंसा और आगजनी फैला रहे हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इस अवसर पर भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित बेनीवाल, महामंत्री भाजपा पश्चिमी उप्र एवं युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री सतेंद्र नागर मौजूद थे।

शांति दूतों का होगा सम्मान

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 22 दिसंबर।

अल्पसंख्यक समाज के संवेदनशील, बुद्धिमान और अमन पसंद लोगों को स्थिति को नियंत्रण में करने पर जिला प्रशासन सम्मानित करेगा। जिलाधिकारी अजय पांडे ने बताया कि पिछले जुमे की नमाज के बाद शांति व्यवस्था कायम रखने पर सकारात्मकता की मशाल जलाने वाले मुसलिम समाज के शांति दूतों को सम्मानित किया जाएगा।

बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट समेत जेपी स्पोर्ट्स सिटी को अपने कब्जे में लेगा यीडा

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 22 दिसंबर।

बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट समेत समूची जेपी स्पोर्ट्स सिटी का आबंटन यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक प्राधिकरण (यीडा) ने निरस्त कर दिया है। इस फैसले से करीब एक हजार हेक्टेअर से अधिक जमीन को प्राधिकरण अपने कब्जे में लेगा। इस जमीन पर बनी परियोजनाएं भी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आएंगी। बकाया वसूली के लिए यीडा इंटरनेशनल सर्किट और अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान की नीलामी कर सकता है। इस जमीन पर जिन परियोजनाओं को जेपी समूह बना रहा है, उसके निवेशकों की रकम वापस कराई जाएगी या फिर किसी सरकारी एजंसी के मार्फत पूरा कराया जाएगा। जिन बिल्डरों को जेपी ने जमीन बेची है, उनकी रजिस्ट्री अब यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण करेगा।

66वीं बोर्ड बैठक में आबंटन रद्द करने का लिया गया फैसला

करीब एक हजार से अधिक हेक्टेअर जमीन है स्पोर्ट्स सिटी के पास

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की शनिवार को हुई 66वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। 2009 में जेपी कंपनी को स्पेशल इकनोमिक जोन (एसईजेड) के नाम पर सेक्टर-25 के पास करीब एक हजार हेक्टेअर से अधिक जमीन आबंटित हुई थी। यह जमीन तीन भाग 311, 646 और 58 हेक्टेअर के रूप में दी गई। इसी जमीन पर जेपी स्पोर्ट्स सिटी और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्थित है। स्पोर्ट्स सिटी में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान भी है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में तीन बार फॉर्मूला वन रेस का आयोजन हो चुका है। बताया गया है कि कंपनी ने 2010 तक किश्तों का भुगतान किया।

आम्रपाली खरीदारों को मिलेगा रजिस्ट्री का अधिकार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 दिसंबर।

आम्रपाली समूह के हजारों खरीदारों को नववर्ष के तोहफे के रूप में रजिस्ट्री का अधिकार मिलेगा। इसके लिए लीज डीड के प्रारूप पर नोएडा और कोर्ट रिसीवर के बीच सहमति बन गई है। जनवरी के पहले सप्ताह से रजिस्ट्री का काम शुरू होने की उम्मीद है। त्रिपक्षीय रजिस्ट्री के लिए प्राधिकरण की तरफ से किया जाने वाले सत्यापन कार्य भी अंतिम चरण में है। पहले चरण में सेक्टर-45 स्थित आम्रपाली सैफायर-1 व 2 के खरीदारों की रजिस्ट्री होगी।

आम्रपाली के करीब दस हजार खरीदारों को मालिकाना हक देने के लिए रजिस्ट्री की जानी है। इसके लिए अदालत ने एक रिसीवर नियुक्त किया है। शीर्ष अदालत के आदेश पर आम्रपाली की विभिन्न परियोजनाओं के खरीदारों का दस्तावेजीकरण और भौतक सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण कर्मियों की एक टीम मौके पर जाकर जांच और भौतिक सत्यापन कर रही है। सत्यापन कार्य की शुरुआत सेक्टर-45 स्थित सैफायर-1 परियोजना से शुरू हुई थी। जिसमें करीब 800 और सैफायर-2 परियोजना के करीब 630 खरीदारों का सत्यापन कार्य किया जा चुका है। सत्यापन के बाद खरीदारों को मालिकाना हक देने के लिए रजिस्ट्री होनी है। रजिस्ट्री के लिए प्राधिकरण की तय लीज डीड की शर्तों में आम्रपाली मामले को लेकर कुछ संशोधन किए जाने थे। इन संशोधनों पर प्राधिकरण और कोर्ट रिसीवर की एक राय होना जरूरी है।

पांच महीने बाद दर्ज हुआ लापता महिला का मामला

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 दिसंबर।

थाना फेज टू पुलिस ने पांच महीने बाद पत्नी के अपहरण का मामला दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश पर थाना फेज टू पुलिस ने मामला दर्ज किया है। थाने के लगातार चक्कर काटकर थक चुके पीड़ित ने मामला दर्ज कराने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। नरेंद्र अपने परिवार के साथ सेक्टर-87 नया गांव में रहते हैं। पड़ोस में उसी के गांव के मिक्की पासवान का परिवार रहता है। नगेंद्र के मुताबिक, मिक्की के परिवार से उनकी पुरानी रंजिश है। रंजिश के कारण मिक्की पासवान ने 15 जुलाई 2019 को उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। नगेंद्र ने अपने रिश्तेदार, परिचितों समेत सभी जगह पर पत्नी की तलाश की। लेकिन कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद 17 जुलाई को थाना फेज टू में शिकायत देकर मामला दर्ज करने और पत्नी को बरामद करने की गुहार लगाई। आरोप है कि शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

दिखावटी शौचालय

स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम में अव्वल नंबर पर आने की कवायद में जुटे प्राधिकरण की तैयारी को कुछ अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। इन अधिकारियों ने ओडीएफ प्लस प्लस योजना का दिखावा करने के लिए चौराहे समेत विभिन्न भीड़भाड़ वाले इलाकों पर रखे अस्थायी शौचालय स्वच्छता के बजाए गंदगी का पर्याय साबित हो रहे हैं। सेक्टर-49 स्थित ग्रीन वैली चौराहे पर थाने के पास रखा गया अस्थायी सामुदायिक शौचालय इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। इसके इस्तेमाल के लिए आने वालों को आसपास काफी इलाके में फैले गंदे पानी में होकर आना पड़ रहा है। टीन शैड के बने इस शौचालय में जाले, पत्थर, ईंट पड़े हैं। अनुपयोगी स्थिति में खड़े किए गए इस अस्थायी शौचालय के बाहर से उपयोगी दिखाते हुए फोटो खींचकर रोजाना संबंधित स्वास्थ्य कर्मी वॉट्सएप पर उच्चाधिकारियों को भेज रहे हैं। यानी कागजों में ये शौचालय उस सूची में शामिल हैं, जिसे शहर में ओडीएफ प्लस प्लस योजना के तहत लगाया गया है। भले ही अधिकांश जगहों पर लगे ऐसे शौचालय उपयोग युक्त साबित नहीं हो रहे हैं। बहरहाल उनकी संख्या की गिनती कर प्राधिकरण अधिकारी स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने का दावा कर रहा है।

जनहित में फैसले

दिल्ली सरकार इन दिनों चुनावी मूड में दिखाई दे रही है। एक के बाद एक फैसले जनहित में लिए जा रहे हैं। इसी के तहत सरकार ने दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए कमर कसने का दावा किया है। करीब पांच साल पहले यमुना को छह महीने में साफ करने के वादे के साथ सरकार जाने किस मुहिम में मशगूल हो गई कि नाले अभी तक यमुना में जाना बंद नहीं हुए। एक बार फिर यमुना सफाई की बिगुल फूंक चुकी सरकार के कदम ही बताएंगे कि यह वास्तव में सफाई करना चाहती है या केवल एक बार फिर चुनावी वादा।

राष्ट्रगान की ढाल

जंतर मंतर पर नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी के खिलाफ विद्यार्थियों और आम लोगों का प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल जंतर मंतर पर तैनात था। दोपहर से शाम तक लोग प्रदर्शन करते रहे और अपनी मांगों को नारों की मदद से बताते रहे। लोगों को यहां शाम तक प्रदर्शन करने की इजाजत पुलिस प्रशासन की ओर से दी गई थी। शाम होते ही जब पुलिसकर्मी प्रदर्शन कर रहे लोगों को उठाने के लिए चले तो लोगों ने तुरंत राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। क्योंकि राष्ट्रगान बजते समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहना अनिवार्य होता है तो ऐसे में पुलिसकर्मी सावधान खड़े होकर राष्ट्रगान गाने लगे। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया।

मुख्यमंत्री की होशियारी

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की राजनीति कम लोगों के समझ में आ रही है। वे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हाशिए पर बता कर भाजपा से सीधे भिड़ना चाहते हैं लेकिन नागरिक संशोधन कानून(सीएए) पर अपनी रणनीति का खुलासा नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के वोटों के समीकरण में अल्पसंख्यक मतदाताओं की हैसियत किसी दल को कुछ सीटों को जीताने भर की है, केवल उनके बूते सरकार नहीं बन सकती है। केजरीवाल को पता है कि सीएए का खुलकर विरोध करने पर बहुसंख्यकों का एक बड़ा तबका उनके खिलाफ हो जाएगा। फ्री की घोषणाएं करके मध्यमवर्ग को भाजपा से तोड़ने की जुगत में लगे केजरीवाल को निराशा हाथ लगेगी। वे मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस के कमजोर होने से अल्पसंख्यकों का वोट उन्हें ही मिलेगा। इसलिए आप के नेता सीएए का विरोध करने का उपक्रम करते दिख रहे हैं लेकिन बड़े नेता खुलकर आंदोलनों में शामिल नहीं हो रहे हैं। स्थानीय आप विधायकों को भी ज्यादा सक्रिय न दिखने की भी हिदायत दी जा रही है।

भाजपा के मुद्दे

अब तो यह तय सा हो गया है कि भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव 'आप' सरकार की विफलता से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ेगी। भाजपा के नेताओं को लगता है कि देश की राजधानी होने के चलते दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी रहेंगे। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर बनाने से लेकर नागरिक संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी को ज्यादा जोर-शोर से उठाने की तैयारी है। दिल्ली की करीब 1800 कालोनियों को नियमित करने आदि मुद्दे तो अपनी जगह रहने ही वाले हैं लेकिन जब चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ने की कोशिश होगी तो मुख्यमंत्री केजरीवाल के बिजली-पानी फ्री घोषणाणों से लोगों का ध्यान हटेगा। भाजपा नेता इसको मुख्य मुद्दा बनाकर हर इलाके में कार्यक्रम कर रहे हैं।

खराब डिजिटल रथ

शुक्रवार को भाजपा ने दिल्ली वालों को कच्ची कॉलोनी का गणित समझाने के लिए डिजिटल रथ तैयार किए हैं। ये रथ पहले ही दिन तकनीकी गड़बड़ी का शिकार हो गए। प्रदेश अध्यक्ष ने जैसे ही इस रथ का उद्घाटन किया तो रथ चंडीगढ़ की कहानी बताने लगे। ये रथ पहले चंडीगढ़ के एक प्रत्याशी के लिए प्रयोग किए गए थे। जिनसे इनका प्रयोग प्रचार के लिए किया था। इस वजह से रथ उस प्रत्याशी के लिए वोट मांगता और चंडीगढ़ समझाता नजर आया। कई जगहों पर ये रथ फिल्मी गानों की धुन पर भी दौड़ते नजर आए। इस पर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि चिंता मत करो आपको हरियाणी संगीतकार सपना चौधरी के गाने भी सुना देंगे।

राजनीतिक बयानबाजी

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में आग लगी हुई है और कुछ दल राजनीतिक रोटियां सेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। हिंसक घटनाओं को लेकर तरह-तरह की बयानबाजी और पोस्टरबाजी का दौरान चल रहा है। आलम यह है कि लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की बजाय कार्यकर्ताओं को अपने विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए सड़कों पर उतार रहे हैं। यही नहीं एक पार्टी तो चुनाव नजदीक होने की बात कह कर चुनाव अभियान चलाने में व्यस्त है। हैरानी की बात यह है कि विरोध-प्रदर्शन कर सत्ता पर काबिज होने वाले पार्टी के नेताओं के साथ इतना वक्त भी नहीं कि हिंसक झड़प में घायल हुए लोगों और छात्रों से मिल कर उनका हालचाल लें। उल्टा कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार कर माहौल को अपने पक्ष में करने की अपील कर रह हैं, तभी कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसका फायदा मिलता है या नहीं।

-बेदिल

www.readwhere.com

गिरफ्तारी वारंट पर स्पष्टीकरण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे : थरूर

तिरुवनंतपुरम, 22 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने रविवार को कहा कि वह एक वकील द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने की खबर के बारे में स्पष्टीकरण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, जो 1989 में लिखी उनकी किताब ह्यह्लद ग्रेट इंडियन नॉवेलह्लह्ल में हिंदू महिलाओं को कथित तौर पर बदनाम करने के लिए दायर किया गया है।

शिकायतकर्ता अधिवक्ता संध्या ने कहा कि तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट 21 दिसंबर को जारी किया गया जब वे मानहानि के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं हुए।

संध्या ने कहा, 'उन्होंने (थरूर) अपनी पुस्तक 'द ग्रेट इंडियन नॉवेल' में नायर महिलाओं के खिलाफ एक मानहानिकारक टिप्पणी की थी।' उन्होंने कहा, 'मैंने अप्रैल में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत मामला दायर किया था। अदालत ने उन्हें सम्मन जारी कर 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था। वह ऐसा करने में विफल रहे।' थरूर ने रविवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि वे न्यायपालिका का काफी सम्मान करते हैं और उनका अदालत की अवमानना का कोई इरादा नहीं था।

थरूर ने कहा, 'कई लोगों ने भाजपा महिला मोर्चा की एक वकील द्वारा मेरी 30 वर्ष पुरानी पुस्तक 'ग्रेट इंडियन नॉवेल' में एक पंक्ति के बारे में दायर मामले के बारे में मीडिया में आइ खबरों के बारे में सवाल किए हैं।'

उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं न्यायपालिका का काफी सम्मान करता हूं और अदालत की अवमानना का मेरा कोई इरादा नहीं था। जैसा कि देखा जा सकता है कि मैंने सम्मन की प्रति संलग्न की है जिसमें कोई तिथि निर्दिष्ट नहीं है।'

सरकारी अधिकारियों ने रास के एक पैनल को बताया

एन्क्रिप्शन के बहाने वाट्सऐप जैसे प्लेटफार्म नहीं कर रहे सहयोग

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

सरकारी अधिकारियों ने राज्यसभा के एक पैनल को बताया है कि वाट्सऐप और सिग्नल जैसे प्लेटफार्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का हवाला देते हुए कानून लागू करने वाली एजंसियों के साथ सहयोग नहीं करते हैं और यहां तक कि कानून के तहत किए गए अनुरोध का सम्मान भी नहीं करते हैं। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का अर्थ है कि संदेश तक सिर्फ भेजने वाले और पाने वाले की पहुंच होती है। कोई और इस बारे में नहीं जान सकता। यह पैनल सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के मुद्दे और बच्चों पर इसके प्रभावों की पड़ताल कर रहा है।

इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा के सभापति ने सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी और बच्चों तथा समाज पर इसके प्रभाव के खतरनाक मुद्दे पर एक तदर्थ समिति का गठन किया था। इस पैनल में 10 राजनीतिक दलों के 14 सदस्य शामिल हैं और इसकी कई बैठकें हो चुकी हैं। इसने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार नियामक ट्राई और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से इस बारे में चर्चा की है।

पैनल के समक्ष मंत्रालय ने टिप्पणी में कहा कि उन्हें पोर्नोग्राफी के मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और 'जब सूचना या जांच की बात कही जाती है तो (वे) दावा करते हैं कि वे मेजबान देश के कानून से संचालित हैं।' समिति की अध्यक्षता जयराम रमेश कर रहे हैं। समिति अगले महीने एक रिपोर्ट सौंप देगी। समूह के सदस्यों में अमर पटनायक, अमी याज्ञिक, डोला सेन, जया बच्चन, कहकशां परवीन, राजीव चंद्रशेखर, एम वी राजीव गौड़ा, रूपा गांगुली, संजय सिह, तिरुचि शिवा, वंदना चव्हाण, विजिला सत्यनाथ और विनय पी सहस्त्रबुद्धे शामिल हैं।

झेलम नदी पर पुल बनाने के लिए मस्जिद गिराने पर मुसलिम समुदाय सहमत

श्रीनगर, 22 दिसंबर (भाषा)।

झेलम नदी पर लंबे समय से बहुप्रतीक्षित पुल के काम को पूरा करने के लिए यहां मुसलिम समुदाय ने 40 साल पुरानी एक मस्जिद को गिराए जाने पर सहमति व्यक्त की।

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि मस्जिद और कुछ आवासीय तथा वाणिज्यिक संरचनाओं की मौजूदगी समेत कुछ अड़चनों के कारण 2002 से परियोजना का काम लंबित था। उन्होंने बताया कि कमरवारी के रामपुरा क्षेत्र में श्रीनगर जिला विकास आयुक्त शाहिद इकबाल चौधरी और मस्जिद अबू तुराब की प्रबंध समिति के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर के 24 घंटे बाद शनिवार को मस्जिद गिराने का काम शुरू हुआ। यह दूसरा अवसर है जब उपायुक्त के प्रयासों से महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं पर रुके हुए काम को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने श्रीनगर को बारामूला से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए जैनाकोट में ऐतिहासिक दमदमा साहिब गुरुद्वारे के प्रबंधन से सफल बातचीत की थी।

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA.)

Vaxtex

VAXTEX COTFAB LIMITED

CIN: U51109GJ2005PLC076930

Our Company was incorporated as "**Foolproof Vyapaar Private Limited**" at Kolkata, West Bengal as a Private company under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated December 26, 2005 bearing Corporate Identification Number U51109WB2005PTC106869 issued by Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal. Consequent the name of the company was changed from "**Foolproof Vyapaar Private Limited**" to "**VaxtexCotfab Private Limited**" as approved by shareholders of our company pursuant to a special resolution dated December 18, 2015 and Certificate of Incorporation was issued by Registrar of Companies Ahmedabad, Gujarat dated December 30, 2015. Consequent upon the conversion of our Company to public limited company and as approved by the shareholders of our company pursuant to a special resolution dated March 05, 2018, the name of our Company was changed to "**VaxtexCotfab Limited**" and fresh certificate of incorporation dated March 21, 2018 was issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad, Gujarat. The Corporate Identification Number of our Company is U51109GJ2005PLC076930.For details of change in name and address of our Registered Office, see "History and Certain Corporate Matters" on page 129 of this Prospectus.

Registered Office : Survey No. 230, Opp. Mariya Park, B/h. Ranipur Village, Saijpur - Gopal, Narol, Ahmedabad–382405, Gujarat, India.
Contact Person: Mr.Tej Bharatbhai Hanj, Company Secretary and Compliance Officer
Tel No.: 9724496973/9727123004; **Email:** vaxtexcotfab@gmail.com; **Website:** www.vaxtexcotfab.com

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 15,96,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10 EACH OF VAXTEX COTFAB LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 24/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 14/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS.383.04 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 84,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS. 24/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF 14/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 20.16 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF UPTO 15,12,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF 10 EACH AT A PRICE OF RS. 24/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 362.88 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.50% AND 25.10% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS RS 10 AND THE ISSUE PRICE IS 2.4 TIMES OF THE FACE VALUE.

THIS ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED FROM TIME TO TIME
For further details, please see "Issue Related Information" beginning on page no. 228 of the Prospectus.
MINIMUM APPLICATION SIZE OF 6000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 6000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

ISSUE OPENS ON : FRIDAY, DECEMBER 27, 2019
CLOSES ON : FRIDAY, JANUARY 03, 2020

ASBA* Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!! Mandatory in Public Issues from January 01, 2016 No Cheque will be accepted.

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.

Now available in ASBA for Retail Individual Investors applying through Registered Brokers, DPs & RTAs.

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

*ASBA is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account.
For further details check section on ASBA below.
*ASBA has to be availed by all the investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors.

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 237 of the Prospectus. The process is also available on the website of AIBI and Exchanges in the General Information Document."
ASBA application forms can be downloaded from the website of National Stock Exchange of India Limited and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

Applicants should ensure that DP ID, PAN and the Client ID are correctly filled in the Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Application Formshould match with the DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Application Form isliable to be rejected. Applicant should ensure that the beneficiary account provided in the Application Form is active. Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID and Client ID as provided in the Application Form, the Applicant may be deemed to have authorized theDepositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Applicantas available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for any correspondence(s) related to the Issue. Applicantsare advised to update any changes to their Demographic Details as available inthe records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk.

PROMOTERS OF THE COMPANY MR. KHUSHANT GUPTA, MR. MITHLESHKUMAR M AGRAWAL, M/S QMIN PHARMA PRIVATE LIMITED AND M/S MIRACLE STORES PRIVATE LIMITED

LISTING: The Equity Shares issued through the Prospectus are proposed to be listed on the Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE"). Our Company has received an in-principle approval letter dated September 13, 2019from NSE for using its name in the Offer Document and for listing of our shares on the Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange will be the National Stock Exchange of India Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: The Issue is being made in terms of Regulation 229(1)of the SEBI (ICDR) Regulations 2018, the Draft Offer Document was filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not Offer any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page no. 216 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by National Stock Exchange of India Limited("NSE") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has cleared, solicited or approved by NSE nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus on page no. 222 for the full text of the Disclaimer Clause of NSE.

GENERAL RISK: Investment in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page no. 17 of the Prospectus.

RISK IN RELATION TO THE FIRST ISSUE: This being the first public Issue of Equity Shares of our Company, there has been no formal market for the Equity Shares. The face value of the Equity Shares is Rs. 10/- each. The Issue Price as stated in "Basis for Issue Price" on page 80 of this Prospectus should not be taken to be indicative of the market price of the Equity Shares after the Equity Shares are listed on the Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited. No assurance can be given regarding an active and/or sustained trading in the Equity Shares nor regarding the price at which the Equity Shares will be traded after listing.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Main Objects of the Company as per MoA: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page no. 129 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page no. 340 of the Prospectus

Liability of Members as per MoA: The Liability of the members of the Company is Limited.

Capital Structure: Authorised Share Capital Rs. 625.00 Lakhs consisting of 62,50,000 Equity Shares of Rs. 10 each. Pre Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital is Rs. 442.75 Lakhs consisting of 44,27,500 Equity Shares of Rs. 10 each. Post Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital is Rs. 602.35 Lakhs consisting of 60,23,500 Equity Shares of Rs. 10 each. For details of the Capital Structure, please refer to the chapter titled "Capital Structure" beginning on page no. 60 of the Prospectus.

Names of the signatories to the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: (1) Sukanta Kumar Sahu: 5,000 equity shares of Rs. 10 each and (2) Sanjeev Kumar Singh: 5,000 equity shares of Rs. 10 each. For details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page no. 129 of the Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see "Capital Structure" on page no. 60 of the Prospectus.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
CAPITALSQUARE TR Teaming together to create value **CAPITALSQUARE ADVISORS PRIVATE LIMITED** 208, 2nd Floor, AARPEE Center, MIDC Road No 11,CTS 70,Andheri (E), Mumbai-400093 Maharashtra, India **Tel:** +91-22-66849999; **Fax:** +91-22-66849998 **Website:** www.capitalsquare.in **Email/Investor Grievance Id:** mbd@capitalsquare.in **Contact Person:** Mr. Tanmoy Banerjee/Mr. Saket Jain **SEBI Registration No:** INM000012219	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** Address : 1ST Floor, Bharti Tin Work Building, Opp Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (E) Mumbai: 400059 **Tel No:** +91 020-62638200; **Fax No:** +91 022-62638299 **Website:** www.bigshareonline.com **Email Id:** ipo@bigshareonline.com **Investor Grievance Id:** investor@bigshareonline.com **Contact Person:** Mr. Swapnil Kate **SEBI Registration No:** INR000001385	vaxtex **VAXTEX COTFAB LIMITED** **Mr. Tej Bharatbhai Hanj** Survey No. 230, Opp. Mariya Park, B/h. Ranipur Village, Saijpur - Gopal, Narol, Ahmedabad – 382405, Gujarat, India. **Telephone:** 7244969 73/9727123004; **Fax:** N.A **Email id:** vaxtexcotfab@gmail.com **Website:** www.vaxtexcotfab.com Applicants can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any Pre- Issue or Post-Issue related problems, such as non-receipt of Allotment Advice or credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or unblocking of funds, etc.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus is available on the websites of the Company, the Lead Manager, the SEBI and the Stock Exchange at www.vaxtexcotfab.com, www.capitalsquare.in, www.sebi.gov.in and www.nseindia.comrespectively.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company and Office of the Lead Manager, Capital Square Advisors Private Limited. Application Forms can also be obtained from the Stock Exchange and list of SCSBs available on the website of SEBI at www.sebi.gov.inand website of Stock Exchange at www.nseindia.com.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed of by all investors. Further as per SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018, all Retail Individual Investors can also apply through Unified Payments Interface ("UPI"). The investor is required to fill the Application form and submit the same to the relevant SCSB or the Registered Brokers at Broker Center or the RTA or the CDP. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in Application form and undertake other tasks as per the specified procedure. On Allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for Allotment of Equity Shares. Hence, there will be no need for refunds. For more details on the ASBA process, please refer to the section, "Issue Procedure" beginning on page no. 237 of the Prospectus.

BANKER TO THE ISSUE& SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated December 19, 2019.

For, **VAXTEX COTFAB LIMITED**
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Managing Director

Place : Ahmedabad, Gujarat
Date : December 21, 2019

Vaxtex Cotfab Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Ahmedabad. The Prospectus shall be available on the websites of the Company, the NSE and the LM at, www.vaxtexcotfab.com, www.nseindia.com and www.capitalsquare.in respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including, the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 17 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be offered and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Application may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

Garima Advt

PUBLIC ANNOUNCEMENT
POST DELISTING EXIT OFFER TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

RICOH INDIA LIMITED

CIN: L74940MH1993PLC074694
Registered Office: 1132,3rd floor, Building No. 11, Solitaire Corporate Park, Guru Hargovindji Marg, Andheri Ghatkopar Link Road, Chakala, Andheri East, Mumbai- 400 093
Tel No.: +91-022-66833000-05; **Fax:** +91-022-67032099; **Email:** ril.secretarial@ricoh.co.in; **Website:** www.ricoh.co.in

This public announcement (**"Post Delisting Public Announcement"**) is being made by Mr. Kalpraj Dharamshi and Ms. Rekha Jhunjhunwala (hereinafter collectively referred to as the **"Resolution Applicants"**/ **"Acquirers"**) to inform all Equity Shareholders regarding the successful completion of delisting process and to provide an Exit opportunity to the Residual Public Shareholders of Ricoh India Limited (**"Ricoh"/ the "Company"**), holding 82,48,768 equity shares of ₹10/- each in the Company (**"Offer Shares"**) in the Post Delisting Exit Offer (**"Offer"**). The Exit Offer is a part of the Resolution Plan approved by the Mumbai bench of Hon'ble National Company Law Tribunal (**"NCLT"**) vide its order dated November 28, 2019 under Section 10 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (**"Code"**).

BSE Limited (**"BSE"/ "Stock Exchange"**) in terms of its notice no. 20191219-20 dated December 19,2019 read with notice no. 20191220-2 dated December 20, 2019 respectively has stated that the equity shares of Ricoh India Limited will be delisted with effect from Monday, December 23, 2019 from BSE, being the only stock exchange where the equity shares of Ricoh were listed, and trading of shares shall be discontinued.

This Advertisement should be read in conjunction with the Public Announcement published on Tuesday, December 03, 2019 (**"PA"**) and Post Offer Public Announcement published on Monday, December 16, 2019, in the Financial Express (English Edition) Jansatta (Hindi Daily) and Mumbai Lakshwadeep (Marathi Daily) and the Delisting Exit Offer Letter dated Monday, December 02, 2019 (**"Delisting Exit Letter of Offer"**) issued in connection with the Delisting Exit Offer of fully paid-up equity shares of ₹ 10/- each (**"Equity Shares"**) of Ricoh. The terms used but not defined in this Advertisement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement, Post Offer Public Announcement and the Delisting Exit Letter of Offer.

1. The Acquirers now invite all Residual Public Shareholders of the Company to tender, on the terms and subject to the conditions set out below and the Delisting Exit Offer Letter, their fully paid up equity shares in the Company.
2. Delisting of the equity shares of the Company means that the equity shares of the Company cannot and will not be traded on BSE from that date.
3. This public announcement is to inform the Residual Public Shareholders who were unable to participate in the delisting offer or who unsuccessfully tendered their Equity Shares during the Delisting Period that, as a holder of the equity shares in the Company, they still have an exit opportunity to tender their shares for a period of one year from the Date of Delisting.
4. The Residual Public Shareholders can download a copy of the Delisting Exit Letter of Offer from the website of the Company, Manager to the Offer and Registrar to the Offer at www.ricoh.co.in, www.keynoteindia.net and www.mcsregistrars.com respectively.
5. **Subject to clause 6 below, the Residual Public Shareholders can tender their Equity Shares to the Acquirer at the Exit Price of ₹ 50/- per equity share of ₹ 10/- each at any time from Monday, December 23, 2019 till Tuesday, December 22, 2020 (both days inclusive) (the "Exit Window"/ "Exit Offer Period"), on the terms and subject to the conditions as set out in this Delisting Exit Letter of Offer.**
6. Currently the exit price for the Equity Shares as per the Approved Plan is ₹ 50/- (Rupees Fifty Only) per Equity Share of ₹ 10/- each (**"Exit Price"**). Further, in terms of the order approved by Hon'ble NCLT, the share capital of Ricoh India Limited will be reorganized.

   Pursuant to the reorganization as envisaged, the equity share capital held by the public shareholders will be reduced from ₹ 10,49 77,910 comprising of 1,04,97,791 equity shares of ₹ 10/- each fully paid up to ₹ 4,19,91,164 divided into 1,04,97,791 equity shares of ₹ 4/- each fully paid up. Immediately thereafter, 1,04,97,791 equity shares of ₹ 4/- each as reduced shall be consolidated into 41,99,116 fully paid-up equity shares of ₹ 10/- each.

   If the residual shareholders tender their equity shares anytime during the offer period but after the reorganisation of share capital i.e. after the reduction of face value from ₹ 10/- to ₹ 4/- and reconsolidation of face value from ₹ 4/- to ₹ 10/-, the delisting exit price for those shareholders, whose shareholding has been reorganized on account of the aforesaid reduction of face value from ₹ 10/- to ₹ 4/- and reconsolidation of face value from ₹ 4/- to ₹ 10/- shall be amended to ₹ 125/- per equity share (Rupees One Hundred and Twenty Five only) (**"Exit Price Post Reconstitution of Share Capital"**). While the adjusted amount paid i.e. the Exit Price Post reconstitution of Share Capital, will increase to ₹ 125/- per equity share (Rupees One Hundred and Twenty Five only), but on account of reduction of face value from ₹ 10/- to ₹ 4/- and reconsolidation of face value from ₹ 4/- to ₹10/- the amount of consideration payable to the public shareholders will remain the same, on account of the aforesaid reduction and reconsolidation of face value of the equity shares.
7. **How to avail the Offer:**

   In order to participate in the Offer, the Residual Shareholders will have to take the following steps, in accordance with the terms and conditions set out herein and in the Delisting Exit Offer Letter:

   (a) **Residual Shareholders holding shares in dematerialized form:**

   Step 1: Eligible Public Shareholders must transfer their dematerialised Equity Shares from their respective depository account, in off-market mode, to the Special Depository Account with the Central Depository Services of India Limited opened with Keynote Capitals Limited, details of which are as follows:

Depository	Central Depository Services (India) Limited
Special Depository Account Name	RICOH INDIA LIMITED – DELISTING EXIT OFFER – OPERATED BY MCS SHARE TRANSFER AGENT LTD
Depository Participant	Keynote Capitals Limited
DP ID	12024300
Client ID	00082649

   Eligible Shareholders having their beneficiary account in National Securities Depository Limited shall use the inter-depository delivery instruction slip for the purpose of crediting their Equity Shares in favour of the Special Depository Account with CDSL.

   Step 2: Submit the application form enclosed with the Delisting Exit Offer Letter (**"Application Form"**) duly completed and signed along with a photocopy of the delivery instructions or counterfoil of the delivery instructions submitted to the depository participant of the Residual Shareholder's depository account and duly acknowledged by such depository participant evidencing transfer of shares to the Special Depository Account as mentioned above, MCS Share Transfer Agent Limited (**"Registrar to the Delisting Exit Offer"**).

   The aforesaid documents can be submitted by hand delivery or by Registered Post to the **Registrar to the Delisting Exit Offer** on or before Tuesday, December 22, 2020 (i.e. the last day of the Exit Offer Period), clearly marking the envelope **"RICOH INDIA LIMITED- DELISTING EXIT OFFER"**

   (b) **Residual Shareholders holding shares in physical form**

   As per Rule 9A ["Issue of Securities in Dematerialised Form by Unlisted Company"] of Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, every holder of securities of an unlisted public company who intends to transfer such securities on or after 2nd October, 2018, shall get such securities dematerialised before the transfer.

   Accordingly, the Public Shareholders who are holding equity shares in physical form and are desirous of tendering their equity shares in the said Offer can do so only after the equity shares are dematerialized. Such Public Shareholders are advised to approach any depository participant to have their equity shares dematerialized.

   PLEASE NOTE THAT: THE ACQUIRERS WILL PAY CONSIDERATION TO ALL THE VALID APPLICANTS AT PERIODICAL INTERVAL OF ONE (1) MONTH FOR THE FULL PERIOD OF OFFER. Thus, the applications submitted by shareholders upto the end of a particular month will be processed and accordingly payment would be made to applicants within 15 days of the subsequent month. For Example, for the shares tendered by Residual Public Shareholders till December 31, 2019, the payment will be made on or before January 15, 2020.
8. Non-resident Residual Public Shareholders should refer to the Delisting Exit Offer Letter for documents to be submitted with the Application Form.
9. The equity shares to be tendered under this Exit Offer are to be acquired free from all liens, charges and encumbrances and together with all rights attached thereto.
10. Following fulfilment of the terms and conditions mentioned herein and the Delisting Exit Offer Letter, the consideration will be paid by the Acquirers by way of demand draft or by means of electronic funds transfer, wherever possible.

    The demand drafts will be dispatched to the relevant Residual Public Shareholders, at their own risk, by way of speed post/registered post. Upon receipt of duly filled valid Application Forms (together with necessary enclosures, if any) and receipt of the shares in the Special Depository Account mentioned hereinabove, electronic funds transfer will be executed or the demand draft will be dispatched to Residual Shareholders (as the case may be), who have validly tendered their shares in this Offer.
11. It shall be the responsibility of the Residual Public Shareholders tendering in this Offer to obtain all requisite approvals (including corporate, statutory or regulatory approvals), if any, prior to tendering in the Offer, and the Acquirers shall take no responsibility for the same. The Residual Shareholders should attach a copy of any such approval to the Application Form, wherever applicable.

If the Shareholders have any queries in regard to this Offer, they may contact the Manager to the Offer or the Registrar to the Offer (details appearing below).

MANAGER TO THE DELISTING EXIT OFFER	REGISTRAR TO THE DELISTING EXIT OFFER
KEYNOTE **Keynote Financial Services Limited** *(Formerly Keynote Corporate Services Limited)* The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West) Mumbai – 400 028 **Tel.:** +91 22 6826 6000-3; **E-mail:** mbd@keynoteindia.net; **Website:** www.keynoteindia.net **Contact Person** : Ms. Pooja Sanghvi / Mr. Akhil Mohod **SEBI Registration No.:** INM 000003606	MCS STA **MCS Share Transfer Agent Limited** F-65,1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase 1 New Delhi – 110 020. **Tel.:** 011 - 41406149, 41406151, 41406152 **Email:** admin@mcsregistrars.com **Website:** www.mcsregistrars.com **Contact Person:** Mr. Ajay Dalal **SEBI Registration No:** INR 000004108

Place: Mumbai
Date: December 21, 2019

sd/-
Kalpraj Dharamshi

sd/-
Rekha Jhunjhunwala

CONCEPT

जनसत्ता

23 दिसंबर, 2019

उद्योगों को भरोसा

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित उद्योगपतियों और बैंकों को प्रधानमंत्री ने बेखौफ होकर काम करने का जो भरोसा दिलाया है, उससे यह उम्मीद तो बंधती है कि देश को आर्थिक सुस्ती से निकालने के लिए सरकार अब निर्णायक दिशा में तेजी से बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। भारत पिछले एक-सवा साल से आर्थिक मंदी की जैसी मार झेल रहा है, उस सूरत में सरकार और उद्योग जगत दोनों का परेशान होना स्वाभाविक है। हालांकि सरकार ने मंदी से निपटने के लिए पिछले कुछ महीनों में बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन इनका असर दिखा नहीं है। उद्योग संगठन- एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) की स्थापना के सौ साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जो विश्वास दिलाया है, उस पर सरकार को ठोस अमल करने की जरूरत है। भारत के समक्ष इस वक्त आर्थिक सुस्ती से निपटने की बड़ी चुनौती है, तो देश को पांच साल में पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी है। यह तभी संभव है जब आर्थिक नीतियां उद्योग जगत के अनुकूल होंगी।

इसमें कोई दो राय नहीं कि आर्थिक हालात संतोषजनक नहीं हैं। हालांकि सरकार से लेकर अर्थशास्त्री तक इसके अलग-अलग कारण बता रहे हैं। कोई इसे वैश्विक मंदी का नतीजा बता रहा है, तो कुछ इसे थोड़े समय का प्रभाव बता रहे हैं। पर चिंता की बात यह है कि सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पिछले कुछ महीनों में जो आंकड़े जारी किए हैं, वे अर्थव्यवस्था के हालात बयां करने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि इन आंकड़ों को लेकर विवाद भी सामने आए हैं, कुछेक मौकों पर सरकार की तरफ से चुप्पी साधी गई और खंडन भी किया गया। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि देश के आम नागरिक से लेकर उद्योगपतियों तक के मन में एक भय पैदा हुआ है। अर्थव्यवस्था के सामने निवेश बड़ा संकट बना हुआ है। न बाहर से निवेशक आ रहे हैं, न देश के भीतर उद्योगपति निवेश करने और कारोबार बढ़ाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। जाहिर है, कहीं न कहीं ऐसी मुश्किलें और भय है जिससे कारोबारी हिचक रहे हैं। भारत की आर्थिक विकास दर कम रहने को लेकर वैश्विक एजेंसियों के जो आकलन आ रहे हैं, उससे भी उद्योगपति सतर्क हैं। ऐसे में कौन निवेश का जोखिम मोल लेगा?

उद्योग जगत को रफ्तार देने में बैंकों की बड़ी भूमिका होती है। उद्योगों को कर्ज मुहैया कराने का बड़ा जरिया बैंक ही हैं। लेकिन भारत का बैंकिंग क्षेत्र जिस संकट का सामना कर रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। बैंक एनपीए के बोझ से दबे पड़े हैं, इसलिए खुल कर कर्ज देने से बच रहे हैं। तीन साल पहले नोटबंदी की मार से तबाह हो चुके ज्यादातर छोटे और मझौले उद्योगों के सामने इस वक्त बड़ी मुश्किल यही है कि बैंक उन्हें आसानी से कर्ज नहीं दे रहे। जबकि सरकार और रिजर्व बैंक बैंकों पर इसके लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि बैंकों की चिंता जायज है कि अगर कर्ज वापसी नहीं हुई तो क्या होगा। सरकार की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। जीएसटी संग्रह में लगातार कमी इस व्यवस्था की खामियों को बताने के लिए काफी है। सरकार के एक पूर्व आर्थिक सलाहकार ने हाल में अर्थव्यवस्था के आइसीयू में जाने की बात कही है। ऐसे में हम कैसे पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन पाएंगे!

मौसम की मार

सर्दी के मौसम में कोहरे की वजह से रेल और हवाई यात्राओं में विलंब, सड़कों पर दुर्घटनाएं और शीतलहर की वजह से बेघर लोगों के मारे जाने की खबरें हर साल का क्रम बन गया है। इस पर काबू पाने के लिए सरकारें और संबंधित महकमे हर साल दम भरते हैं, पर मौसम सामान्य होते ही, सब कुछ पुरानी गति में लौट आता है। फिर अगले साल वही समस्याएं। अभी सर्दी में कोहरा शुरू ही हुआ है कि बड़े पैमाने पर रेलगाड़ियों के देर से चलने और रद्द होने की खबरें आने लगी हैं। शुक्रवार को खुद रेल विभाग ने कहा कि करीब सौ गाड़ियां देरी से चल रही हैं। यही हाल हवाई जहाजों का है। कोहरे की वजह से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, तो कई विलंब से उड़ान भर सकीं। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर दृश्यता शून्य हो जाने की वजह से गाड़ियों की गति थम गई है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन लोगों को किसी जरूरी काम से जाना होगा और उन्हें तय समय पर पहुंचना जरूरी होगा, उनकी क्या स्थिति होती होगी। जिन लोगों ने पहले से टिकट खरीद रखी होगी और ऐन मौके पर उन्हें रेल रद्द होने की सूचना मिलती होगी, तो उन पर क्या गुजरती होगी।

रेल को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। एक बहुत बड़ी आबादी रेल पर निर्भर है। छोटी दूरी की यात्राओं के लिए लोग फिर भी बसों, टैक्सियों आदि का सहारा ले लेते हैं, पर जिन्हें हजारों किलोमीटर दूर जाना हो, उनके लिए रेल के अलावा और कोई सहारा नहीं होता। ऐसे में अगर उन्हें किसी जरूरी काम से जाना पड़े, तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। हवाई यात्रा का खर्च उठाने की क्षमता सबमें नहीं होती, इसलिए बहुत सारे लोग रेलवे के रहमो-करम पर निर्भर रहते हैं। मगर हवाई जहाजों की स्थिति भी इस मौसम में कोई संतोषजनक नहीं होती। छह-आठ घंटे की देर से उड़ान आम अनुभव है। कई बार मौसम खराब होने के तर्क पर उड़ाने रद्द भी कर दी जाती हैं। समझना मुश्किल है कि जब यह समस्या हर साल की है, तो इस पर काबू पाने के उपायों की तरफ गंभीरता से ध्यान क्यों नहीं दिया जाता!

ऐसा नहीं कि कोहरे या मौसम खराब होने से दृश्यता शून्य होने की समस्या सिर्फ हमारे देश में होती है। मगर परेशानियां ज्यादातर यहीं उठानी पड़ती हैं। इसकी वजह यह है कि शून्य दृश्यता वाले वातावरण में हवाई जहाज उतारने का प्रशिक्षण हमारे ज्यादातर पाइलटों को नहीं है। कई साल पहले सरकार ने दावा किया था कि एअर इंडिया के पायलटों को शून्य दृश्यता वाले वातावरण में भी जहाज उतारने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि यह प्रशिक्षण महंगा है, पर सरकार उसका खर्च उठाएगी। मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है। इससे कितने विदेशी सैलानियों और विदेश से आने वाली उड़ानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा और हर साल कितने पैसों की बर्बादी होती होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। यही हाल रेलवे का है। रेलों में अत्याधुनिक उपकरण लगाने का दम करीब पचीस सालों से भरा जा रहा है, ताकि दुर्घटनाओं से बचा और गाड़ियों का समय पर और खराब मौसम में भी सुचारु संचालन किया जा सके। मगर आज जब तमाम चीजें कंप्यूटरीकृत प्रणाली पर निर्भर होती गई हैं, रेलवे पता नहीं क्यों पुरानी प्रणाली के सहारे काम चला रहा है!

कल्पमेधा

वह शासक अत्याचारी है, जो अपनी इच्छा के अलावा कोई नियम नहीं जानता।

– वाल्तेयर

खुशहाली लाने की चुनौती

जयंतीलाल भंडारी

भारत के लोगों की प्रतिव्यक्ति आय, जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति चिंताजनक है। देश के अस्सी फीसद से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। आम आदमी के धन का एक बड़ा भाग जरूरी सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की मद में खर्च हो रहा है। इस कारण बेहतर जीवन स्तर की अन्य जरूरतों की पूर्ति में वे बहुत पीछे हैं।

संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, 2019 के मुताबिक भारत अपनी मानव विकास रैंकिंग में एक पायदान चढ़ कर एक सौ उनतीसवें पायदान पर पहुंचा गया है। पर हकीकत यह है कि मानव सूचकांक विकास के मामले में भारत को अभी लंबा सफर तय करना है। नौ दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की ओर से मानव संसाधन विकास पर जारी रिपोर्ट में एक सौ नवासी देशों में भारत की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन स्थिति जस की तस ही है। पिछले वर्ष भारत इस सूचकांक में एक सौ तीसवें पायदान पर था। हालांकि पिछले कुछ सालों में मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति लगातार सुधरी है। इसका बड़ा कारण गरीबी और भ्रष्टाचार में कमी आना है और जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वर्ष 2005-06 से 2015-16 के बीच 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला गया। भारत में जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की पहल से कमजोर तबके के लोगों को लाभ मिलना शुरू हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में वर्ष 1990 से 2018 के बीच जीवन प्रत्याशा 11.6 वर्ष बढ़ी है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में साढ़े तीन वर्ष का इजाफा हुआ है। प्रति व्यक्ति आय में ढाई सौ फीसद से अधिक बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यूएनडीपी ने भारत को उच्च शिक्षा क्षेत्र में असमानताओं को लेकर चेताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रगति के बावजूद समूह आधारित असमानताएं बरकरार हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित कर रही हैं। इसमें साफ कहा गया है कि भारत में महिलाओं से संबंधित सामाजिक नियमों में भेदभाव किया जाता है, जो महिला सशक्तिकरण में पीछे होने का कारण है।

गौरतलब है कि मानव विकास सूचकांक में देश की प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, जीवन सुरक्षा, सरकार में भरोसा, विदेशी निवेश, न्यायिक प्रणाली पर भरोसा, गरीब लोगों का संरक्षण, रोजगार के अवसरों की स्थिति, ग्रामीण रोजगार, भ्रष्टाचार जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। यह सूचकांक इस बात का संकेत है कि कौनसा देश अपने लोगों के पालन-पोषण, शिक्षण-प्रशिक्षण और विकास तथा प्रतिभाओं के उपयोग में कितना आगे है। हालांकि मानव विकास सूची में भारत बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन एक पायदान आगे बढ़ने के भी कई कारण हैं। निश्चित रूप से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत और गरीबों के शौचालय बनवाने, गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर जैसी योजनाएं लागू करने के साथ-साथ स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बनाने और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बढ़ाने से मानव विकास सूचकांक में सुधार हुआ है।

सूचकांक बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार में कुछ कमी तो आई है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पिछले महीने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वर्ष 2019 की सूची जारी की थी। भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया के एक सौ अस्सी देशों में भारत अठहत्तरवें स्थान पर आया है। संतोष की बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले भारत की सुधरी है और भारत तीन पायदान ऊपर चढ़ा है। पिछले वर्ष इक्यासीवें वें क्रम पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कई बातों का खुलासा हुआ है। पिछले वर्ष छप्पन फीसद नागरिकों ने घूस देने की बात कबूली, जबकि इस साल में ऐसे लोगों की संख्या घट कर इक्यावन फीसद रह गई है।

इस साल की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट को देखने के बाद अर्थशास्त्रियों का कहना है कि देश में अपेक्षा के अनुरूप मानव विकास सूचकांक नहीं बढ़ रहा है। विश्व बैंक का कहना है कि भारत सर्वाधिक विकास दर वाला देश है। लेकिन दूसरी ओर भारत के लोगों की प्रतिव्यक्ति आय, जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति चिंताजनक है। देश के अस्सी फीसद से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। आम आदमी के धन का एक बड़ा भाग जरूरी सार्वजनिक सेवाओ, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की मद में खर्च हो रहा है। इस कारण बेहतर जीवन स्तर की अन्य जरूरतों की पूर्ति में वे बहुत पीछे हैं।

पिछले दशक में भारत में करोड़पतियों-अरबपतियों की तादाद भले बढ़ी हो, लेकिन चिंताजनक तथ्य यह भी है कि भारत में असमानता का ग्राफ भी तेजी से चढ़ा है। ऑक्सफैम इंडिया की 'आर्थिक असमानता रिपोर्ट 2018' में कहा गया है कि भारत में 1991 के बाद शुरू हुए उदारीकरण के बाद आर्थिक असमानता और अधिक भयावह होती जा रही है। वर्ष 2017 में भारत में अरबपतियों की कुल संपत्ति देश की जीडीपी की पंद्रह फीसद के बराबर हो गई थी। जबकि पांच वर्ष पहले यानी 2012 में यह दस फीसद थी। वर्ष 2017 में भारत में जितनी संपत्ति बढ़ी, उसका तिहत्तर फीसद हिस्सा देश के एक फीसद अमीरों के पास पहुंचा।

निश्चित रूप से मानव विकास की बुनियाद कहे जाने वाले दो महत्त्वपूर्ण पक्षों- रोजगार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में भारत अभी बहुत पीछे है। देश में बेरोजगारी की स्थिति भयावह है। रोजगार में वृद्धि 2015-16 में 2.5 प्रतिशत थी, जो 2016-17 में 4.1 प्रतिशत, 2017-18 में 3.9 प्रतिशत और 2018-19 में 2.8 फीसद रही। हैरानी की बात ये कि देश में रोजगार वृद्धि पिछले दो वर्षों में काफी धीमी पड़ी है। इसी तरह भारतीय युवाओं की प्रतिभा, गुणवत्तापूर्ण जीवन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में भारत तिरसठ देशों की सूची में उनसठवें स्थान पर आ गया है। भारत के शैक्षणिक संस्थान वैश्विक शैक्षणिक गुणवत्ता के मामले में बहुत पीछे हैं। इस साल भारत के अधिकांश प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में गिरावट आई है। देश का कोई भी शिक्षण संस्थान अन्य एशियाई संस्थाओं की तुलना में शीर्ष तीस में जगह नहीं बना सका है। आइआइटी-मुंबई पिछले वर्ष के मुकाबले एक स्थान फिसल कर चौंतीसवे स्थान पर आ गया। आइआइटी दिल्ली तियालिसवें स्थान पर और आइआइटी-मद्रास अड़तालीसवें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक शिक्षा अध्ययन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी छात्रों की आबादी भारत में होगी।

इस साल की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट इस बात का संकेत है कि भारत को अपनी जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगार और अन्य नागरिक सुविधाओं में सुधार के साथ उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में अभी लंबा रास्ता तय करना है। यदि देश को भविष्य की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ना है तो युवाओं के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को गंभीरता से लागू करना होगा। छात्रों को अच्छे रोजगार के लिए तैयार करने हेतु उन्हें मानव संसाधन और पेशेवर बनाने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। देश की नई पीढ़ी को प्रतिभावान बना कर ही रोजगार की संभावनाओं को साकार किया जा सकेगा। इसी में देश के विकास का मूल मंत्र छिपा है।

सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए सबसिडी व अन्य लाभ सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाने और सरकारी योजनाओं में कालाधन नियंत्रण के नए परिदृश्य से देश के आम आदमी के आर्थिक-सामाजिक लाभ बढ़े हैं। नई स्वास्थ्य नीति के तहत अब स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का ढाई फीसद धन खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, उसे सफलतापूर्वक अमल में लाना होगा। भारत में सबसे बड़ी दिक्कत जनकल्याण योजनाओं को ईमानदारी के साथ लागू करने को लेकर है। इस मामले में ज्यादातर सरकारें कामयाब नहीं हो पाई हैं। बिना इसके मानव संसाधन का विकास कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है।

संन्यास की अप्रासंगिकता

अरुणेंद्र नाथ वर्मा

दुनिया मेरे आगे

मानव जीवन को सौ वर्ष का मान कर पच्चीस वर्षों के चार कालखंडों की परिकल्पना में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक हर आश्रम के लिए एक विशिष्ट जीवनशैली का विधान है। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्जन, चरित्र निर्माण और गृहस्थ जीवन में धनार्जन और परिवार पोषण अभीष्ट माना गया है। यह व्यवस्था पचास वर्ष की आयु तक व्यक्ति को अंतमुर्खी बनाए रखेगी, जिसके बाद वानप्रस्थ कालखंड कार्यकलाप के केंद्र से वह खुद को हटा कर समाज को स्थापित करेगा। पूर्वजों और देवताओं से मिले ऋण को लौटाने का सिलसिला पचहत्तर वर्ष की आयु तक जारी रहेगा, जब शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का ह्रास व्यक्ति को संन्यास लेने के लिए तत्पर करेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्जित विद्या और कौशल के बिना गृहस्थ जीवन संभव नहीं। समाज के केंद्र में होने से गृहस्थ जीवन एक अनिवार्यता है। उससे जो कुछ मिला उसे वानप्रस्थ में समाज को लौटा देना वांछनीय है। पर उसके बाद संन्यास धारण कर-के शून्य में खो जाने वाली जीवन दृष्टि क्या आज प्रासंगिक है?

जीवन यात्रा के मील के पत्थरों पर आखिरी मंजिल निकट आते देख कर इस राह का मुसाफिर पीछे मुड़-मुड़ कर जीवन की बही के पृष्ठ खोलते हुए अक्सर सोचने लगता है कि क्या खाते में दर्ज करते समय 'डेबिट' और 'क्रेडिट' विवरणों की सही पहचान की गई थी! कम खुशनसीब होते हैं जिन्होंने इस पहचान में घालमेल न की हो। वानप्रस्थ आश्रम की प्रासंगिकता यह थी कि यहां पहुंच कर जीवन की धीमी होती रफ्तार में तब तक लिखे गए खाते को ऑडिट करने का समय मिल पाता था। आश्रमों के कालखंडों की अंकगणित आज बदल चुकी है। इंजीनियरिंग, तकनीक, प्रबंधन और चिकित्सा आदि की पढ़ाई में खास विशेषज्ञता के इस युग में विद्यार्जन खासी पक्की उम्र तक चलता रहता है। उच्चस्तरीय शिक्षा की डगर अब लगभग अंतहीन हो गई है। जब ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम आपस में गड्डमड्ड होते जा रहे हों तो पचास वर्ष की आयु में वानप्रस्थ धारण कर धनार्जन से मुक्ति अधिकतर गृहस्थों के लिए संभव नहीं। जीवन के पांचवें दशक तक पहुंचते-पहुंचते अपनी दक्षता और कौशल के बूते अरबपति बन जाने वाले सौभाग्यशालियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और वे अपनी संपदा का उपयोग संसार की वृहत्तर व्याधियों को दूर करने के लिए समर्पित हो रहे हैं। दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बिल गेट्स ने अट्ठावन साल की आयु में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का पदभार छोड़ कर अपनी अधिकतर संपत्ति मानवमात्र के कल्याण के लिए दान देने का निर्णय लिया, तो दूसरे नंबर के धनवान अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने तिरेपन साल में ही।

अपने देश में सरकार को माई-बाप मान कर केवल उसी से जन-कल्याण के सारे कार्यों की अपेक्षा की परंपरा है। पर हाल के वर्षों में अपनी संपत्ति का बड़ा भाग लोक कल्याण को समर्पित करने वाले धनाढ्यों में विप्रो के अजिम प्रेमजी, इनफोसिस के नारायण और सुधा मूर्ति और अपने बहुमूल्य कला संग्रह को देश के नाम कर देने वाले शिव नाडार जैसों का नाम जुड़ने के बाद अब भारत में भी देश और समाज से मिले ऋण को हजार गुना बढ़ा कर लौटाने वालों की संख्या बढ़ रही है। आइआइटी जैसी संस्थाओं के अपार संपदा अर्जित करने वाले भूतपूर्व विद्यार्थी अब बढ़-चढ़ कर ऐसे कामों में सामने आ रहे हैं। क्या निजी मोक्ष की तलाश में संन्यास धारण करने से कहीं सुंदर विकल्प नहीं है यह कि अपनी सारी क्षमताओं को केंद्रित कर-के इसी धरती को स्वर्ग बनाने की कामना की जाए?

एक तरफ आधुनिक चिकित्साशास्त्र और बढ़ती समृद्धि के चलते औसत आयु लगातार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी के शिक्षाकाल के विस्तार के कारण देर तक चलती रहती हैं। फिर देर से आने वाले वानप्रस्थ को थोड़े अंतराल के बाद ही संन्यास के हवाले कैसे कर दिया जाए? सुदीर्घ वानप्रस्थ को एक लंबे समय तक चलने वाले रिकार्ड की तरह बजाते हुए उन कामनाओं की पूर्ति का समय क्यों न माना जाए जो पारिवारिक चिंताओं के चलते हाशिये पर रख दी गई थीं? बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक मजबूती और राजकीय सहयोग के चलते जीवन के इस कालखंड को चित्रकारिता, संगीत, लेखन, पर्यटन आदि के शौक पूरा करने का समय मान कर जो बहुत धनवान नहीं हैं, वे भी अपने कार्यकलापों से समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। परमार्थ की इस संभावना के आगे संन्यास की कामना निजी मोक्ष का अतिआत्मकेंद्रित दर्शन लगती है। 'यावत्जीवेत सुखं जीवेत' की कामना अब केवल 'ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत' से नहीं पूरी होती। निजी इच्छाओं की पूर्ति में भी समाज का ऋण कई तरह से चुका पाने की संभावनाएं होती हैं। समकालीन परिवेश में दूसरों के लिए जीने के साथ-साथ खुल कर अपने लिए जीने के दर्शन के आगे संन्यास की धारणा अब अप्रासंगिक लगती है!

अहिंसा का रास्ता

किसी भी कानून का विरोध करने से पहले हमें उसके बारे में तार्किकता की कसौटी पर उसके सकारात्मक और नकारात्मक नतीजों का विश्लेषण कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उसके बाद नकारात्मक पक्ष को लेकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ऐसा विरोध करना, जिसमें सरकारी और गैरसरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो, यह कोई स्वतंत्रता नहीं है। हरेक की स्वतंत्रता की सीमा वहीं तक सुनिश्चित होनी चाहिए, जहां तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न होता हो। इसलिए गांधी जी के अहिंसात्मक मूल्यों अपनाते हुए हम विरोध दर्ज करा सकते हैं। बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था- संविधान कभी गलत नहीं हो सकता है, बल्कि धरातल पर उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हुआ है, इसलिए संविधान की रक्षा भी हमारा मूल कर्तव्य है।

● *शैलेश मिश्र, बीएचयू, वाराणसी*

हठधर्मिता का हासिल

लोकतांत्रिक राष्ट्र में अपनी मांगें मनवाने का जरिया हिंसक प्रदर्शन कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। हिंसा के द्वारा राष्ट्रीय या सार्वजनिक संपत्ति को आघात पहुंचाया जाना सचमुच निंदनीय है। सरकार को प्रभावित करने के लिए धरना-प्रदर्शन और हड़ताल जैसे शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाया जा सकता है। लेकिन यह भी दुर्भाग्य लगता है कि जनता को हिंसक प्रदर्शन के लिए बाध्य किया जा है। सवाल है कि आखिर क्यों सरकार अपनी नीतियों को सहसा कानूनी जामा पहना कर जनता पर थोपती है? इसके साथ तत्काल इंटरनेट सेवाएं बंद कर देती है और साथ ही साथ धारा 144 भी लागू कर दी जाती है, ताकि अवाम की आवाज को दफन किया जा सके। हालिया उदाहरण जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय किए जाने और बाबरी मस्जिद पर कोर्ट निर्णय के साथ देखे जा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जनता में भय व्याप्त करने और असंतोष का भावना घर होने के पीछे सरकार का रवैया जिम्मेदार है। जनता और सरकार का समय रहते संभलना निहायत जरूरी है, जनता को धैर्य रखना होगा। साथ ही सत्ता को अपनी हठधर्मिता का त्याग करना होगा। सरकार को नहीं भूलना होगा कि विध्वंस की बुनियाद पर टिका कोई भी विचार मानवता के लिए खतरा है।

● *अली खान, जैसलमेर*

लोकतंत्र के बरक्स

इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने वाले हमारे प्रशासन के लोगों की जब तक अतिजरूरी न हो, नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति रही है। यह उनके काम करने का तरीका है जो आज की परिस्थितियों का निर्माण करने का कारण है। इसके तमाम उदाहरण आए दिन देखने को मिलते हैं। हैदराबाद पुलिस लारा एनकाउंटर पर तत्काल खुशी जाहिर करने वाले लोग आने वाले खतरों को भूल जाते हैं। हमारे यहां पुलिस राज्य का विषय है और अफसोसनाक यह है कि किसी भी राज्य की पुलिस की छवि इतनी उजली नहीं है कि इस तरह के एनकाउंटर के कारण के उनके दावों पर विश्वास किया जा सके। आज इतने सख्त कानून के बावजूद पुलिस अपराधियों में कानून का डर पैदा नहीं कर सकी है। उसके उलट निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा कर उन्हें डराने में वह जरूर कामयाब है। वरना क्या कारण है कि बलात्कार और छेड़छाड़ की रिपोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी ओर अपराधी बेखौफ अपराध करते जाते हैं। हैदराबाद पुलिस लारा एनकाउंटर पर तारीफ करने वालों के जेहन में यह प्रश्न क्यों नहीं उठता है कि जब पीड़िता के पिता शिकायत के लिए एक थाने से दूसरे थाने दौड़ रहे थे तो वही पुलिस उनके साथ कैसा बर्ताव कर रही थी? ऐसी घटनाएं हमारे देश के लोकतंत्र को चोट पहुंचा रही हैं।

● *सुनिल के जैन, कस्तूरबा नगर, रतलाम*

जड़ सोच

हमारे भारतीय समाज का ढांचा रूढ़िवादी, भाग्यवादी और परंपराओं पर आधारित है। इन विशेषताओं के कारण समाज में बहुत-सी कुरीतियां हैं। सामाजिक परंपराओं के आधार पर विभिन्न अवसरों, जैसे शादी या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर जाति-बिरादरी को अपनी सामर्थ्य से अधिक व्यय करके सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने की प्रवृत्ति देखी जाती है। सवाल है कि क्या कर्ज लेकर या फिर किसी रास्ते अर्जित धन से शानो-शौकत का प्रदर्शन या फिर विवाह या श्राद्ध के आयोजन से प्रतिष्ठा बढ़ती है? ऐसे मामले अक्सर देखे जाते हैं, जब इन अवसरों पर व्यय करने के लिए ऋण लेना होता है। ऐसी परंपराओं और रीति-रिवाजों के कारण लोगों का समाज में सुखी जीवन व्यतीत करना कठिन हो जाता है। परंपरागत बातों को केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के हरेक क्षेत्र में अपनाने का प्रयास किया जाता है, जिनके कारण सहज जीवन जीने में कठिनाइयां आती हैं।

● *सत्यम यादव, प्रयागराज*

इंटरनेट पर पाबंदी

भारत दुनिया का पहला देश है, जहां वर्ष 2012 के बाद से अब तक इंटरनेट तीन सौ बहत्तर बार बंद हो चुका है। असामाजिक तत्व हिंसा फैलाने के लिए इंटरनेट का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए सरकार इंटरनेट सेवाओं को सबसे पहले बंद करती है। नागरिकता कानून को लेकर असम से शुरू हुआ विरोध अब देशव्यापी हिंसा में तब्दील हो चुका है। यह बेहद चिंता का विषय है। असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के जरिए समाज में क्रूरता फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ इंटरनेट को इतनी बार बंद करना शांति के लिहाज से तो सही है, परंतु आंनलाइन व्यापार के लिहाज से कतई उचित नहीं है। आज ज्यादातर लोगों का काम और जीवन इंटरनेट पर आधारित हो चुका है, ऐसे में इससे होने वाली मुश्किलों का अंदाज लगा पाना आसान नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे,लेकिन आमजन की समस्याओं का भी खयाल रखे।

● *गौतम, एमसीयू, खंडवा*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रविवार को नागपुर में नागरिकता कानून के समर्थन में निकाली गई रैली को संबोधित करते हुए।

नागरिकता संशोधन कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं : नितिन गडकरी

कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति और दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया

नागपुर, 22 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि नया कानून लाकर राजग सरकार मुसलमानों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर रही है।

गडकरी ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए दुष्प्रचार करने का भी आरोप लगाया। वे यहां नए कानून के समर्थन में निकाली गई रैली को संबोधित कर रहे थे। इस कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इस रैली का आयोजन एक स्थानीय संगठन ने किया, जिसे भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन प्राप्त है।

गडकरी ने कहा, 'अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को इंसाफ देने के लिए सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हम मुसलमानों को देश से बाहर भेजने की बात नहीं कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि सरकार की एकमात्र चिंता देश में रह रहे विदेशी घुसपैठियों की है। मंत्री ने कहा कि मुसलमानों को समझना चाहिए कि कांग्रेस उनके विकास में मदद नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा, 'उसने (कांग्रेस ने) आपके लिए क्या किया है? मैं देश के मुसलिम समुदाय से साजिश को समझने का अनुरोध करता हूं। आपका विकास भाजपा ही कर सकती है न कि कांग्रेस।' उन्होंने कहा, 'आप साइकिल रिक्शा चलाते थे, हमने आपको ई-रिक्शा दिया और आपको अपने पैरों पर खड़े होने में मदद दी। कांग्रेस आपको वोट मशीन समझती है ताकि वह उसके बाद शासन कर सके। इस दुष्प्रचार का शिकार न बनें।'

गडकरी ने कहा, 'हम सभी एक हैं, हमारी धरोहर एक है। आप मस्जिद जाते हैं, हम विरोध नहीं करते। हम सभी साथ रहेंगे और डॉ बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के अनुसार काम करेंगे। यही बात तो हम कह रहे है, नया कुछ कहां कह रहे हैं।' उन्होंने कहा कि 1947 से पहले अखंड भारत था, विभाजन के बाद मुहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को मुस्लिम देश घोषित किया। उन्होंने कहा, ' लेकिन हमारे देश में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह स्वीकार किया गया कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, बल्कि यह अपने देश के सभी समुदायों के लिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा।'

गडकरी ने कहा कि लेकिन जब यह तय किया गया था तब महात्मा गांधी से पूछा गया था कि पाकिस्तान जो एक मुसलिम देश है और वहां 22 फीसद हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई है, यदि उनके साथ नाइंसाफी और उत्पीड़न होगा तो वे कहां जाएंगे। उन्होंने कहा, 'तब गांधीजी ने जवाब दिया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को जब कभी सहयोग की जरूरत होगी, भारत उनका सहयोग करेगा।'

मुंबई : राज्यपाल और नकवी ने 'हुनर हाट' का उद्घाटन किया

मुंबई, 22 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स में रविवार को 'हुनर हाट' का उद्घाटन किया।

नकवी के नेतृत्व में 'हाट' के रूप में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक मंच उपलब्ध कराया है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के कलाकारों और शिल्पकारों के काम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका आयोजन बीकेसी के एमएमआरडीए ग्राउंड पर 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किया जा रहा है।

नकवी के कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार 'हाट' में 180 दुकानें लगाई गई हैं, जहां देश भर से महिला कारीगरों और शिल्पकारों सहित करीब 400 कारीगर भाग ले रहे हैं। पारंपरिक नृत्य, संगीत, कव्वाली और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा हर दिन प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुति भी आगंतुकों के लिए प्रमुख आकर्षण होगी।बयान में कहा गया कि हंस राज हंस, सायरा खान, सुप्रिया जोशी, राहुल जोशी, फरहान साबरी, तरन्नुम मल्लिक, प्रेम भाटिया, हरजोत कौर, मिक्की सिंह नरूला, मुकेश पंचोली, गुल सक्सेना जैसे कलाकार हाट में अपनी प्रस्तुति देंगे।

बयान में कोश्यारी के हवाले से कहा गया कि 'हुनर हाट' देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों की छिपी प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी मंच है। कोश्यारी ने कहा, 'हुनर हाट जैसे कार्यक्रम जरूरतमंद कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं।' बयान के अनुसार नकवी ने कहा कि अब तक आयोजित 'हाट' भारत के स्वदेशी और पारंपरिक विरासत को बढ़ावा देने और विलुप्त होने के कगार पर खड़े कारीगरों तथा शिल्पकारों की विरासत को संरक्षित करने का एक प्रभावी एवं सफल मंच बन गए हैं। नकवी ने कहा कि हाट ने अन्य लोगों को काम और रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी मदद की है। मंत्री ने बताया कि 'हुनर हाट' का आयोजन अगले साल 10 से 20 जनवरी के बीच लखनऊ, 11 से 19 जनवरी के बीच हैदराबाद और आठ से 16 फरवरी के बीच इंदौर में किया जाएगा।

● 10 से 20 जनवरी लखनऊ, 11 से 19 जनवरी हैदराबाद और आठ से 16 फरवरी इंदौर में भी आयोजन

केंद्र सरकार करेगी पीएचडी के लिए 'डिजिटल थीसिस' की देशव्यापी पहल

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए शोध छात्रों से पीएचडी के लिए थीसिस की हार्ड कॉपी के बजाय 'डिजिटल थीसिस' को अनिवार्य करने की मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (एमपीएमएसयू) की व्यवस्था को स्वागत योग्य पहल बताते हुए इसे देशव्यापी स्तर पर लागू करने का भरोसा जताया है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि जबलपुर स्थित एमपीएमएसयू का यह प्रयास न सिर्फ सराहनीय है बल्कि अनुकरणीय भी है और इसे देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर पर भी लागू करना चाहिए।

गौरतलब है कि एमपीएमएसयू ने गत 11 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर सभी प्रकार के शोध पत्रों और शोध कार्यों की थीसिस, डिजिटल फोर्मेट में ऑनलाइन जमा कराना छात्रों के लिये अनिवार्य कर दिया है। विश्वविद्यालय ने इंदौर स्थित एमजी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के सह प्राध्यापक डा. मनोहर लाल भंडारी द्वारा पीएचडी की थीसिस डिजिटल फॉर्मेट में जमा करने की पहल को स्वीकार करते हुये इस व्यवस्था को सभी छात्रों के लिये लागू कर दिया है।

● केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि जबलपुर स्थित एमपीएमएसयू का यह प्रयास न सिर्फ सराहनीय है बल्कि अनुकरणीय भी है ।

जावडेकर ने विश्वविद्यालय के इस फैसले की सराहना करते हुए बताया कि शोध कार्य में बहुत अधिक मात्रा में कागज के प्रयोग को सीमित करने के लिये डिजिटल थीसिस को अनिवार्य करना बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा, 'पीएचडी की थीसिस को डिजिटल फॉर्मेट में तैयार करने पर कागज की बहुत बड़े पैमाने पर बचत होगी और यह पर्यावरण संरक्षण में मददगार साबित होगा। हम केंद्र सरकार के अन्य संबद्ध मंत्रालयों को पत्र लिख कर एमपीएमएसयू की तर्ज पर इस व्यवस्था को अपनाने की पहल करेंगे।'

गौरतलब है कि डॉ. भंडारी ने एमपीएमएसयू में यह फैसला लागू होने के बाद 19 दिसंबर को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, पर्यावरण मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख कर इस व्यवस्था को देश भर में लागू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' अभियान का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था में प्रत्येक शोध छात्र को औसतन 100 से 150 पेज की थीसिस की नौ प्रतियां जमा करानी होती हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर कागज की बचत कर वृक्षों को कटने से बचाने के लिये डिजिटल थीसिस को ही अनिवार्य बनाना समय की मांग है।

डॉ. हर्षवर्धन ने इसे कारगर सुझाव बताते हुए कहा, 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिक शोध कार्यों की थीसिस ऑनलाइन जमा कराने की व्यवस्था को पहले से ही लागू किया है। हम स्वास्थ्य मंत्रालय में भी एमपीएमएसयू के मॉडल का अध्ययन करवाकर इसे लागू करने का प्रयास करेंगे।' डॉ हर्षवर्धन के पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है।

गुजरात तट के पास से छह मछुआरों को बचाया गया

पोरबंदर, 22 दिसंबर (भाषा)।

गुजरात तट के पास अरब सागर में एक नौका में पानी भर जाने से फंसे छह मछुआरों को रविवार तड़के बचा लिया गया।

भारतीय तटरक्षक बल ने एक बयान जारी किया कि यहां तटरक्षक अभियान केंद्र को शनिवार शाम मदद संबंधी अनुरोध मिला। वहां एक नौका में नियमित गश्त कर रहा एक दल इसके बाद मछुआरों की मदद के लिए पहुंचा।

'विस्मिता' नामक नौका में पानी भर गया था, जिसके बाद उसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। नौका में छह मछुआरे सवार थे। मछुआरे पोरबंदर से समुद्र में करीब 24 मील दूर फंसे थे। बयान में बताया गया, 'नियमित गश्त कर रहे तटरक्षक पोत सी 445 को संकट में फंसी नौका की मदद के लिए भेजा गया।' बचाव दल के तकनीकी बलों ने नौका में आई दरार को भरकर इसमें और पानी भरने से रोका तथा उसके बाद नौका से पानी निकालना आरंभ किया। उन्होंने कहा, 'इसके बाद नौका को शनिवार देर रात तीन बजे तटरक्षक बल की निगरानी में मछली पकड़ने की एक अन्य नौका की मदद से सुरक्षित पोरबंदर लाया गया।'

पाकिस्तान छोड़ भारत आए हिंदू शरणार्थियों ने नड्डा का सम्मान किया

इंदौर (मध्य प्रदेश), 22 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर कथित धार्मिक प्रताड़ना के चलते भारत आये हिंदू शरणार्थियों ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का स्वागत करते हुए भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रविवार को सम्मान किया।सीएए के समर्थन में यहां भाजपा द्वारा आयोजित आभार सम्मेलन में हिंदू शरणार्थियों ने नड्डा का फूलमाला पहनाकर सम्मान किया। इनमें से कुछ लोगों ने मंच पर आकर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर धार्मिक प्रताड़ना, एक नागरिक के तौर पर भेदभाव, जबरन धर्म परिवर्तन, युवतियों के अपहरण और बलात्कार के आरोप लगाए और मातृभूमि पाकिस्तान को अलविदा कहने की भावुक आपबीती भी सुनाई। शरणार्थियों ने सीएए के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का आभार जताते हुए कहा कि वे अब पाकिस्तान लौटना नहीं चाहते हैं और उन्होंने जल्द से जल्द भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद जताई।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' से परिणीति को हटाया नहीं

अभिनेत्री के प्रवक्ता ने कहा, योजना से जुड़ाव 2017 में खत्म

मुंबई, 22 दिसंबर (भाषा)।

खबरों के विपरीत बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि अभिनेत्री को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के चेहरे के तौर पर हटाया नहीं गया है बल्कि अभियान के साथ उनका जुड़ाव दो वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था।

हरियाणा के अंबाला की रहने वाली अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को 2015 में मनोहर लाल खट्टर सरकार के अभियान का ब्रांड एंबेसडर नामित किया गया था। अभिनेत्री के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'परिणीति चोपड़ा का हरियाणा में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के साथ जुड़ाव अप्रैल 2017 में समाप्त हो गया था। इन अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है और हम आपसे इस बारे में रिपोर्टिंग से परहेज करने का अनुरोध करते हैं।' ऐसी खबरें थी कि परिणीति चोपड़ा को तब अभियान से हटा दिया गया जब उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की आलोचना की थी। अभिनेत्री ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को 'बर्बर' करार दिया था।

उन्होंने 17 दिसंबर को ट्वीट किया था, 'यदि ऐसा ही होगा जब भी कोई नागरिक अपने विचार व्यक्त करेगा, तो सीएबी भूल जाइए, हमें एक विधेयक पारित करना चाहिए और अपने देश को अब एक लोकतंत्रिक देश नहीं कहना चाहिए। अपने मन की बात कहने के लिए निर्दोष व्यक्तियों की पिटाई? बर्बर।'बॉलीवुड की कई हस्तियों ने कानून को लेकर सोशल मीडिया पर निराशा जताई है।

केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत रविवार को पटना में भाजपा की प्रदेश इकाई की बैठक में संजय जायसवाल के दोबारा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद इसका प्रमाणपत्र सौंपते हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस का अस्पतालों में घुसना चिंताजनक : आइएमए

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के अस्पतालों में पुलिस के कथित रूप से घुसने की खबरों को चिंताजनक करार देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई अस्वीकार्य है। आइएमए ने मांग की कि अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। चिकित्सकों की इस संस्था ने कहा कि अस्पताल परम-पावन होते हैं और युद्ध क्षेत्र में उन्हें हिसा से मुक्त रखा जाता है। आइएमए ने एक बयान में कहा, 'आइएमए जिस वजह से आज प्रतिक्रिया दे रहा है, वह यह है कि चिकित्सा देखरेख से वंचित करने की चिताजनक खबरें सामने आ रही हैं। यह अस्वीकार्य है। सभी को चिकित्सा देखरेख प्राप्त करने का हक है।' इसमें कहा गया है, 'सरकार और उसके प्रतिष्ठान को किसी को उसके अधिकारों से वंचित करने का अधिकार नहीं है। हिसक तरीके से पुलिसकर्मियों का एक आइसीयू में घुसने का दृश्य नए सच और नए मापदंड का स्पष्ट संकेत हैं।'

असम में भी कश्मीर जैसी स्थिति पैदा की जा रही है : जुबिन गर्ग

कहा : हम किसी भी कीमत पर नागरिकता संशोधन कानून को स्वीकार नहीं करेंगे, उसे जाना होगा

गुवाहाटी, 22 दिसंबर (भाषा)।

गायक जुबिन गर्ग ने कहा है कि असम राज्य में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ एक क्रांति शुरू हुई है और लोग इस अनुचित विधान के खिलाफ खड़े हुए हैं और वे दबाव में झुकेंगे नहीं।

जुबिन गर्ग का असम में काफी सम्मान है और वह संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन के सबसे मुखर चेहरों में शामिल हैं। विरोध प्रदर्शन की शुरूआत से ही 47 वर्षीय गर्ग अपने मुखर भाषणों और भावनात्मक गानों से सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संशोधित नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर असम में कश्मीर जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाहती है।

बॉलीवुड में 'या अली', 'सुबह सुबह' और 'जाने क्या चाहे मन बावरा' जैसे गाने गा चुके गर्ग ने कहा, 'हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रहा है लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा बलों की कार्रवाई में लोग मारे गए। यह खेदजनक है लेकिन हम असमी किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे। हम किसी भी कीमत पर सीएए को स्वीकार नहीं करेंगे, उसे जाना होगा।' उन्होंने असम की स्थिति की तुलना जम्मू-कश्मीर से की, जहां राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया था और इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी।

● सरकार हम पर हावी होने का प्रयास कर रही है। असम में कभी भी ऐसा कर्फ्यू नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी। यह तानाशाही है। वे असम में वैसी ही स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं जैसी उन्होंने कश्मीर में की।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, 'सरकार हम पर हावी होने का प्रयास कर रही है। असम में कभी भी ऐसा कर्फ्यू नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी। यह तानाशाही है। वे असम में वैसी ही स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं जैसी उन्होंने कश्मीर में की।'

उन्होंने सवाल किया कि क्या लोग मूर्ख हैं और इस सीएए मुद्दे को नहीं समझते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोग इस आंदोलन की मुख्य शक्ति हैं।उन्होंने कहा, 'मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लोग इसके खिलाफ आ गए हैं और क्रांति अभी शुरू ही हुई है। इस संघर्ष में समाज के सभी वर्ग एकजुट हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, असम सरकारी प्राधिकारियों की यह तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा।'

गुवाहाटी में कर्फ्यू 11 दिसंबर की शाम को लगाया गया था और इसे मंगलवार सुबह हटा लिया गया था, इंटरनेट सेवाओं पर उसी दिन रोक लगाई गई थी, जिसे शुक्रवार सुबह बहाल कर दिया गया।

गायक एवं सामाजिक कार्यकर्ता ने पिछले वर्ष नागरिकता संशोधन विधेयक पर एक गाना 'राजनीति नोकोरिबा बंधु' लिखा था और यह इस आंदोलन का गाना बन गया है। आल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) या कलाकार समुदाय द्वारा आयोजित विभिन्न प्रदर्शनों में गर्ग ने सार्वजनिक रूप से कानून की निंदा की है।

प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को 'संविधान विरोधी, अत्यंत ध्रुवीकरण करने वाला' बताने के साथ ही कहा कि यह '1985 के असम समझौते का उल्लंघन करता है।' उन्होंने कहा, 'समझौता स्पष्ट तौर पर कहता है कि 24 मार्च, 1971 के बाद आए सभी अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जाएगा। असम कोई डस्टबिन नहीं हो सकता जहां राजनीतिक हितों की पूर्ति के वास्ते अवैध प्रवासियों को डाला जाए।'गायक के अनुसार यह आंदोलन असमी लोगों द्वारा लड़ा जा रहा है और इसमें सभी आस्था या संस्कृति वाले समुदाय शामिल हैं। इसमें असमी बोलने वाले सभी शामिल हुए हैं जिसमें हिंदू, मुसलिम, सिख, ईसाई, बंगाली, मारवाड़ी, आदिवासी और कई अन्य शामिल हैं।'

● लोग इसके खिलाफ आ गए हैं और क्रांति अभी शुरू ही हुई है। इस संघर्ष में समाज के सभी वर्ग एकजुट हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, असम सरकारी प्राधिकारियों की यह तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा।

उन्होंने कहा, 'असम का यह सामाजिक..सांस्कृतिक सौहार्द कुछ ऐसा है जिसे भाजपा पसंद नहीं करती, इसलिए सीएए के जरिए वे राज्य में हिंदू..मुसलिम या असमी..बंगाली का द्विवर्ण बनाना चाहते हैं।' गर्ग ने कहा कि असम को 2021 में राज्य चुनाव से पहले एक 'राजनीतिक विकल्प' की जरुरत है।

उन्होंने कहा, 'हमें अब भाजपा की कोई जरुरत नहीं है, असम गण परिषद या कांग्रेस की भी नहीं। हमें एक नई पार्टी चाहिए। हमने इस पर बातचीत भी शुरू कर दी है और अगले वर्ष तक हमारे पास इस दिशा में कुछ ठोस होगा।'

www.readwhere.com

काबू में नहीं आ रहा प्याज, अब तुर्की से होगा आयात

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

प्याज की आसमान छूती कीमतों में कमी के फिलहाल कोई आसार नहीं हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद देश के तमाम शहरों व ग्रामीण इलाकों तक में प्याज 100 से 180 रुपये प्रति किलो तक बेचा जा रहा है। इसकी कीमतों में फौरी बढ़त पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने तुर्की से 12,500 मीट्रिक टन प्याज खरीद का ताजा करार किया है। विदेशी प्याज की यह खेप जनवरी मध्य तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है।

सूत्रों ने बताया कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने प्याज की कीमतों को काबू में लाने के लिए तुर्की से 12,500 मीट्रिक टन प्याज की खरीद का करार किया है। इसके साथ ही विदेशी प्याज के आयात का आंकड़ा 42,500 मीट्रिक टन तक जा पहुंचा है। अधिकारियों की मानें तो यह प्याज दिसंबर के अंत से जनवरी के मध्यम तक अलग अलग खेपों में पहुंचेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि प्याज की यह विदेशी खेप देश के बाजार में इसकी कीमतों पर लगाम लगाने में सहायक साबित हो सकती है। सरकारी आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि बाजार में प्याज की कमी की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसके घरेलू उत्पादन में करीब 26 फीसद की कमी आई है।

सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि बीते नवंबर माह में देश के विभिन्न बाजारों में प्याज की कीमतों में 81 फीसद तक की उछाल देखी गई। रसोई घर की सबसे जरूरी वस्तुओं में शुमार इस प्याज की कीमत अब भी 100 रुपए प्रति किलो से 180 रुपए किलो और कहीं कहीं इससे भी ज्यादा बनी हुई है। सूत्रों की मानें तो सरकार को यह कतई उम्मीद नहीं है कि इसकी कीमतों में फिलहाल किसी किस्म की गिरावट आएगी, लिहाजा इसके आयात का नया करार किया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने स्वीकार किया था कि पैदावार कम होने की वजह से ही प्याज की कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है।

अधिकारियों की मानें तो बीते सितंबर महीने से ही प्याज की कीमतों में तेजी देखी जा रही है और सरकार की संबंधित एजंसियां तभी से इस प्रयास में लगी हैं कि कीमतें काबू की जाएं। विदेशी प्याज के आयात की जरूरत भी इसीलिए बार-बार पड़ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि तुर्की से राजनयिक रिश्तों में पिछले दिनों आई कुछ खटास के बावजूद सरकार ने इसीलिए वहीं की प्याज खरीद का फैसला किया क्योंकि दूरदराज के देशों से मंगाने पर इसके रास्ते में ही खराब हो जाने का खतरा है।

हिंद महासागर में उठे तूफानों ने तोड़ा 125 साल का रेकार्ड

पेज 1 का बाकी

और 1976 में आए थे। वहीं अरब सागर में 1902 में आए पांच चक्रवाती तूफानों में चार की तीव्रता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई थी। इस लिहाज से अरब सागर इस साल सात चक्रवाती विक्षोभों (साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस) का केंद्र बनने के साथ तुलनात्मक रूप से ज्यादा सक्रिय रहा। इनमें से पांच विक्षोभ ने चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर गंभीर श्रेणी में अपनी मौजूदगी दर्ज की।

वहीं, बंगाल की खाड़ी से इस साल तीन चक्रवाती तूफान (पाबुक, फानी और बुलबुल) उठे। हिंद महासागर क्षेत्र में इस साल उठे अन्य चक्रवाती तूफानों में 'वायु' ने जून और 'हिक्का' ने सितंबर में दस्तक दी जबकि नवंबर में अरब सागर से 'महा' और बंगाल की खाड़ी से 'बुलबुल' ने एक साथ अपना असर दिखाया था। इनमें 'महा' की तीव्रता को अति गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया जबकि अक्तूबर में आया 'क्यार' 'सुपर साइक्लोनिक स्ट्रॉम' साबित हुआ।

राजघाट पर कांग्रेस का सत्याग्रह आज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू किए जाने के खिलाफ देश भर में जारी आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस के बल प्रयोग की मुखालफत करने के लिए कांग्रेस सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सत्याग्रह करेगी। इस सियासी जलसे में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व महासचिव प्रियंका गांधी सहित पार्टी के अन्य तमाम वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है।

इस सत्याग्रह के आयोजन को लेकर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा और केंद्र की राजग सरकार के तनाशाही रवैए के विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्याग्रह करेंगे। एनआरसी और सीएए की ओर संकेत करते हुए उन्होंने अपने बयान में कहा कि सरकार के हालिया कदमों का पूरे देश में विरोध हो रहा है। विशेष रूप से युवा वर्ग कुछ ज्यादा ही आंदोलित है। वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा की राज्य सरकारों ने कानून व व्यवस्था की बहाली के नाम पर पुलिस की ताकत का बर्बर प्रयोग किया। सरकार के बल प्रयोग से स्थिति और बिगड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान प्रदत्त अधिकारों की लड़ाई पूरी मुस्तैदी से लड़ेगी। दूसरी ओर सोमवार को आयोजित किए जा रहे इस सत्याग्रह को सफल बनाने में सूबे के कांग्रेसियों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के तमाम आला नेताओं की मौजूदगी में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को अपना दम खम दिखाना है। लिहाजा, पार्टी नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सत्याग्रह के आयोजन की तैयारियों में जुटे एक नेता ने कहा कि राजघाट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक जुटेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी प्रमुख नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है।

विपक्ष भारत में नया पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहा है : विजयवर्गीय

इंदौर (मध्य प्रदेश), 22 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर विपक्षी दलों के पुरजोर विरोध पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को आरोप लगाया कि विपक्ष द्वारा देश में नया पाकिस्तान बनाने की साजिश रची जा रही है।

सीएए के समर्थन में यहां भाजपा के आयोजित आभार सम्मेलन में विजयवर्गीय ने कहा, 'विपक्ष हमारे देश के अंदर एक नया पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहा है। इस साजिश को नाकाम करने के लिए पूरे देश को कमर कसनी होगी।' उन्होंने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में कहा, 'हमारे मुसलिम भाइयों को भ्रमित करने के लिए विपक्षी दल कह रहे हैं कि (सीएए से) उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हम सच भी इतने आत्मविश्वास से नहीं बोल पा रहे हैं, जितने आत्मविश्वास से हमारे विरोधी लोग जनता के बीच झूठ परोस रहे हैं।'

विजयवर्गीय ने सीएए के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का आभार जताते हुए कहा, 'आप मुझे सीएए में लिखा केवल एक ऐसा शब्द बता दीजिए जो इस कानून के अंतर्गत भारत के किसी भी वैध नागरिक को कोई क्षति पहुंचाता हो या उसकी नागरिकता पर कोई खतरा पैदा करता हो।' उन्होंने कहा, 'अभी देश के केवल 10 से 20 फीसद लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं।

प्रज्ञा की शिकायत पर स्पाइसजेट ने दी सफाई

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

स्पाइसजेट ने रविवार को स्पष्ट किया कि भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को दिल्ली-भोपाल उड़ान के चालक दल के सदस्यों ने गैर-आपात पंक्ति की सीट की ओर जाने को कहा क्योंकि वे व्हीलचेयर पर थीं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिससे उड़ान में देरी हुई।

ठाकुर ने उड़ान संख्या एसजी2489 में 1ए सीट बुक की थी और शनिवार को अपनी व्हीलचेयर पर दिल्ली हवाईअड्डे पहुंची थीं। एअरलाइन के प्रवक्ता के मुताबिक एक ओर कुछ यात्रियों ने ठाकुर से उनकी सीट आपात पंक्ति से बदल कर गैर-आपात पंक्ति में कर लेने का आग्रह किया जबकि कुछ अन्य ने उन्हें विमान से उतारने का अनुरोध किया, क्योंकि वे सीट बदलने से इनकार कर रहीं थीं।

एफएटीएफ ने पाकिस्तान से पूछे 150 नए सवाल

पेज 1 का बाकी

व आंकड़े मांगे हैं। एफएटीएफ ने 150 नए सवालों की सूची पाकिस्तान सरकार को भेजी है। पाकिस्तान को 150 सवालों का जवाब देने के लिए आठ जनवरी 2020 की समय सीमा दी गई है। एफएटीएफ की अगली बैठक बेजिंग में 21 जनवरी से 24 जनवरी के बीच प्रस्तावित है, जहां पाकिस्तान को रिपोर्ट पर अपने पक्ष का बचाव करने का अवसर दिया जाएगा। पाकिस्तान जून 2020 तक समय सीमा में छूट चाहता है, जब एफएटीएफ की पूर्ण समीक्षा बैठक होने वाली है।

एफएटीएफ ने पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक 'ग्रे' सूची में रखा है। संस्था ने अक्तूबर में चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान 27 सूत्री सूची में शेष 22 बिंदुओं पर अनुपालन नहीं करता है तो उसे 'काली सूची' में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान ने छह दिसंबर को 22 सवालों का जवाब देते हुए एफएटीएफ को रिपोर्ट सौंपी थी।

एफएटीएफ के संयुक्त समूह ने पाकिस्तान को जो 150 सवाल भेजे हैं, उसमें कुछ स्पष्टीकरण, ताजा जानकारी और प्रतिबंधित संगठनों से सम्बद्ध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी है। पाकिस्तानी मीडिया ने अपने देश के एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से कहा है, 'हमें अपनी अनुपालन रिपोर्ट पर एक ईमेल के जरिए एफएटीएफ से एक जवाब मिला है जिसमें उन्होंने 150 सवाल पूछे हैं। उनमें से कुछ में और अधिक आंकड़े, कुछ स्पष्टीकरण व प्रतिबंधित संगठनों से सम्बद्ध मदरसों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी गई है।'

मुंबई आतंकी हमले के सरगना हाफिज सईद के नेतृत्व वाले जमात उद दावा के नेटवर्क में 300 मदरसे और स्कूल शामिल हैं। इन सबके बारे में एफएटीएफ ने सवाल पूछे हैं। मार्च में पाकिस्तान ने बताया था कि सरकार ने जेयूडी के 160 मदरसों, 32 स्कूलों, दो कॉलेजों, चार अस्पतालों, 178 एंबुलेंसें और 153 दवाखानों और प्रांत में इसकी तथाकथित धमार्थ शाखा 'फला ए इंसानियत' (एफआइएफ) को अपने कब्जे में ले लिया है। दक्षिणी सिंध प्रांत में जेयूडी और एफआइएफ द्वारा संचालित कम से कम 56 मदरसों व अन्य संस्थानों को लेकर भी सवाल उठने के बाद पाकिस्तान सरकार ने उन्हें अपने कब्जे में लिया। जेयूडी को लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन माना जाता है, जो 2008 के मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार है।

एलओसी पार तीन पाक चौकियां और आतंकी ठिकाना तबाह

पेज 1 का बाकी

और पुंछ सेक्टरों में गोलीबारी हुई। भारतीय सेना ने सभी सेक्टरों में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी गोलीबारी में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दूसरी ओर से भी हताहतों के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक, 'रविवार सुबह करीब सवा 10 बजे पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी कर संघर्षविराम उल्लंघन किया और नौशेरा सेक्टर (राजौरी) में मोर्टार दागे। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। 21 और 22 दिसंबर की दरम्यानी रात में मेंढर, कृष्णा घाटी और पुंछ सेक्टरों में कई जगहों पर पाकिस्तान ने संघर्षविराम उल्लंघन किया।' पाकिस्तानी गोलाबारी में नौशेरा सेक्टर में कई गांव प्रभावित हुए।

शुक्रवार और शनिवार की कार्रवाई में एलओसी पार पाकिस्तान के दो सैनिकों को मार गिराया गया था। कई आतंकी भी मारे गए। इस बाद, रात में उत्तरी कश्मीर के दुदनियाल और एथमुकाम में भी तीन पाकिस्तानी चौकियों और आतंकी संगठन जैश के एक लांचिंग पैड को भारी नुकसान पहुंचाया गया। दोनों तरफ से हो रही गोलाबारी के कारण सीमावर्ती इलाके में तनाव बना हुआ है। पाकिस्तानी सेना मोर्टार और तोपखाने का इस्तेमाल कर रही है। सैन्य प्रशासन ने अग्रिम चौकियों को पूरी तरह ऑपरेशनल मोड में तैयार रहने का निर्देश दिया है।

नागरिकता कानून : मुंबई, पुणे में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी

पेज 1 का बाकी

में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था- 'इस सहस्राब्दी के लोग सीएए स्वीकार नहीं करेंगे', 'हम सीएए और एनआरसी को खारिज करते हैं', 'अस्तित्व का सम्मान करो या विरोध स्वीकार करो', 'हमारी एकता लाठी से मजबूत है', 'सभी फासीवादियों की हार तय है', 'मोदी तेरी चाय धर्मनिरपेक्ष नहीं है' आदि।

उधर, कर्नाटक सरकार ने मंगलुरु में मारे गए दो लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने के बाद यह एलान किया। बंगलुरु में रविवार को संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में आयोजित एक प्रदर्शन में हिस्सा लेकर लौट रहे 31 साल के एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से कथित रूप से हमला किया। हमले में घायल वरुण को पास के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत स्थिर बताई जाती है।

बिहार में विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने भागलपुर जिले के अपने तीन कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया। ये कार्यकर्ता नागरिकता अधिनियम और प्रस्तावित एनआरसी के खिलाफ बंद के दौरान उपद्रव में लिप्त थे। पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तिरुपतिनाथ यादव, मिराज चंद और शहजादा के निष्कासन आदेश शनिवार को जारी किए। तमिलनाडु के कई हिस्सों में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ इस्लामिक संगठनों के करीब 500 सदस्यों और बड़ी संख्या में माकपा कार्यकर्ताओं ने यहां रविवार को प्रदर्शन किए। चेपौक में महिलाओं समेत इस्लामिक संगठनों के कई सदस्यों ने पोस्टर हाथों में लिए प्रदर्शन किए और थाउजेंड लाइट्स इलाके में माकपा कार्यकर्ताओं ने पर्चे बांटे।

नागरिकता संशोधन कानून पर भाजपा, कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप

हैदराबाद, 22 दिसंबर (भाषा)।

टीपीसीसी के अध्यक्ष एवं सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने रविवार को कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा देश के मौलिक मूल्यों पर हमला कर रही है जबकि भाजपा में उनके समकक्ष के. लक्ष्मण ने इसके लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए इसे पार्टी की तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया।

रेड्डी ने यहां सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कहा, 'कांग्रेस पार्टी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ है। भाजपा इस देश के मौलिक मूल्यों पर हमला कर रही है और वे इसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं।' कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और काडर ने तख्तियां ले रखी थीं जिसमें लिखा था : 'हमलोग एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं', 'सीएए का विरोध करते हैं'।

कंडाघाट के पास हादसे में पांच युवकों की मौत

पेज 1 का बाकी

नहीं चला। रविवार सुबह करीब 10 बजे जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां कार में दो युवकों के शव फंसे देखे। छानबीन करने पर तीन अन्य युवकों के शव वहां ढांक में ही इधर-उधर पड़े मिले। इनमें से तीन की पहचान हरियाणा के जिला पंचकूला में गांव गढ़ी कोटाहा (थाना रायपुररानी) के विपुल कुमार, राहुल और सचिन धीमान के रूप में हुई जबकि हुस्नलाल और महावीर गांव रायपुररानी के रहने वाले थे।

पुलिस के मुताबिक बीती रात सलोगड़ा के गांव जोखड़ी के भूपेंद्र शर्मा जब रात दस बजे के करीब फैक्टरी में अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे तो उन्हें पड़ौथा के पास पहुंचने पर सड़क के किनारे निशान से दिखे। चूंकि नीचे की ओर अंधेरा था तो कुछ नजर नहीं आया। सो वे फैक्टरी चले गए। वहां उन्होंने अपने साथियों को बताया कि उसे लगता है कि पड़ौथा के पास शायद कोई वाहन नीचे गिरा है। लेकिन उनके साथियों ने इसे उनका वहम समझा। सुबह डयूटी से घर लौटने के समय वे मौके पर पहुंचे और नीचे ढांक व जंगल में गए, वहां जाकर देखा तो पाया कि एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। उनका अंदेशा सही निकला। उन्होंने गांव वालों व पुलिस को हादसे की जानकारी दी। पुलिस व स्थानीय लोगों के मौके पर पहुंचे तो पांचों युवकों को मृत अवस्था में पाया। शवों को अस्पताल पहुंचाया गया। एएसपी शिवकुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम कराकर पांचों शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

घर में मृत मिले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नंजुंदन

पेज 1 का बाकी

अपार्टमेंट में मिली है। डॉ. नंजुंदन को दर्जनों कन्नड़ किताबों को तमिल में अनुवाद करने की वजह से ख्याति मिली। इन किताबों में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता यूआर अनंतमूर्ति की कृति 'भाव' और 'अवस्थे' शामिल है। उन्हें वर्ष 2012 में 'अक्का' के लिए अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला। यह विभिन्न कन्नड़ लेखिकाओं की लघु कथा है जिसे उन्होंने तमिल में अनुवादित किया है।

पुलिस के मुताबिक डॉ. नंजुंदन बंगलुरु विश्वविद्यालय में सांख्यिकी के व्याख्याता के रूप में कार्यरत थे और कई दिनों से पढ़ाने नहीं आए थे। उन्होंने बताया कि जब उनके सहायक को आशंका हुई तो वह शुक्रवार को उन्हें देखने घर गया जहां से बदबू आ रही थी। पुलिस ने बताया कि सहायक ने तब इसकी जानकारी डॉ. नंजुंदन की पत्नी और बेटे को दी जो चेन्नई में रहते हैं। परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी जिसके बाद दरवाजे को तोड़ा गया और वहां पर उनकी सड़ी हुई लाश मिली।

एम्स ने चारों आरोपियों के दूसरे पोस्टमार्टम के लिए टीम बनाई

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

एम्स ने हैदराबाद के समीप एक महिला पशु चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार और हत्या के चारों आरोपियों के शवों का दूसरी बार पोस्टमार्टम करने के लिए तीन फॉरेंसिक डॉक्टरों का दल गठित किया है। ये चारों आरोपी छह दिसंबर को एक कथित मुठभेड़ में मारे गए थे। एम्स में फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता के नेतृत्व वाले दल में डॉ. आदर्श कुमार और डॉ. अभिषेक यादव सदस्य हैं। पोस्टमार्टम में डॉ. वरुण चंद्रा टीम की मदद करेंगे।

तेलंगाना के विशेष मुख्य सचिव को भेजे एक पत्र में एम्स ने बताया कि टीम हैदराबाद में 23 दिसंबर को सुबह नौ बजे सरकारी गांधी अस्पताल के मुर्दाघर में दूसरा पोस्टमार्टम करेगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने चारों आरोपियों का दूसरा पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश के अनुसार शवों को गांधी अस्पताल में रखा गया है। हाई कोर्ट में आरोपियों की न्यायेतर हत्याओं और इसे फर्जी मुठभेड़ बताने का आरोप लगाते हुए याचिकाएं दायर की गई थीं। खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि पोस्टमार्टम 23 दिसंबर से पहले किया जाए और हाई कोर्ट के महापंजीयक को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए।

पोस्टमार्टम के बाद शवों को चारों आरोपियों के परिवारों को सौंपा जा सकता है। डॉक्टरों को उनके द्वारा एकत्रित किए गए सबूतों के आधार पर स्वतंत्र राय पेश करने की सलाह दी गई है। इन चारों आरोपियों को महिला पशु चिकित्सा से बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के बाद उसका शव जलाने के आरोप में 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले को लेकर देशभर में प्रदर्शन हुए थे। छह दिसंबर को पुलिस ने चट्टनपल्ली में एक मुठभेड़ में इन्हें उस वक्त मार गिराया था जब उन्हें जांच के लिए अपराध दृश्य की पुनर्रचना के वास्ते मौका-ए-वारदात पर ले जाया गया। इस 'मुठभेड़' पर कई कानूनी प्रश्नचिह्न लगे हैं।

यूपी हिंसा में अब तक 18 की मौत, मेरठ-कानपुर में दो घायलों ने तोड़ा दम

पेज 1 का बाकी

कि कानपुर के बाबूपुरवा में हुई हिंसा में गंभीर रूप से जख्मी हुए मोहम्मद रईस (30) की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हिंसा में एआइएमआइएम और सिमी के कार्यकर्ताओं की भूमिका संदिग्ध है। कानपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक प्रेमप्रकाश ने बताया कि हिंसा में पाकिस्तानी खुफिया एजंसी आइएसआइ का हाथ होने की आशंका को भी मद्देनजर रखकर जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक रविवार को पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही और सामान्य जनजीवन सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक प्रदर्शनों, आगजनी, तोड़फोड़ और गोलीबारी के मामले में कुल 164 मुकदमे दर्ज कर 879 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 5312 लोगों को हिरासत में लेकर निरोधात्मक कार्यवाही की गई। हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई बलवाइयों की संपत्ति से करने की दिशा में कदम उठाते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने नुकसान के आकलन के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की है।

इस बीच, प्रदेश में हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों से मुलाकात करने गए तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर पर हिरासत में ले लिया गया। विरोध में उन सभी ने हवाई अड्डे पर धरना प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने हिंसा के लिए राज्य सरकार और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। सपा ने इसे सरकार प्रायोजित हिंसा करार दिया। कांग्रेस ने इसकी न्यायिक जांच की मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बिजनौर पहुंचीं और नहटौर इलाके में हुई हिंसा में मारे गए दो लोगों के परिजनों से मुलाकात की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर जानबूझकर आगजनी और हिंसा की गई। सरकार के इशारे पर पुलिस ने गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की।

कश्मीर से हिरासत में लिए व्यक्ति की प्रयागराज में मौत

पेज 1 का बाकी

के हंदवाड़ा जिले के कुलगाम का निवासी गुलाम मोहम्मद भट पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिए जाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किए जाने के तत्काल बाद पीएसए के तहत हिरासत में लिए गए सैकड़ों लोगों में से एक था। अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के सक्रिय सदस्य भट पर पीएसए लगाया था, जो अगले साल नौ जनवरी को खत्म होना था।

उन्होंने कहा कि भट्ट कई बीमारियों से जूझ रहा था और शनिवार शाम चार बजे नैनी केंद्रीय कारागार में उसने अंतिम सांस ली। उसके शव को विमान से यहां लाया गया और दफनाने के लिए परिवार को सौंप दिया गया।

भट के खिलाफ आतंकवाद-रोधी कानून, गैरकानूनी (गतिविधियां) रोकथाम अधिनियम समेत कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दो मामले दर्ज थे। इनमें से एक मामला 2016 का और एक मामला इसी साल का है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर घटना की निंदा करते हुए लिखा गया कि 'भट हिरासत में लिए गए पहले ऐसे कश्मीरी नेता हैं, जिनकी कश्मीर से बाहर किसी जेल में मौत हुई। गृह मंत्रालय के हाथ खून में सने हुए हैं और इसके लिए उसे जवाब देना होगा।' महबूबा का ट्विटर अकाउंट उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती देख रही हैं। पीएसए के तहत हिरासत में लिये गए लगभग 300 राजनीतिक नेताओं को पांच अगस्त के बाद कश्मीर घाटी से बाहर की जेलों में बंद कर दिया गया।

एनआरसी कैबिनेट में आया न संसद में : मोदी

पेज 1 का बाकी

लोगों ने सोशल मीडिया में भ्रम और आग फैलाने का गुनाह किया है।

कांग्रेस एवं कुछ अन्य दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी, शहरों में रहने वाले कुछ पढ़े लिखे नक्सली-अर्बन नक्सल, ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। कुछ तो अपनी शिक्षा की कद्र करिए। एक बार पढ़ तो लीजिए नागरिकता संशोधन एक्ट है क्या? उन्होंने कहा कि अब भी जो भ्रम में हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और शहरी नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाह सरासर झूठ हैं।

उन्होंने कहा कि अब भी जो भ्रम में हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा फैलाई गई बातें अफवाह हैं, झूठ है, झूठ है और केवल झूठ है। यह नापाक खेल है, गलत इरादे से फैलाई गई बातें हैं।

मोदी ने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, माकपा नेता प्रकाश करात सहित कुछ अन्य दलों के नेताओं द्वारा पूर्व में दिए गए बयानों का हवाला देते हुए कहा कि इन्होंने पहले इसके पक्ष में बातें कही थी। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले और खुद को भारत का भाग्य विधाता मानने वाले, आज जब देश की जनता द्वारा नकार दिए गए हैं, तो इन्होंने अपना पुराना हथियार निकाल लिया है- बांटों, भेद करो और राजनीति का उल्लू सीधा करो। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पुराने राजनीतिक दलों से जुड़े नेता शांति के लिए एक आवाज उठाने को तैयार नहीं है और मौन रहकर पुलिसकर्मियों एवं अन्य लोगों पर हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं।

उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि केंद्र सरकार ने सैकड़ों कॉलोनियों को नियमित किया लेकिन किसी नागरिक से कोई सबूत नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि कानून का विरोध करने वालों को सही प्रकार से कानून को पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और शहरी नक्सलियों द्वारा डिटेंशन सेंटर की अफवाह उड़ाई गई है और जो सरासर झूठ है। जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, उनका नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों से ही कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को जनता ने बैठाया, यह अगर आपको पसंद नहीं है, तो आप मोदी को गाली दो, विरोध करो, मोदी का पुतला जलाओ लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ, गरीब का रिक्शा मत जलाओ। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी इस बात से तिलमिलाए हुए हैं कि आखिर क्यों एनडीए सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुसलिम बहुल देशों में समर्थन मिलता है। अफगानिस्तान, फलस्तीन, सऊदी अरब, यूएई, मालदीव, बहरीन जैसे देशों ने भारत को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि बीते पांच साल में मुसलिम देशों ने जितनी संख्या में भारतीय कैदियों को छोड़ा है, वो अप्रत्याशित है।मोदी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू व सिखों को जब भी लगे कि भारत आना चाहिए, उनका भारत में स्वागत है। उनके आदर्शों के अनुरूप ही सरकार ने 70 साल पुराने वादे को पूरा किया है, तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक दौर था, जब विपक्ष के नेता इन लोगों के समर्थन में चिट्ठियां लिखते थे लेकिन अब रातोंरात बदल गए हैं क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक खतरे में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) तक जाने की सिफाशि की है। जबकि पहले वे खुद ही बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोकने की सिफारिश और वहां के शरणार्थियों की मदद करने की सिफारिश करती थी। अब चुनाव आ गया है, तो डरती क्यों हैं जबकि पहले तो संसद में अध्यक्ष के आसन के सामने कागज फेंकती थी। कांग्रेस व भाकपा के ने भी इन्हें राहत देने की सिफारिश की थी।

www.readwhere.com

खबर कोना

लाहौर में रविवार सुबह ठंड से बचने के लिए आग तापते लोग। पाकिस्तान के कई शहर ठंड की चपेट में आ गए हैं।

परमार्थ संगठन के फजल हसन आबेद को श्रद्धांजलि

ढाका, 22 दिसंबर (एएफपी)।

बांग्लादेश में दुनिया के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में एक के संस्थापक और करीब 15 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने में अहम योगदान निभाने वाले फजल हसन आबेद के अंतिम संस्कार में हजारों लोग पहुंचे। आबेद (83) की शुक्रवार को अस्पताल में निधन हो गया था। वहां उनका ब्रेन ट्यूमर का इलाज चल रहा था। उनका पार्थिव शरीर ढाका में एक स्टेडियम में लाया गया जहां कम से कम 10000 लोग उनके अंतिम संस्कार में शरीक हुए। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनूस, शीर्ष नेताओं, राजनयिकों और व्यापारियों ने आबेद को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने 1972 में बीआरएसी की स्थापना की था।

सीएए, एनआरसी पर बांग्लादेश ने कहा

अनिश्चितता की स्थिति से पड़ोसी देशों पर पड़ सकता है असर

ढाका, 22 दिसंबर (भाषा)।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने कहा कि सीएए और एनआरसी भारत के 'आंतरिक मुद्दे' हैं। उन्होंने साथ ही चिंता जताई कि देश में अनिश्चितता की कोई भी स्थिति पड़ोसी मुल्कों पर असर डाल सकती है।

भारत में विवादित नागरिकता संशोधन कानून पर बढ़ते प्रदर्शनों के बीच मोमेन ने उम्मीद जताई कि स्थिति में नरमी आएगी और भारत इस समस्या से बाहर निकल सकेगा। मोमेन ने सीएए और खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शनों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'कैब (अब नागरिकता संशोधन कानून) और एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजिका) भारत के अंदरूनी मुद्दे हैं। भारत सरकार ने हमें बार-बार आश्वस्त किया है कि ये उनके घरेलू मुद्दे हैं, वे कानूनी और अन्य वजहों से ऐसा कर रहे हैं।'

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से बातचीत करते हुए उन्हें आश्वस्त किया था कि किसी भी परिस्थिति में इसका असर बांग्लादेश पर नहीं पड़ेगा। मंत्री ने दोहराया कि उनका देश भारत पर यकीन करता है। उन्होंने कहा, 'हम भारत के नंबर वन दोस्त हैं। अगर भारत में अनिश्चितता की स्थिति है तो उसका असर उसके पड़ोसियों पर पड़ने की आशंका है। जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आती है तो इससे कई देश प्रभावित होते हैं क्योंकि हम वैश्विक दुनिया में जीते हैं। हमारा डर है कि अगर भारत में अनिश्चितता की कोई स्थिति होती है तो इसका असर उसके पड़ोसियों पर भी पड़ सकता है।'

मोमेन ने कहा, 'यह चिंता की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति में सुधार आएगा और भारत इससे बाहर निकल सकेगा। यह उनका आंतरिक मुद्दा है। यह हमारा मसला नहीं है। उन्हें इससे निपटना चाहिए।' उन्होंने हाल ही में कहा था कि बांग्लादेश ने भारत से अनुरोध किया है कि अगर उसके पास वहां अवैध रूप से रह रहे किसी भी बांग्लादेशी नागरिक की सूची है तो वह उसे मुहैया कराए और बांग्लादेश उन्हें वापस बुलाएगा। विदेश मंत्री ने 12 दिसंबर से शुरू होने वाली अपनी भारत की यात्रा को कुछ घंटों पहले ही रद्द कर दिया था। मंत्री ने कहा था कि उनका व्यस्त कार्यक्रम है और साथ ही विदेश मामलों के राज्यमंत्री शहरयार आलम और देश में मंत्रालय के सचिव भी अनुपस्थित हैं।

चाबहार बनाने में तेजी लाने पर सहमत भारत व ईरान

तेहरान, 22 दिसंबर (भाषा)।

भारत और ईरान रविवार को रणनीतिक चाबहार परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी समकक्ष जवाद जरीफ के साथ पारस्परिक हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक बातचीत की।

चाबहार बंदरगाह को भारत, ईरान और अफगानिस्तान संयुक्त रूप से विकसित कर रहे हैं। इस परियोजना को तीन देशों के मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के सुनहरे अवसरों के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है। जयशंकर दो दिवसीय ईरान यात्रा पर हैं। उन्होंने जरीफ के साथ 19वें संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। उनके ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात करने की भी उम्मीद है। जयशंकर ने बैठक के बाद ट्वीट किया कि सह-अध्यक्ष विदेश मंत्री जरीफ के साथ भारत-ईरान संयुक्त आयोग की सार्थक बैठक संपन्न हुई। उन्होंने कहा, 'अपने सहयोग के पूरे आयाम की समीक्षा की। अपनी चाबहार परियोजना की गति तेज करने पर सहमत हुए।' अमेरिका ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के मामले में भारत को प्रतिबंधों से छूट दी है क्योंकि वाशिंगटन का कहना है कि यह रणनीतिक परियोजना युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के लिए भारत से मानवीय आपूर्ति प्राप्त करने के लिए जीवनरेखा है। जयशंकर ने ज़रीफ़ को उनके सौहार्दपूर्ण स्वागत और सत्कार के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट किया, 'ईरानी विदेश मंत्री के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक तस्वीर पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। भारत और ईरान अपने साझा हितों को लेकर मिलकर काम करेंगे।'इससे पहले जरीफ ने ट्वीट किया कि दोनों देशों ने करीबी द्विपक्षीय संबंधों और हमें प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अच्छी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे संबंध प्राचीन, ऐतिहासिक और अटूट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महासभा के 74 वें सत्र के मौके पर रूहानी से मुलाकात की थी।

कैथोलिक चर्च की मेक्सिकन शाखा के पादरियों ने 175 बच्चों का यौन शोषण किया : रिपोर्ट

मैक्सिको सिटी, 22 दिसंबर (एएफपी)।

रोमन कैथोलिक चर्च की अति रूढ़िवादी मेक्सिकन शाखा से जुड़े पादरियों ने कम से कम 175 बच्चों का यौन शोषण किया। शनिवार को प्रकाशित आंतरिक रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार लीगनरीज ऑफ क्राइस्ट के संस्थापक मार्शियल मैसिएल ने कम से कम 60 बच्चों का यौन शोषण किया। वर्ष 1941 के बाद से कुल 33 पादरियों या छोटे पादरियों ने किशोर उम्र के बच्चों का यौन शोषण किया है। रिपोर्ट में 1941 से लेकर 16 दिसंबर 2019 तक के मामलों की जानकारी दी गई है। इस संबंध में बयान में कहा गया है, 'अधिकतर पीड़ितों में से 11 से 16 वर्ष की आयु के किशोर लड़के हैं।' इसमें कहा गया है कि यौन शोषण करने वाले 33 में से 18 पादरी अब भी संगठन का हिस्सा हैं लेकिन उन्हें जनता या नाबालिगों से जुड़े कार्यों से हटा दिया गया। मैसिएल को यौन शोषण के आरोपों का वर्षों तक सामना करने के बाद पोप बेनेडिक्ट सालहवें ने 2006 में जिंदगी भर के लिए प्रार्थना करने के अधिकार से वंचित करने का आदेश दिया था। मैसिएल की 2008 में मौत हो गई थी।

मिशन विफल, बोइंग स्टारलाइनर न्यू मेक्सिको में उतरा

वाशिंगटन, 22 दिसंबर (एएफपी)।

बोइंग का नया मानवरहित अंतरिक्षयान 'स्टारलाइनर' घड़ी में खराबी के कारण निर्धारित समय से छह दिन पहले ही यानि रविवार को धरती पर लौट आया। घड़ी में खराबी की वजह से यह यान अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से नहीं जुड़ पाया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ओर से प्रसारित तस्वीर के मुताबिक यान अंधेरे में सुरक्षित उतरा। इससे पहले तीन पैराशूट की मदद से यान की गति कम की गई और एअरबैग भी यान के तहत खुले। स्टारलाइनर के इस अंतरिक्षयान को शुक्रवार को फ्लोरिडा के केप केनवरल से प्रक्षेपित किया गया था लेकिन अपने एटलस वी प्रक्षेपण रॉकेट से अलग होने के कुछ ही देर बाद इसके प्रक्षेपक योजना के मुताबिक सक्रिय नहीं कर पाए। इससे यह अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र (आइएसएस) तक पहुंचने के लिए ऊंची कक्षा तक नहीं जा पाया। आइएसएस समुद्र तल से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रहा है जबकि यान 250 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया। करीब 50 घंटे के मिशन में स्टारलाइनर ने 33 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। स्टारलाइनर में केवल छद्म यात्री थे जिसका मतलब है कि मानव युक त मिशन से पहले यह ड्रेस रिहर्सल था।

राष्ट्रपति चुनाव में शुरुआती परिणाम, गनी को बहुमत

काबुल, 22 दिसंबर (एएफपी)।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी रविवार को आए चुनाव परिणामों के मुताबिक फिर इस पद पर काबिज होने के लिए तैयार हैं।

चुनाव अधिकारियों ने प्रारंभिक चुनाव परिणामों के अनुसार घोषणा की है कि राष्ट्रपति चुनाव में गनी को बहुमत हासिल हो गया है। लेकिन गनी की स्पष्ट जीत के बावजूद अत्याधिक कड़वाहट के साथ लड़े गए 28 सितंबर के चुनाव का नतीजा अंतिम नहीं माना जा सकता जहां शीर्ष प्रतिद्वंद्वी मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा कि वह परिणामों को चुनौती देंगे। स्वतंत्र चुनाव आयोग के मुताबिक 28 सितंबर को हुए चुनाव में गनी को 50.64 फीसद वोट मिले हैं जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला को 39.52 मत मिले हैं।

हांगकांग प्रदर्शनकारियों ने उइगर से एकजुटता प्रदर्शित की

हांगकांग, 22 दिसंबर (एएफपी)।

हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने रविवार को चीन के उइगर अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए रैली की। उन्होंने अपनी दशा को वहां दमन का सामना करने वाले मुसलिम अल्पसंख्यकों की स्थिति जैसा बताया। रैली के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने सरकारी भवन के पास से चीनी ध्वज उतार दिया। इसके बाद दंगा नियंत्रण पुलिस हरकत में आ गई और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। चीन अपने करीब 10 लाख उइगर और ज्यादातर मुसलिम जातीय अल्पसंख्यकों को उत्तर-पश्चिमी प्रांत शिंजियांग में हिरासत केंद्रों में रखने को लेकर अंतरराष्ट्रीय निंदा का सामना कर रहा है।

बेजिंग ने शुरुआत में शिजियांग शिविरों के अस्तित्व को खारिज कर दिया था लेकिन अब उसका कहना है कि ये व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हैं जो आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए जरूरी हैं। शिजियांग के ज्यादातर हिस्से में कड़ी निगरानी और हिरासत केंद्रों की व्यवस्था पर हांगकांग करीबी नजर रखे हुए है। हांगकांग के मार्च में उइगर समर्थक नारे और झंडे आम बात हो गई हैं लेकिन रविवार की रैली विशेष रूप से उइगर के लिए ही समर्पित थी। शहर में चौराहे पर करीब 1000 लोग ये भाषण सुनने जुटे कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की शिजियांग में कार्रवाई एक दिन हांगकांग में दोहराई जाएगी।

अमेजन के जंगल उम्मीद से कहीं ज्यादा धीमी गति से दोबारा उग रहे हैं : अध्ययन

लंदन, 22 दिसंबर (भाषा)।

कटाई के बाद अमेजन के जंगल उम्मीद से कहीं ज्यादा धीमी गति से उग रहे हैं। नए अध्ययन में यह बात सामने आई है।

यह शोध जर्नल इकोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। इसमें पिछले दो दशकों में जंगलों के फिर से उगने की निगरानी की गई है। इसमें दर्शाया गया कि जलवायु परिवर्तन और अधिक संख्या में जंगलों के नुकसान से अमेजन में जंगलों का फिर से उगना बाधित हुआ है। इन शोधकर्ताओं में लैंकास्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ता भी शामिल थे। इन निष्कर्षों के आधार पर शोधकर्ताओं ने अनुमान जताया कि जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणियों के महत्त्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह इसलिए हो सकता है क्योंकि वायुमंडल से कार्बन सोखने के लिए द्वितीयक जंगलों की क्षमता का अधिक अनुमान लगाया गया है। कटाई के बाद उगने वाले वन - जिन्हें आमतौर पर द्वितीयक वन कहा जाता है - को मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्त्वपूर्ण माध्यम माना गया है, क्योंकि ये वायुमंडल से बड़ी मात्रा में कार्बन लेते हैं। हालांकि, वर्तमान अध्ययन से पता चला है कि दोबारा उगने के 60 साल के बाद भी, अध्ययन किए गए द्वितीयक जंगलों में उन वनों की तुलना में केवल 40 फीसद कार्बन था, जिनमें मनुष्य ने बाधा नहीं डाली। शोधकर्ताओं के अनुसार, वर्तमान रुझानों की निरंतरता से इनकी भरपाई में एक सदी से अधिक समय लग सकता है, जिसका अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने की उनकी क्षमता को बहुत अधिक आंका गया है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank

पूर्व में विजया बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा, बल्लभगढ़ शाखा

नियम-8 कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व में विजया बैंक), बल्लभगढ़ का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित **कर्जदारों** को **निम्नांकित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था** जिसमें उल्लेखित **राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है** उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित** के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त सपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व में विजया बैंक), बल्लभगढ़, **के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटरों के नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रु. में)
1	(1) श्रीमती अनिता महापात्रा पत्नी जगदीश महापात्रा, मकान नं. 1527, सैक्टर 3 बल्लभगढ़ (2) जगदीश महापात्रा पुत्र स्व. श्री वृंधेश्वर महापात्रा, मकान नं. 1527, सैक्टर 3 बल्लभगढ़ (3) अनुज सलूजा पुत्र ए. सलूजा, मकान नं. 1566, सैक्टर 3 बल्लभगढ़	साम्यिक बंधक रिहायशी फ्लैट नं. 103, जीएच-34, द शिव महिमा को-ऑपरेटिव ग्रुव हाउसिंग सोसाएटी लि., सैक्टर-65, बल्लभगढ़ में स्थित, सुपर क्षेत्रफल 1490 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति अनिता महाप्रत्रा पत्नी जगदीश महापत्रा के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में - खुला स्पेस, दक्षिण में - फ्लैट नं. 102, पूरब में - अन्य का फ्लैट, पश्चिम में - खुला स्पेस	03-06-2019 / 17-12-2019	₹36,82,947.35 दिनांक 31-05-2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज और आकस्मिक प्रभार
2	(1) श्री अंशुल गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता, मकान नं. 262/3 पंजाबी मोहल्ला बल्लभगढ़ (2) श्रीमती दर्शन गुप्ता पत्नी सुरेश कुमार गुप्ता मकान नं. 262/3 पंजाबी मोहल्ला बल्लभगढ़ (3) श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मुसद्दी लाल मकान नं. 262/3 पंजाबी मोहल्ला बल्लभगढ़	साम्यिक बंधक रिहायशी फ्लैट नं. 502, ब्लॉक ए एमवीएन एथेंस सिही गेट रोड, सैक्टर-1, बल्लभगढ़, फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 188.00 वर्ग मी. सुपर क्षेत्रफल 2023 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री अंशुल गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता और श्रीमती दर्शन गुप्ता पत्नी सुरेश कुमार गुप्ता के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में - खुला आसमान, दक्षिण में - खुला आसमान, पूरब में - खुला आसमान, पश्चिम में - प्रवेश	03-06-2019 / 17-12-2019	₹50,73,297.64 दिनांक 31-05-2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज और आकस्मिक प्रभार
3	(1) मैसर्स गतिक इंजीनियरिंग प्लॉट नं. 6000 ई-14, संजय कॉलोनी 33 फीट रोड बल्लभगढ़ (2) श्री इन्दर पुत्र श्री वासुदेव सेहरावत, मकान नं. 426, जाट मोहल्ला वार्ड नं 1, आर्य समाज मंदिर के पास, गोंची बल्लभगढ़ (3) श्रीमती सुनीता पत्नी राजेश शेरावत, मकान नं. 426, जाट मोहल्ला वार्ड नं.1, आर्य समाज मंदिर के पास, गोंची बल्लभगढ़ (4) श्री राजेश शेरावत, मकान नं. 426, जाट मोहल्ला वार्ड नं 1, आर्य समाज मंदिर के पास, गोंची बल्लभगढ़	1. स्टॉक एण्ड बुक डेब्ट्स का हाइपोथिकेशन 2. पॉवर कोटिंग मशीन का हाइपोथिकेशन 3. साम्यिक बंधक सम्पत्ति के एच नं. 50/2/2/2, क्षेत्रफल 70.00 वर्ग गज यूआईडी नं. 619N303733900 (जिसे अब संजय कॉलोनी कहते हैं) गाँव गौउंची बदकल फरीदाबाद में स्थित, चौहद्दी : उत्तर में - अग्रवाल स्कूल की सम्पत्ति, दक्षिण में - 15फीट चौड़ा रोड, पूरब में - पार्वती की सम्पत्ति, पश्चिम में - भोला की सम्पत्ति	04-10-2019 / 17-12-2019	₹33,94,605.24 दिनांक 27-09-2019 तक और दिनांक 28.09.2019 से भविष्य का ब्याज और आकस्मिक प्रभार
4	(1) मैसर्स मयूर ट्रेडिंग क. का प्रतिनिधित्व उसके प्रोपराइटर श्री सुरेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री मुसद्दी लाल, मेन बाजार अग्रसैन चौक बल्लभगढ़ (2) श्री सुरेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री मुसद्दी लाल, मेन बाजार अग्रसैन चौक बल्लभगढ़ (3) श्री अंशुल गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता फ्लैट नं. ए-502, एमवीएन एथेंस, सैक्टर-1 बल्लभगढ़। (4) श्रीमती दर्शन गुप्ता पत्नी श्री सुरेश कुमार गुप्ता, ए-502, एमवीएन एथेंस, सैक्टर-1 बल्लभगढ़	1. स्टॉक एण्ड बुक डेब्ट्स / प्राप्तियों का हाइपोथिकेशन 2. पॉवर कोटिंग मशीन का हाइपोथिकेशन 3. फ्लैट नं. ए-502 की निरंतर सुरक्षा, ब्लॉक ए एमवीएन एथेंस सिही गेट रोड सेक्टर -1 बल्लभगढ़ फरीदाबाद क्षेत्रफल 188.00 वर्ग मी. (2023 वर्ग फीट) यह सम्पत्ति श्री अंशुल गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता और श्रीमती दर्शन गुप्ता पत्नी सुरेश कुमार गुप्ता के नाम पर है। VHL-8305083510000981. चौहद्दी : उत्तर में - खुला आसमान, दक्षिण में - खुला आसमान, पूरब में - खुला आसमान, पश्चिम में - प्रवेश 3. एलआईसी पॉलिसी नं. 126437352, 127157244 & 115641246 जोकि श्री अंशुल गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता के नाम पर है।	03-06-2019 / 17-12-2019	₹41,81,480.25 दिनांक 31-05-2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज और आकस्मिक प्रभार
5	(1) मैसर्स एस.के इंजीनियर्स, प्रोपराइटर श्री तारा सिंह डागर द्वारा 22/1 नवलो कॉलोनी बल्लभगढ़ 121004 (2) श्री तारा सिंह डागर पुत्र श्री रिशाल सिंह डागर, मकान न. 25, नवलो कॉलोनी बल्लभगढ़ (3) श्री शियो सिंह पुत्र श्री रिशाल सिंह डागर, मकान नं. 25, नवलो कॉलोनी बल्लभगढ़	साम्यिक बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 132 बी, नवलो कॉलोनी, क्षेत्रफल 90.00 वर्ग गज क्षेत्रफल 18 X 45 शामिल के एच नं. 68//20/2,21/1,21/2,221 रेवेन्यू ईस्टेट बल्लभगढ़ फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्री तारा सिंह डागर पुत्र श्री रिशल डागर के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में - श्री पूरन सिंह की सम्पत्ति, दक्षिण में - 25फीट चौडी रोड, पूरब में - श्री तारा सिंह की सम्पत्ति, पश्चिम में - श्री Sheo सिंह की सम्पत्ति	06-05-2019 / 17-12-2019	₹10,11,442.00 दिनांक 30-04-2019 तक और दिनांक 01.05.2019 से भविष्य का ब्याज और आकस्मिक प्रभार
6	(1) मैसर्स श्री गणेश इंडी, इसके प्रोपराइटर श्री बीर सिंह पुत्र श्री राज पाल के प्रतिनिधित्व, प्लॉट नं. 220-225, गली नं 42, सैक्टर-23 संजय कॉलोनी फरीदाबाद (2) श्री बीर सिंह पुत्र श्री राज पाल एसबी 153, गली नं 42 संजय कॉलोनी सेक्टर 23 फरीदाबाद-121005 (3) श्रीमती राजेश पत्नी श्री ऋषि चौधरी प्लॉट न 220, गली 42, 22 फीट रोड संजय कॉलोनी सेक्टर-23 फरीदाबाद	1. स्टॉक इन ट्रेड और मशीनरी का हाइपोथिकेशन 2. साम्यिक बंधक सम्पत्ति रैक्ट नं. 27, किला नं. 2/2, 2/1 मौजा गौउंची बल्लभगढ़, फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती राजेश पत्नी ऋषि चौधरी के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में - खाली प्लॉट, पश्चिम में - श्रीमती राजेश की सम्पत्ति, उत्तर में - 22 फीट रास्ता, दक्षिण में - राजेश की सम्पत्ति	02-08-2018 / 17-12-2019	₹9,69,036.70 दिनांक 31-07-2018 तक और दिनांक 01.08.2018 से भविष्य का ब्याज और आकस्मिक प्रभार
7	(1) मैसर्स तिरुपति मशीन टूल्स (पार्टनरशिप फर्म) - प्लॉट न 34, राजीव कॉलोनी, सेक्टर-58, बल्लभगढ़ (2) हरि चंद पुत्र किराडी मल (पार्टनर) मकान नं. 1142, शिव मंदिर के पास, आर्य नगर बल्लभगढ़ (3) श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री खांशी राम (पार्टनर) मकान नं. 305, ऊंचा गाँव रोड, उत्तम फैब्रिक दर्श नगर पार्ट-2 के पास, बल्लभगढ़	1. ट्यूब मशीन मोड नं. ए-25, हैवी ड्यूटी थ्रेड रोलिंग मशीन, 10 टन हैवी ड्यूटी पावर प्रेस मशीन और सीएनसी मशीन का हाइपोथीकेशन 2. साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 305, गली नं. 8 ऊँचा गाँव रोड, उत्तम फैब्रिकेटर आदर्श नगर पार्ट-2, बल्लभगढ़ में स्थित, क्षेत्रफल 157.00 वर्ग गज, चौहद्दी : उत्तर में - 15 फीट चौड़ा रोड, दक्षिण में - दिया नहीं, पूरब में - मकान नं. 304/अन्य विवीजन, पश्चिम में - खाली प्लॉट	03-06-2019 / 17-12-2019	₹10,42,191.00 दिनांक 30-05-2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज और आकस्मिक प्रभार

दिनांक : 17.12.2019, स्थान : गाजियाबाद
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
सोम प्रॉजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 403, सुनेजा टावर-1, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में है, के मामले में
--आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''दिल्ली राज्य '' से ''हरियाणा राज्य के गुरुग्राम'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 8 मई, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेंः
''403, सुनेजा टावर-I, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर,
जनकपुरी, नई दिल्ली-110058''

कृते एवं के लिये
सोम प्रॉजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
संजय गोयल
निदेशक
DIN:00197620
तिथिः 23.12.2019
स्थानः दिल्ली
पताः ए-1/1102, द वर्ल्ड स्पा, ईस्ट, सेक्टर 30/41, गुड़गांव-122001, हरियाणा

प्रपत्र सं आईएनसी-26
(कंपनी (निगमन) नियमावली 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ विज्ञापन
केन्द्र सरकार प्रादेशिक निदेशक, एमसीए, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर नई दिल्ली-110003, के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली 2014, के नियम 30 के उप नियम (5) के क्लॉज (ए) के विषय में
और
मै. वृंदावन बिल्डवैल प्राइवेट लिमिटेड
(CIN:U45200DL2007PTC157945)
जिसका पंजीकृत कार्यालय बी1/18, हौज खास, नई दिल्ली-110034 पर स्थित है के मामले में,
याचिकाकर्ता

एतद द्वारा सर्व सामान्य को सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय **'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'** से **'उत्तर प्रदेश राज्य'** में स्थानांतरित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के नोक में **15, नवम्बर, 2019** को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के नियमनों व कंपनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र (क्षेत्रिय निदेशक) को समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथ-पत्र भरकर क्षेत्रीय निदेशक एमसीए, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003, को इस सूचना प्रकाशन की तारीख के चौदह (14) दिनों के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। साथ ही इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भी उपरोक्त वर्णित पते पर भी भेजी जानी चाहिए।

कृते वृंदावन बिल्डवैल प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/
संदीप डागर,
निदेशक
DIN: 02591442
दिनांक 23.12.2019
स्थान नई दिल्ली
पता: 253, मनौहरी, पार्टी पैलेस के पीछे, बरेली-243005

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
ALLAHABAD BENCH
COMPANY APPLICATION NO. 346/ALD/2019

In the matter of Companies Act, 2013
And
In the matter of Sections 230-232, read with Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises, Amalgamations, and Amalgamations) Rules, 2016
And
IN THE MATTER OF
JUBILANT CHEMSYS LIMITED
.....Applicant Co. No. 1/ "Transferor Company"
And
JUBILANT BIOSYS LIMITED
... Applicant Co. No. 2/Transferee Co./Demerged Co.
And
JUBILANT THERAPEUTICS INDIA LIMITED
... Applicant Co. No. 3/ "Resulting Company"
And
their respective Shareholders and Creditors

Applicant Company Nos. 1 to 3 have their registered office at 1A, Sector 16A, Noida, Gautam Budh Nagar - 201301, Uttar Pradesh, India

NOTICE AND ADVERTISMENT OF MEETING OF UNSECURED CREDITORS OF JUBILANT BIOSYS LIMITED, TRANSFEREE COMPANY/ DEMERGED COMPANY

Notice is hereby given that by order dated 19.12.2019, the Allahabad Bench of the National Company Law Tribunal has directed a meeting to be held of the unsecured creditors of the Transferee Company/Demerged Company for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modification(s) the proposed scheme of Arrangement amongst Jubilant Chemsys Limited, Jubilant Biosys Limited and Jubilant Therapeutics India Limited and their respective shareholders.

In pursuance of the said order and as directed therein notice is hereby given that a meeting of unsecured creditors of the Transferee Company/Demerged Company will be held at its registered office, 1A Sector 16A, Noida, Gautam Budh Nagar - 201301 on **Saturday, 18th January 2020 at 12:00 pm** at which time and place, the unsecured creditors of the Transferee Company/Demerged Company are requested to attend.

Copies of the said Scheme and of the Statement under Section 230 of the Companies Act, 2013 can be obtained free of charge at the registered office of the applicant companies and/or at the office of its Advocate Mr. Rahul Agarwal having his office at Chamber No. 42, High Court, Allahabad OR 74/62, Lal Bahadur Shastri Marg, Allahabad - 211001. Person(s) entitled to attend and vote at the meeting, may vote at the meeting, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Applicant Companies not later than 48 Hrs. before the meeting.

Forms of proxy can be obtained at the registered office of the applicant companies.

The Tribunal has appointed Mr. Pradip Kumar as Chairman of the said unsecured creditors' meeting. The above-mentioned Scheme, if approved by the unsecured creditors in their meeting, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

Sd/-
Pradip Kumar
Chairperson appointed for the meeting
Date: 20th December 2019
Place: Allahabad

www.readwhere.com

प्ररूप ए

सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन)

होमबैल सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्षकारों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	होमबैल सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	03/08/2016
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट व्यक्ति निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज–दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता भागीदारी कॉर्पोरेट व्यक्ति की संख्या	U74999DL2016PTC303941
5.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : दुकान नं. बापू जी–7 एंड बापू, बदरपुर मेट्रो स्टेशन, बदरपुर, नई दिल्ली– 110044 प्रधान कार्यालय : 402वीं, चौथी मंजिल, पिनेकल टॉवर, ए –42 / 6, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश– 201309
6.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि	20/12/2019
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई–मेल पता, दूरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या	श्री आशीष पोरवाल पता : फ्लैट नंबर बी –2 प्रथम तल, प्लॉट नंबर 158, शक्ति खंड – II, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201010 ईमेल : ashish@hreemlegal.com टेलीफोन : +91-9910222556 पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00136/2017-18/10278
8.	दावे जमा करने की अन्तिम तिथि	19/01/2020

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि होमबैल सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 20 दिसम्बर 2019 को स्वैच्छिक परिसमापन आरम्भ किया है।

होमबैल सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्षकारों को एतद्द्वारा मद 7 के सम्मुख उल्लिखित पते पर परिसमापक के पास 19 जनवरी 2020 को या इससे पूर्व अपने दावे के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे। अन्य सभी पक्षकार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–

दिनांक: 23.12.2019 — परिसमापक का नाम और हस्ताक्षर – आशीष पोरवाल

स्थान: गाजियाबाद — IBBI/IPA-001/IP-P00136/2017-18/10278

फार्म जी

अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

{दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत}

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	माहा एसोसिएटेड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	23.12.2009
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत हैं	कम्पनी रजिस्ट्रार, जयपुर, राजस्थान
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U55101RJ2009PTC030581
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय का पता	के–47, जनपथ, किशन नगर, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान–302019
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	20.9.2018
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	23.12.2019
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है:	प्रस्ताव आवेदक की न्यूनतम शुद्ध संपत्ति रु. 20 करोड़ होगी। होटल, रीअल इस्टेट तथा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। अधिक विवरण nkmunjalcacs@yahoo.co.in पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है। फोन: 9958063399, 011–49122580
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	https://ibbi.gov.in/webfront/legal_framework.php (आईबीबीआई की आधिकारिक वेबसाईट) पर देखी जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	08.01.2020
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	10.01.2020
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	15.01.2020
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	20.01.2020
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	15.01.2020
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	आरएफआरपी, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अन्य कोई जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव आवेदक क्रम सं. 8 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्ताव कर्मी से संपर्क करें।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	19.2.2020
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में ईमेल आईडी: nkmunjalcacs@yahoo.co.in एवं हार्ड कॉपी मुहरबंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा हाथों–हाथ जमा की जा सकती है
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	24.02.2020
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नरेश कुमार मुंजाल, पंजी. सं. IBBI/ IPA-001/ IP-P00362/ 2017-18/ 10620
20.	बोर्ड में यथा–पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई–मेल	नरेश कुमार मुंजाल 125, दूसरा तल, कैलाश हिल्स, नई दिल्ली– 110065 ईमेलः nkmunjalcacs@yahoo.co.in
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	नरेश कुमार मुंजाल 125, दूसरा तल, कैलाश हिल्स, नई दिल्ली– 110065 ईमेलः nkmunjalcacs@yahoo.co.in
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	nkmunjalcacs@yahoo.co.in पर ई–मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	23.12.2019

तिथि: 23.12.2019 — नरेश कुमार मुंजाल

स्थान: नई दिल्ली — रिजॉल्यूशन प्राफेशनल

प्रपत्र ए

सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

एम्पैथीइन्फ्रा एंड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	एम्पैथीइन्फ्रा एंड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	28 सितम्बर, 2012
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाइबिलिटी पहचान संख्या	U45400HR2012PTC047281
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः 305सी, तीसरा तल, आईआरआईएस टेक पार्क, सोहना रोड, सेक्टर–48, गुड़गाँव, हरियाणा–122002, भारत
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	19 दिसम्बर, 2019
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	16 जून, 2020 (जो दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने की तिथि से 180 दिन है।)
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है	नामः अमित जैन पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P01447/2018-19/12196
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः	पताः केपीएमजी रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेस एलएलपी, 8वाँ तल, बिल्डिंग नं. 10, टावर सी, डीएलएफ सायबर सिटी, फेज II, गुड़गाँव–122002, भारत ईमेलः amitj1@kpmg.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः केपीएमजी रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेस एलएलपी, 8वाँ तल, बिल्डिंग नं. 10, टावर सी, डीएलएफ सायबर सिटी, फेज II, गुड़गाँव–122002, भारत ईमेलः amitj1@kpmg.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	3 जनवरी, 2020 [अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा आदेश प्राप्ति की तिथि से 14 दिन]
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	वेबलिंकः https://www.ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पताः जैसा कि मद सं. 10 के समक्ष वर्णित है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ फीट ने 19 दिसम्बर, 2019 को एम्पैथी इन्फ्रा एंड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एम्पैथी इन्फ्रा एंड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के पास 3 जनवरी 2020 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

दावे का प्रमाण निम्न विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में जमा किये जा सकते हैं।

प्रपत्र बीः कर्मियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर ऑपरेशनल क्रेडीटर्स द्वारा दावे के प्रमाण के लिये

प्रपत्र सीः वित्तीय क्रेडीटरों द्वारा दावे के प्रमाण के लिये

प्रपत्र डीः कर्मियों अथवा कर्मचारियों द्वारा दावे के प्रमाण के लिये

प्रपत्र ईः कर्मियों तथा कर्मचारियों के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जमा किये गये दावे के प्रमाण के लिये

प्रपत्र एफः क्रेडीटरों (वित्तीय क्रेडीटरों तथा ऑपरेशनल क्रेडीटरों के अतिरिक्त) द्वारा दावे के लिये

उपरोक्त प्रपत्र भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के अंतर्गत वेबसाईट https://www.ibbi.gov.in/home/downloads से डाउनलोड की जा सकती है।

हस्ता./–

(अमित जैन)

तिथि: 23 नवम्बर, 2019 — अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल

स्थान: गुड़गाँव, हरियाणा — एम्पैथी इन्फ्रा एंड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के मामले में

पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P01447/2018-19/12196

377 परियोजनाओं की लागत 3.94 लाख करोड़ बढ़ी

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपए या इससे अधिक लागत वाली 377 परियोजनाओं के पूरा होने में देरी और अन्य कारणों से इनकी लागत तय अनुमान से 3.94 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई।

सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपए या इससे अधिक लागत की परियोजनाओं की निगरानी करता है। मंत्रालय ने रिपोर्ट में लागत बढ़ने की जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की 1,635 परियोजनाओं में से 565 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं जबकि 377 परियोजनाओं की लागत बढ़ी है। मंत्रालय ने सितंबर 2019 के लिए जारी हालिया रिपोर्ट में कहा, 'इन 1,635 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मूल लागत 19,47,462.67 करोड़ रुपए थी, जिसके बढ़कर 23,41,784.84 करोड़ रुपए पर पहुंच जाने का अनुमान है। इससे पता चलता है कि इनकी लागत मूल लागत की तुलना में 20.25 फीसद यानी 3,94,322.17 करोड़ रुपए बढ़ी है।' रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त तक इन परियोजनाओं पर 9,96,613.94 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जो कुल अनुमानित लागत का 42.55 फीसद है।

मंत्रालय का कहना है कि यदि परियोजनाओं के पूरा होने की हालिया समय सीमा के हिसाब से देखें तो देरी से चल रही परियोजनाओं की संख्या कम होकर 495 पर आ जाएंगी। मंत्रालय ने कहा कि देरी से चल रही 565 परियोजनाओं में 182 परियोजनाएं एक महीने से 12 महीने की, 129 परियोजनाएं 13 से 24 महीने की, 140 परियोजनाएं 25 से 60 महीने की और 114 परियोजनाएं 61 महीने या अधिक की देरी में चल रही हैं। इन परियोजनाओं की देरी का औसत 38.41 महीने है।

राजमार्गों पर पांच सालों में 15 लाख करोड़ का निवेश होगा : गडकरी

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

- दिसंबर के मध्य तक कुल एक करोड़ फास्टैग जारी हुए, जब से फास्टटैग प्रणाली अनिवार्य हुई है, पथकर आय उछलकर 25 करोड़ रुपए रोजाना पहुंच गई है
- अगले साल का एजंडा चार धाम परियोजना और कैलाश–मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के लिए उत्तराखंड के रास्ते राजमार्ग को पूरा करना है

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार वैश्विक स्तर का बुनियादी ढांचा बनाने पर ध्यान दे रही है और पांच साल में राजमार्ग क्षेत्र में 15 लाख करोड़ रुपए का और निवेश होगा। नए मोटर वाहन कानून, इलेक्ट्रॉनिक रूप से पथकर वसूली, कोष जुटाने के लिए इनविट जैसे कदम उठाने वाले मंत्री ने कहा, 'राजमार्ग या बुनियादी ढांचा निर्माण की बात आती है, कोष कभी समस्या न रहा है और न रहेगा।'

गडकरी ने बातचीत में कहा, 'हमने राजमार्गों और पोत परिवहन क्षेत्रों में पिछले पांच साल में संयुक्त रूप से 17 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं और 22 हरित एक्सप्रेसवे समेत वैश्विक स्तर की सड़कों के निर्माण के लिए आने वाले पांच साल में केवल राजमार्ग क्षेत्र में 15 लाख करोड़ रुपए निवेश का निवेश किया जाएगा।' उन्होंने कहा, 'ई–पथकर के अमल में आने के साथ पथकर आय सालाना 8,000 करोड़ रुपए पहुंच जाने का अनुमान है। जब से फास्टटैग प्रणाली अनिवार्य हुई है, पथकर आय उछलकर 25 करोड़ रुपए रोजाना पहुंच गई है।' फास्टैग अनिवार्य किए जाने से दिसंबर के मध्य तक कुल एक करोड़ फास्टैग जारी किए गये हैं। कुछ जगहों पर ई–पथकर से छूट दे गई है।

मंत्रालय के लिए अगले साल का एजेंडा 12,000 करोड़ रुपए की चार धाम परियोजना पूरी करने का है। इसके तहत बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिये बाहरमासी संपर्क सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। इसके अलावा कैलाश–मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के लिए उत्तराखंड के रास्ते राजमार्ग को पूरा करना है। इस मामले में करीब 75 फीसद काम पूरे हो चुका है। फिलहाल इस स्थल तक केवल लुपिलेख और नाथुला मार्ग के जरिये पहुंचा जा सकता है जो कठिन रास्ता है।

मंत्री ने मोटर वाहन (संशोधन) कानून, 2019 पारित होने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि दुर्घटनाओं में कमी के जरिये इसका सकारात्मक प्रभाव जल्द देखने को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) गठित करने के प्रस्ताव और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को बाजार पर चढ़ाने का निर्णय राजमार्ग विकास में एक और मील का पत्थर साबित होगा।

म्यूचुअल फंड की तरह काम करने वाले इनविट को इस रूप से तैयार किया गया है जिससे निवेशकों से छोटी–छोटी राशि प्राप्त की जा सके और उसे ऐसी संपत्तियों में निवेश किया जाए जिससे समय–समय पर नकद प्रवाह होते रहे। मंत्रिमंडल ने दिसंबर में एनएचएआई को इनविट के गठन को मंजूरी दे दी। इससे प्राधिकरण पूरा हो चुके राष्ट्रीय राजमार्गों को बाजार पर चढ़ा सकेगा। गडकरी ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि पेंशन और अन्य कोष भी इसमें निवेश के लिए आगे आएंगे।'

भारतमाला का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत मंत्रालय ने 26,200 किलोमीटर लंबा आर्थिक गलियारा, 8,000 किलोमीटर आंतरिक गलियारा, 7,500 किलोमीटर फीडर (अंदरूनी) मार्ग, 5,300 किलोमीटर सीतावमर्ही और अंतरराष्ट्रीय संपर्क सड़क, 4,100 किलोमीटर तटवर्ती और बंदरगाह संपर्क वाली सड़कों तथा 1,900 किलोमीटर एक्सप्रेसवे के निर्माण को चिन्हित किया है।

इस साल सुस्त रहा रोजगार बाजार, अगले साल सुधार की उम्मीद कम

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के बीच 2019 में रोजगार बाजार में सुस्ती रही और अगले साल भी स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगले साल भी रोजगार बाजार में श्रमबल विस्तार सुस्त रहेगा और साथ ही वेतनवृद्धि भी खास नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि कंपनियां नई नियुक्तियां करने के बजाय मौजूदा कर्मचारियों का कौशल सुधारने पर अधिक ध्यान दे रही हैं। प्रौद्योगिकी आधारित बदलाव लगातार जारी हैं। ऐसे में कंपनियां नई नियुक्तियों को लेकर सतर्कता बरत रही हैं। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की अध्यक्ष रितुपर्णा चक्रवर्ती ने कहा कि रोजगार की दृष्टि से 2020 स्थिर रहेगा या उसमें मामूली सुधार होगा।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और अन्य महत्त्वपूर्ण आर्थिक संकेतक अभी रफ्तार पकड़ नहीं पाए हैं। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि उपभोग और निवेश में बढ़त होती है या नहीं। यदि बढ़त होती है तो हम रोजगार में भी वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। यदि उद्योगों की बात की जाए, जिन संगठनों में रोजगार बढ़ा है उनकी संख्या कम हुई है। विशेषज्ञों का कहना है, बाजार में सही लोगों की जरूरत बनी हुई है। एक्जिक्यूटिव खोज कंपनी ग्लोबलहंट इंडिया के प्रबंध निदेशक सुनील गोयल ने कहा, '2020 की शुरुआती तिमाही अधिक रोमांचक नहीं रहेगी, क्योंकि जीडीपी की दर नीचे आई है और कंपनियां विस्तार को लेकर सतर्कता बरत रही हैं।' हालांकि, 2020 की दूसरी छमाही रोजगार के अवसरों की दृष्टि से बेहतर रहेगी क्योंकि कंपनियां नए सिरे से कारोबार विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेंगी। वर्ष 2019 में वाहन, विनिर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में रोजगार सृजन कमजोर रहा।

आयातित खिलौने जांच में खरे नहीं उतरने पर वापस भेजे जाएंगे या नष्ट किए जाएंगे

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय देश में गुणवत्तापूर्ण खिलौनों का आयात व बिक्री सुनिश्चित करने के लिए खेप आधारित जांच को अनिवार्य बनाने समेत अन्य कदम उठा रहा है। मंत्रालय खिलौनों की विशेष परिभाषा तय कर खिलौना उद्योग के लिए कठोर गुणवत्ता नियंत्रण प्रावधान बनाने पर भी विचार कर रहा है ताकि प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जा सके। आयात की खेप में कहीं से भी खिलौना चुनकर उसे जांच के लिए एनएबीएल स्वीकृत प्रयोगशाला में जांच व मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यदि खिलौना मानकों पर खरा नहीं उतरा तो पूरी खेप या तो वापस भेज दी जाएगी या उसे नष्ट कर दिया जाएगा। इसकी लागत का वहन आयातक को करना होगा।

जलमार्ग प्राधिकरण ने माल ढुलाई का लक्ष्य घटाकर 10 करोड़ टन किया

कोलकाता, 22 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आइडब्ल्यूएआइ) ने राष्ट्रीय जलमार्गों के जरिये 2021–22 में 15 करोड़ टन माल ढुलाई के लक्ष्य के घटाकर 10 करोड़ टन कर दिया है। प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'ताजा अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय जलमार्गों के जरिये माल की ढुलाई का स्तर 2018–19 के 7.2 करोड़ टन से बढ़कर 2021–22 में 10 करोड़ टन पर पहुंच सकता है।'

कच्चे इस्पात का उत्पादन नवंबर में 2.8 फीसद घटा

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

देश में कच्चे इस्पात का उत्पादन नवंबर में 2.8 फीसद घटकर 89.34 लाख टन रहा। यह लगातार दूसरा महीना है जब कच्चे इस्पात का उत्पादन कम हुआ है। विश्व इस्पात संघ (वर्ल्डस्टील) ने ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। पिछले साल नवंबर में कच्चे इस्पात का उत्पादन 91.92 लाख टन था।

वैश्विक संगठन के अनुसार भारत में अक्तूबर 2019 में कच्चे इस्पात का उत्पादन 3.4 फीसद घटकर 90.89 करोड़ टन था। एक साल पहले इसी महीने में उत्पादन 94.08 करोड़ टन था। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन भी नवंबर में एक फीसद कम होकर 14.78 करोड़ टन रहा जो एक साल पहले इसी महीने में यह 14.94 करोड़ टन था। हालांकि दुनिया के सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश चीन का उत्पादन बढ़ा है। वर्ल्ड स्टील के मुताबिक नवंबर में चीन का उत्पादन 4 फीसद बढ़कर 8.03 करोड़ टन रहा जो एक साल पहले इसी महीने में 7.72 करोड़ टन था।

रिलायंस इंडस्ट्रीज का सऊदी अरामको को 3.5 अरब डॉलर के बकाए से इनकार

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको के साथ 15 अरब डॉलर के सौदे पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका का प्रतिवाद किया है। कंपनी ने कहा कि मध्यस्थता अदालत ने किसी भी फैसले में बकाए की बात नहीं की है, अतः केंद्र सरकार की याचिका प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

रिलायंस ने शपथपत्र में कहा कि यह कहना सही नहीं है कि मध्यस्थता अदालत ने उसे और उसकी भागीदार कंपनी को सरकार को 3.5 अरब डॉलर के बकाया का भुगतान करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) और उसकी भागीदार ब्रिटिश गैस (बीजी) को अपनी संपत्तियों के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने यह आदेश केंद्र सरकार की याचिका पर दिया है। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में इन दोनों कंपनियों को अपनी संपत्तियों नहीं बेचने का निर्देश देने का आग्रह किया है। सरकार इन दोनों कंपनियों को उनकी संपत्तियों को बेचने से दूर रहने का आदेश देने के लिए अदालत पहुंची है।

केनरा बैंक Canara Bank

बीओः सरिता विहार, दिल्ली, फोनः 011–26953553, 26946198

कब्जा सूचना [धारा 13 (4)] (कब्जा सूचना के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) (यहां के बाद ''अधिनियम'' के रूप में वर्णित के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 9.10.2019 जारी कर ऋणधारक 1. श्री राजेश गुप्ता/ मै. ए.जी. एन्टरटैन्मेन्ट को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 32,04,786.64 (रुपए बत्तीस लाख चार हजार सात सौ छियासी तथा पैसे चौंसठ मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 17 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 32,04,786.64 की राशि तथा उस पर ब्याज के लिए केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8)के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

रीता गुप्ता के नाम में प्लॉट नं. 217, ब्लॉक–सी, प्रथम तल, में फिल्ड गार्डन, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. सी 218, दक्षिणः प्लॉट नं. सी–216, पूर्वः प्लॉट नं. सी–215, पश्चिमः 18 मी. चौड़ा सड़क

तिथिः 17.12.2019, — प्राधिकृत अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली — केनरा बैंक

केनरा बैंक Canara Bank

बीओः ओखला एसएमई, नई दिल्ली, टेली. नं. 011–26818492, मो.: 8826895021

कब्जा सूचना [धारा 13 (4)] (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) (यहां के बाद उक्त ''अधिनियम'' वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 9.10.2019 जारी कर ऋणधारक 1. श्री मनमोहन कुमार/ मै. ज्योति ट्रेडिंग को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 68,78,500.00 (रुपए अड़सठ लाख अठहत्तर हजार पांच सौ मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 19 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 68,78,590/– तथा उस पर ब्याज के लिए केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8)के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

मनमोहन कुमार के नाम में खसरा नं.–94/23, प्लॉट नं. 1, ब्लॉक–बी, बाबा कालोनी, बुराडी–110084 में सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दीः उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः रोड 14.1/2 फीट, पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः रोड 25 फीट

तिथिः 19.12.2019, — प्राधिकृत अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली — केनरा बैंक

केनरा बैंक Canara Bank

बीओः ओखला एसएमई, नई दिल्ली, टेली. नं. 011–26818492, मो.: 8826895021

कब्जा सूचना [धारा 13 (4)] (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) (यहां के बाद उक्त ''अधिनियम'' वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 9.10.2019 जारी कर ऋणधारक 1. श्री निशांत सिंह/ मै. शिवा कैबल्स को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 7464962.24/– (रुपए चौहत्तर लाख चौंसठ हजार नौ सौ बासठ एवं पैसे चौबीस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 18 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 7464962.24/– तथा उस पर ब्याज के लिए केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8)के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

मधु सिंह, पत्नी श्री धर्मेन्द्र सिंह के नाम में 1. प्लॉट नं. सी–34, प्रथम तल, बिना छत के अधिकार के, ब्लॉक–सी, श्याम पार्क एक्सटेंशन, ग्राम–जगोला, परगणा–लोनी तहसील एवं जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) में सम्पत्ति (फ्लैट) का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दीः उत्तरः भूतल पर 40 फीट चौड़ी सड़क, पूर्वः भू तल पर 60 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः प्लॉट नं. सी–35, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति

2. मधु सिंह, पत्नी धर्मेन्द्र सिंह के नाम में प्लॉट नं. सी–34, दूसरा तल, बिना छत के अधिकार के ब्लॉक–सी, श्याम पार्क एक्सटेंशन, ग्राम–जगोला, परगणा–लोनी तहसील एवं जिला गाजियाबाद

चौहद्दीः उत्तरः 40 फीट चौड़ी सड़क, पूर्वः 30 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः प्लॉट नं. सी–35, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति

तिथिः 18.12.2019, — प्राधिकृत अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली — केनरा बैंक

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
ALLAHABAD BENCH

COMPANY APPLICATION NO. 346/ALD/2019

In the matter of Companies Act, 2013

And

In the matter of Sections 230-232, read with Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises, Amalgamations, and Amalgamations) Rules, 2016

And

IN THE MATTER OF

JUBILANT CHEMSYS LIMITED

.....Applicant Co. No. 1/ "Transferor Company"

And

JUBILANT BIOSYS LIMITED

... Applicant Co. No. 2/Transferee Co./Demerged Co.

And

JUBILANT THERAPEUTICS INDIA LIMITED

... Applicant Co. No. 3/ "Resulting Company"

And

their respective Shareholders and Creditors

Applicant Company Nos. 1 to 3 have their registered office at 1A, Sector 16A, Noida, Gautam Budh Nagar – 201301, Uttar Pradesh, India

NOTICE AND ADVERTISMENT
OF MEETING OF UNSECURED CREDITORS OF
JUBILANT CHEMSYS LIMITED, TRANSFEROR COMPANY

Notice is hereby given that by order dated 19.12.2019, the Allahabad Bench of the National Company Law Tribunal has directed a meeting to be held of the unsecured creditors of the Transferor Company for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modification(s) the proposed scheme of Arrangement amongst Jubilant Chemsys Limited, Jubilant Biosys Limited and Jubilant Therapeutics India Limited and their respective shareholders.

In pursuance of the said order and as directed therein notice is hereby given that a meeting of unsecured creditors of the Transferor Company will be held at its registered office, 1A Sector 16A, Noida, Gautam Budh Nagar - 201301 on **Saturday, 18th January 2020 at 10:30 am** at which time and place, the unsecured creditors of the Transferor Company are requested to attend.

Copies of the said Scheme and of the Statement under Section 230 of the Companies Act, 2013 can be obtained free of charge at the registered office of the applicant companies and/or at the office of its Advocate Mr. Rahul Agarwal having his office at Chamber No. 42, High Court, Allahabad OR 74/62, Lal Bahadur Shastri Marg, Allahabad - 211001. Person(s) entitled to attend and vote at the meeting, may vote at the meeting, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Applicant Companies not later than 48 Hrs. before the meeting.

Forms of proxy can be obtained at the registered office of the applicant companies.

The Tribunal has appointed Mr. Pradip Kumar as Chairman of the said unsecured creditors' meeting. The above-mentioned Scheme, if approved by the unsecured creditors in their meeting, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

Sd/-

Date: 20th December 2019 — **Pradip Kumar**

Place: Allahabad — Chairperson appointed for the meeting

www.readwhere.com

एनआरसी, सीएए पर राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हो : कांग्रेस

अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हो रहा है हमें बांटने का खेल : राहुल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर कांग्रेस ने रविवार को केंद्र की राजग सरकार को घेरते हुए दावा किया कि इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह के बयानों से देश में अनिश्चितता और असुरक्षा की स्थिति पैदा हुई है। पार्टी ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाने की मांग की।

पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में असुरक्षा और अनिश्चितता का वातावरण पैदा किया है। हमने संसद के अंदर सरकार को चेताया था कि आम सहमति बनाई जाए। हमने कहा था कि इसमें कई त्रुटियां और संविधान से इसका टकराव है। उन्होंने दावा किया कि गृह मंत्री ने दोनों सदनों में कहा कि वे पूरे देश मे एनआरसी ला रहे हैं। इससे यह स्थिति पैदा हुई।

शर्मा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए इंतजार करना चाहिए। इसे लागू नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर की स्थिति का भी ध्यान देना चाहिए और प्रदर्शन कर रहे लोगों की बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलानी चाहिए और सभी मुख्यमंत्रियों की बात सुननी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है कि कांग्रेस इस मामले में भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि मोदी को अपनी बात पूरी जिम्मेदारी से कहनी चाहिए। विपक्ष को देश की जनता की तकलीफों को लेकर अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट कर राजग सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने लोगों को बांटने का और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नफरत फैलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हम हर भारतीय के प्रति स्नेह दिखाकर इन बांटने वालों को पराजित कर सकते हैं।

सीएए, एनआरसी को लेकर अल्पसंख्यक आयोग का सहायता प्रकोष्ठ आज से

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

● लोग टोल फ्री नंबर 1800 110 088 और ई-मेल के जरिए से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या अपना सुझाव दे सकते हैं।

देश के कई हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मुद्दे पर शंकाओं को दूर करने एवं सुझाव मांगने के लिए एक हेल्प डेस्क बनाने का फैसला किया है।

आयोग के अध्यक्ष सैयद गयुरुल हसन रिजवी के मुताबिक यह हेल्प डेस्क सोमवार से संचालित जो जाएगा। लोग टोल फ्री नंबर 1800 110 088 और ई-मेल के जरिए से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या अपना सुझाव दे सकते हैं।

रिजवी ने कहा, 'सीएए और एनआरसी संबंधी सभी शंकाओं को दूर करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तैयार है। हम लोगों को बताएंगे कि सीएए किसी भी तरह से देश के किसी नागरिक के खिलाफ नहीं है।'

उन्होंने कहा, 'इस संबंध में आयोग द्वारा एक हेल्प डेस्क बनाई जा रही है जो देशवासियों को इस विषय में जागरूक करेगी। सोमवार (23 दिसंबर) से इसकी शुरुआत हो जाएगी।' रिजवी ने कहा, 'लोग फोन और ई-मेल के माध्यम से अपने सुझाव एवं प्रश्न रख सकते हैं। साथ ही आयोग के कार्यालय में अधिकारी भी हेल्प डेस्क पर मौजूद रहेंगे।' उन्होंने बताया कि आयोग सीएए से संबंधित लोगों के सुझाव एवं शिकायतें भारत सरकार तक पहुंचाएगा।

गौरतलब है कि देश के कई हिस्सों में सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि यह कानून नागरिकता लेने का नहीं, बल्कि नागरिकता देने का है, ऐसे में इससे भारत के किसी नागरिक को कोई समस्या नहीं होगी।

जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की जरूरत : नागरथ

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 22 दिसंबर।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में रविवार को आयोजित इंपैनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के बैनर तले आयोजित सात दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में चिंतक, विचारक, योगाचार्य व पतंजलि योगपीठ के प्रतिनिधि के रूप में बोलते हुए डॉक्टर राधिका नागरथ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने महिलाओं और समाज के पिछड़े, दलित और कमजोर तबकों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं।

ये योजनाएं उनको आर्थिक रूप से समानता प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी हैं। परंतु जरूरत इन योजनाओं को वास्तविक रूप से धरातल पर उतारने की है। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कई योजनाएं ऐसी हैं जो महिलाओं का सशक्तीकरण कर सकती हैं। इसके लिए महिलाओं में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। पिछले दिनों हरिद्वार के जिला उद्योग केंद्र ने दीपावली पर कुम्हारों से सजावटी दिए बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अच्छी पहल की थी।

कांग्रेस मृतकों के परिवारों को न्याय दिलाएगी : प्रियंका गांधी

बिजनौर, 22 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार को अचानक बिजनौर पहुंचीं और संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हाल में हुई हिंसा में मारे गए दो लोगों के परिजन से मुलाकात की।

प्रियंका संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ बिजनौर के नहटौर इलाके में शुक्रवार को हुए हिंसक प्रदर्शन में मारे गए अनस और सुलेमान नामक व्यक्तियों के घर अचानक पहुंचीं। उन्होंने मृतकों के परिजन से मुलाकात की और उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रियंका हिंसा के दौरान पथराव में घायल हुए एक युवक के घर भी गईं।

कांग्रेस महासचिव ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि पहले पुलिस ने गोली चलाई, उसके बाद पथराव हुआ है। यह सीधे तौर पर हत्या का मामला है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना संवैधानिक अधिकार है। कांग्रेस इस मामले को संसद में उठाएगी और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाएंगे।

राहुल सीएए के प्रावधानों पर 10 लाइनें बोलकर दिखाएं : नड्डा

इंदौर , 22 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का पुरजोर विरोध कर रही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती देते हुए भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा कि वह इस कानून के प्रावधानों पर केवल 10 पंक्तियां बोलकर दिखाएं।

सीएए के समर्थन में यहां भाजपा की तरफ से आयोजित आभार सम्मेलन में नड्डा ने कहा, 'मैं राहुल से कहना चाहता हूं कि वह सीएए के प्रावधानों पर केवल 10 लाइनें बोल दें। वह बस दो लाइनें उन प्रावधानों पर भी बोलकर दिखाएं जिनसे तथाकथित तौर पर देश का नुकसान हो रहा है।' उन्होंने कहा, 'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का नेतृत्व करने आए लोगों को सीएए के बारे में बुनियादी बातें तक पता नहीं हैं।' नड्डा ने कहा, 'देश में पिछले एक हफ्ते के दौरान सीएए के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों में सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान पहंचा है। लेकिन क्या राहुल ने इस नुकसान की निंदा करते हुए कोई बयान दिया है? कांग्रेस और भाजपा के बीच विचारधारा की लड़ाई हो सकती है।

सीएए किसी भी भारतीय के खिलाफ नहीं : सत्यपाल

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 22 दिसंबर।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ सत्यपाल सिंह ने कहा कि नागरिक संशोधन अधिनियम किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के खिलाफ नहीं है। कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक स्वार्थों की खातिर मुसलमानों को धमकाने का काम कर रहे हैं और डराने का काम कर रहे हैं जो उनके ही खिलाफ जाएगा।

डॉक्टर सिंह रविवार को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

ट्रांस अमेरिकन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
CIN:U51505DL1999PTC098689
पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. बी2/362, तारा नगर, पुराना पालम रोड, ककरोला, नई दिल्ली-110078
फोनः +91-124-4231653; वेबसाइटः www.taistech.com; इमेलः rmahato@taistech.com

फार्म नं. आइएनसी 26

[कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के अनुवर्ती]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से गुजरात राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को बदलने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप धारा (4) के विषय में।
तथा
ट्रांस अमेरिकन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. बी2/362, तारा नगर, पुराना पालम रोड, ककरोला, नई दिल्ली-110078, भारत के विषय में।
.........याचिकाकर्ता

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ने पंजीकृत कार्यालय ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''गुजरात राज्य'' में बदलने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 18 दिसंबर, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरंडम ऑफ एसोसीएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को आवेदन करना प्रस्तावित है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के अन्दर **क्षेत्रीय निदेशक के पते बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003** को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक या कारणों को डिलीवर या निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति ऊपर वर्णित अनुसार याचिकाकर्ता के पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है:

हिते एवं कृते आवेदक
ट्रांस अमेरिकन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./- रबिन्दर कुमार महतो
निदेशक
DIN: 00262957

दिनांकः 23 दिसंबर, 2019
स्थानः दिल्ली

सीएए सभी भारतीयों के लिए चिंता का विषय : ओवैसी

हैदराबाद, 22 दिसंबर (भाषा)।

एआइएमआइएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संशोधित नागरिकता काननू (सीएए) केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी भारतीयों के लिए चिंता का विषय है और कानून के खिलाफ लगातार संघर्ष करना होगा।

हैदराबाद से सांसद ने शनिवार देर रात कहा, 'मैं क्यों कतार में खड़ा रहूं और साबित करूं कि मैं भारतीय हूं। मैंने इस धरती पर जन्म लिया है। मैं (भारत का) नागरिक हूं। सभी 100 करोड़ भारतीयों को कतारों में खड़ा होना पड़ेगा (नागरिकता का प्रमाण दिखाने के लिए)। यह केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं है बल्कि यह सभी भारतीयों के लिए चिंता का विषय है। मैं मोदी भक्तों से भी यह कह रहा हूं। तुम्हें भी कतारों में खड़ा होना होगा और दस्तावेज लाने होंगे।'

दारुस्सलाम में विभिन्न मुसलिम समूहों की संस्था 'यूनाइटेड मुसलिम एक्शन कमेटी' द्वारा आयोजित एक बैठक में ओवैसी ने कहा कि भारतीय मुसलमानों ने बंटवारे के समय जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांत को नकारते हुए भारत में रहने का निर्णय लिया था।

भाजपा के कई मुसलिम राष्ट्र होने के दावे पर उन्होंने कहा कि हमारा उनसे क्या लेना-देना है। उन्होंने कहा, 'मुझे केवल भारत की चिंता है...केवल भारत और केवल भारत से प्यार है। (आप कहते हैं) बहुत सारे मुसलिम राष्ट्र हैं। आप वहां चले जाएं। मुझे क्यों कह रहे हैं।' ओवैसी ने कहा, 'मैं अपनी इच्छा और जन्म से भारतीय हूं... अगर आप गोली चलाना चाहते हैं, चलाइए। आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन भारत के लिए मेरा प्यार खत्म नहीं होगा। हमारी कोशिश देश को मारने की नहीं बल्कि बचाने की है।'

'भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी के रूप में पेश कर रही है कांग्रेस'

पणजी, 22 दिसंबर (भाषा)।

गोवा के उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर ने कांग्रेस पर भाजपा को एक सांप्रदायिक पार्टी के रूप में गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है।

कावलेकर ने कहा कि भाजपा विकास और हर किसी को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। कावलेकर कांग्रेस के उन 10 विधायकों में से एक थे, जो इस साल जुलाई में भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्हें बाद में प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और तटीय राज्य का उपमुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया, 'मैंने अपने राजनीतिक करियर के 22 साल कांग्रेस में बिताए। उसके नेता भाजपा के बारे में गलत धारणा फैलाने में व्यस्त रहते हैं कि वह एक सांप्रदायिक पार्टी है। वे अपने नेताओं के दिमाग में इस विचार को डालते रहते हैं।' कावलेकर ने कहा कि जब वह और उनके नौ अन्य साथी भाजपा में शामिल हुए तो उन्होंने कांग्रेस द्वारा दिखाई तस्वीर से एक अलग तस्वीर देखी।

गोवा विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता ने कहा, 'हमारा फौरन स्वागत किया गया। भाजपा सांप्रदायिक नहीं है बल्कि ऐसी पार्टी है जो हर किसी को साथ लेकर चलती है। यह विकास समर्थक पार्टी है।' उन्होंने कहा कि गोवा कांग्रेस में कुछ नेता अपने हितों को साधने में व्यस्त रहते हैं जिसके कारण पार्टी 2017 में सरकार नहीं बना पाई।

यूपीएसएसएससी की परीक्षाएं अब चार और दस जनवरी को होंगी

लखनऊ, 22 दिसंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) के जरिए इस हफ्ते कराई जाने वाली कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर पदों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 'प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई' और अन्य तकनीकी कारणों से अब अगले महीने आयोजित कराने का फैसला किया गया है।

आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने यहां बताया कि आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में परीक्षा नियंत्रक ने सूचित किया कि प्रदेश के कुछ जिलों में आगामी 24 दिसंबर को होने वाली कनिष्ठ सहायक और 26 दिसंबर को प्रस्तावित कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के प्रवेश पत्र डाउनलोड होने में कठिनाई व अन्य तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं।

उन्होंने बताया कि संबंधित जिलाधिकारियों ने इन परेशानियों के मद्देनजर परीक्षाओं को आगे के लिए टालने का अनुरोध किया था।

अग्निहोत्री ने बताया कि बैठक में विचार के बाद यह फैसला किया गया कि कनिष्ठ सहायक पद की परीक्षा अब चार जनवरी को और कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा दस जनवरी को आयोजित की जाएगी।

नक्सलियों ने खबरी होने के शक में साथी की हत्या की

रायपुर, 22 दिसंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों ने अपने एक साथी की पुलिस का खबरी होने के शक में हत्या कर दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि नक्सलियों ने रंजीत टिम्मा (28) की महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढचिरौली जिले के सीमावर्ती इलाके में बंदे पुलिस थानांतर्गत उसके गांव उलिया के निकट हत्या कर दी। उन्होंने कहा, 'प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दो महिलाओं समेत करीब छह नक्सली शनिवार रात राजधानी रायपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर उलिया गांव पहुंचे और टिम्मा के घर में घुस गए। तब वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ टीवी देख रहा था।

उन्होंने कहा कि नक्सली उसे अपने साथ पास के जंगल में ले गए और उसका खून में लथपथ शव सड़क के किनारे पड़ा मिला।

'निष्ठा मिशन' से बंगाल व केरल ने बनाई दूरी

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

शिक्षकों के प्रशिक्षण का राष्ट्रीय मिशन 'निष्ठा' पिछले चार महीने में देश के 20 राज्यों में शुरू हो गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल और केरल ने अभी तक इसे लागू करने के बारे में कोई कदम नहीं बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने इसी वर्ष अगस्त में शिक्षक प्रशिक्षण के राष्ट्रीय मिशन 'नेशनल इनीशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलीस्टिक एडवांसमेंट' (निष्ठा) की शुरुआत की थी जिसके तहत आने वाले 42 लाख शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, संयोजकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के निदेशक ऋषिकेश सेनापति ने कहा, 'हमारा लक्ष्य अगले वर्ष मार्च तक 33,120 केआरपी (की रिसोर्स पर्सन) का प्रशिक्षण कार्य पूरा करना है। अभी तक 14 हजार केआरपी का प्रशिक्षण पूरा हो गया है।' उन्होंने बताया कि निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम से अब तक 30 राज्य जुड़े हैं और 20 राज्यों में प्रशिक्षण का कार्य शुरू हो गया है।

सेनापति ने बताया, 'पश्चिम बंगाल और केरल से अभी तक कोई अनुरोध नहीं आया है। हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। बाकी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध प्राप्त हो गया है।' उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में कार्यक्रम जनवरी से शुरू होगा। जम्मू-कश्मीर में सर्दियों के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 3.80 लाख शिक्षकों, केआरपी, राज्य स्तरीय रिसोर्स पर्सन, प्रधानाध्यापकों आदि को प्रशिक्षित किया गया है।

एनसीइआरटी के निदेशक ने बताया कि निष्ठा कार्यक्रम को शिक्षकों के प्रशिक्षण के त्रिपुरा मॉडल के आधार पर आगे बढ़ाया गया है, जिसके तहत पहले स्तर पर 284 लोगों को प्रशिक्षत किया गया और इन्होंने तीन महीने में 33 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया था।

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
ALLAHABAD BENCH
COMPANY APPLICATION NO. 346/ALD/2019

In the matter of Companies Act, 2013

And

In the matter of Sections 230-232, read with Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises, Amalgamations, and Amalgamations) Rules, 2016

And

IN THE MATTER OF
JUBILANT CHEMSYS LIMITED
.....Applicant Co. No. 1/ "Transferor Company"

And

JUBILANT BIOSYS LIMITED
... Applicant Co. No. 2/Transferee Co./Demerged Co.

And

JUBILANT THERAPEUTICS INDIA LIMITED
... Applicant Co. No. 3/ "Resulting Company"

And

their respective Shareholders and Creditors

Applicant Company Nos. 1 to 3 have their registered office at 1A, Sector 16A, Noida, Gautam Budh Nagar – 201301, Uttar Pradesh, India

NOTICE AND ADVERTISMENT OF MEETING OF UNSECURED CREDITORS OF JUBILANT THERAPEUTICS INDIA LIMITED, RESULTING COMPANY

Notice is hereby given that by order dated 19.12.2019, the Allahabad Bench of the National Company Law Tribunal has directed a meeting to be held of the unsecured creditors of the Resulting Company for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modification(s) the proposed scheme of Arrangement amongst Jubilant Chemsys Limited, Jubilant Biosys Limited and Jubilant Therapeutics India Limited and their respective shareholders.

In pursuance of the said order and as directed therein notice is hereby given that a meeting of unsecured creditors of the Resulting Company will be held at its registered office, 1A Sector 16A, Noida, Gautam Budh Nagar - 201301 on **Saturday, 18th January 2020 at 02:30 pm** at which time and place, the unsecured creditors of the Resulting Company are requested to attend.

Copies of the said Scheme and of the Statement under Section 230 of the Companies Act, 2013 can be obtained free of charge at the registered office of the applicant companies and/or at the office of its Advocate Mr. Rahul Agarwal having his office at Chamber No. 42, High Court, Allahabad OR 74/62, Lal Bahadur Shastri Marg, Allahabad - 211001. Person(s) entitled to attend and vote at the meeting, may vote at the meeting, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Applicant Companies not later than 48 Hrs. before the meeting.

Forms of proxy can be obtained at the registered office of the applicant companies.

The Tribunal has appointed Mr. Pradip Kumar as Chairman of the said unsecured creditors' meeting. The above-mentioned Scheme, if approved by the unsecured creditors in their meeting, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

Sd/-
Pradip Kumar
Chairperson appointed for the meeting

Date: 20th December 2019
Place: Allahabad

प्रपत्र – 'जी' (संस्करणः तृतीय)
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	प्रिमरोज इन्फ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	03.05.2011
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70101DL2011PTC218515
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	[illegible] जसोला, नई दिल्ली –110025
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता प्रारम्भ की तिथि	04.01.2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	**23.12.2019** (पूर्व में संस्करण-2 10.10.2019), (पूर्व में संस्करण-1 02.09.2019)
8.	[illegible]	[illegible] ... mataassociates@gmail.com पर भेजकर भी प्राप्त किया जा सकता है।
9.	[illegible]	[illegible] ... mataassociates@gmail.com पर भेजकर भी प्राप्त किया जा सकता है।
10.	[illegible]	**08.01.2020** (पूर्व में संस्करण-2 28.10.2019), (पूर्व में संस्करण-1 30.09.2019)
11.	[illegible]	**08.01.2020** (पूर्व में संस्करण-2 30.10.2019), (पूर्व में संस्करण-1 07.10.2019)
12.	[illegible]	**11.01.2020** (पूर्व में संस्करण-2 31.10.2019), (पूर्व में संस्करण-1 14.10.2019)
13.	[illegible]	**13.01.2020** (पूर्व में संस्करण-2 01.11.2019), (पूर्व में संस्करण-1 21.10.2019)
14.	[illegible]	**13.01.2020** (पूर्व में संस्करण-2 02.11.2019), (पूर्व में संस्करण-1 14.10.2019)
15.	[illegible]	[illegible] mataassociates@gmail.com [illegible]
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**26.01.2020** (पूर्व में संस्करण-2 05.11.2019), (पूर्व में संस्करण-1 31.10.2019)
17.	[illegible]	[illegible]
18.	[illegible]	**31.10.2020** (पूर्व में 11.11.2019)
19.	[illegible]	**सीए अनिल माझा** **आईपी पंजीकृत संख्या** IBBI/IPA-001/IP-P00223/2017-18/10422
20.	[illegible]	**माझा एंड एसोसिएट्स,** चार्टर्ड अकाउंटेंट, 308, आरजी ट्रेड टॉवर, प्लॉट नंबर बी -7 नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा दिल्ली –110034 ईमेल- mataassociates@gmail.com
21.	[illegible]	ऊपर की तरह
22.	[illegible]	समाधान प्रोफेशनल **सीए अनिल माझा** के साथ, 308, आरजी ट्रेड टॉवर, प्लॉट नंबर बी -7 नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा दिल्ली –110034
23.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	आईबीबीआई वेबसाइट पर – **23.12.2019** अखबार प्रकाशन में – **23.12.2019**

हस्ता/–
सीए अनिल माझा
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
IBBI/IPA-001/IP-P00223/2017-18/10422

तिथि 23.12.2019
स्थान नई दिल्ली

www.readwhere.com

भारत ने वेस्ट इंडीज को चार विकेट से हरा श्रृंखला जीती

कटक, 22 दिसंबर (भाषा)।

कप्तान विराट कोहली की अगुआई में बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने विषम परिस्थितियों से उबरते हुए तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज को चार विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ने लगातार 10वीं द्विपक्षीय एकदिवसीय श्रृंखला जीती।

वेस्ट इंडीज के 316 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने कोहली (85) के अलावा सलामी बल्लेबाजों लोकेश राहुल (77) और रोहित शर्मा (33) के अर्धशतकों से 48.4 ओवर में छह विकेट पर 316 रन बनाकर जीत दर्ज की। कोहली ने रविंद्र जडेजा (नाबाद 39) के साथ छठे विकेट के लिए 58 रन जोड़े जबकि राहुल और रोहित ने पहले विकेट के लिए 122 रन की साझेदारी की। ठाकुर ने छह गेंद में नाबाद 17 रन की महत्त्वपूर्ण पारी खेली। वेस्ट इंडीज ने निकोलस पूरन (89) और कप्तान कीरोन पोलार्ड (नाबाद 74) के अर्धशतक और दोनों के बीच पांचवें विकेट की 16.2 ओवर में 135 रन की साझेदारी से पांच विकेट पर 315 रन बनाए।

पूरन ने 64 गेंद की अपनी पारी में 10 चौके और तीन छक्के मारे जबकि पोलार्ड ने 51 गेंद का सामना करते हुए सात छक्के और तीन चौके जड़े। शाई होप (42) और रोस्टन चेज (38) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं। लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत को राहुल और रोहित की सलामी जोड़ी ने एक बार फिर शानदार शुरुआत दिलाई।

रोहित ने शेल्डन कोटरेल का पहला ओवर मेडन खेला लेकिन इस तेज गेंदबाज के अगले ओवर में दो चौके मारे। राहुल ने जेसन होल्डर पर चौके से खाता खोला जबकि रोहित ने भी इस तेज गेंदबाज के ओवर में चौका और छक्का जड़ा। राहुल ने कीमो पाल पर चौके के साथ नौवें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया और फिर 16वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। राहुल ने तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ की गेंद पर एक रन के साथ 49 गेंद में अर्धशतक पूरा किया जबकि रोहित ने भी इस तेज गेंदबाज पर एक रन के साथ 52 गेंद में 43वां अर्धशतक पूरा किया। होल्डर ने कप्तान को निराश नहीं करते हुए रोहित को विकेटकीपर होप के हाथों कैच करा दिया। रोहित ने 63 गेंद का सामना करते हुए आठ चौके और एक छक्का जड़ा। राहुल और कप्तान कोहली ने इसके बाद टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचाया। राहुल ने इस बीच जोसेफ पर छक्का जड़ा लेकिन इसी तेज गेंदबाज की गेंद पर विकेटकीपर को कैच दे बैठे। उन्होंने 89 गेंद की अपनी पारी में आठ चौके और एक छक्का मारा।

श्रेयस अय्यर भी सात रन बनाने के बाद कीमो पाल (59 रन पर तीन विकेट) की गेंद पर जोसेफ को कैच दे बैठे जबकि ऋषभ पंत (07) इस तेज गेंदबाज की गेंद को विकेटों पर खेल गए जिससे भारत का स्कोर एक विकेट पर 167 रन से चार विकेट पर 201 रन हो गया। कोटरेल ने केदार जाधव (09) को बोल्ड करके भारत की परेशानी बढ़ाई। भारत को अंतिम पांच ओवर में 38 रन की जरूरत थी। कोहली इसके बाद कीमो पाल की गेंद को विकेटों पर खेल गए। उन्होंने 81 गेंद का सामना करते हुए नौ चौके मारे।

शारदुल ने कीमो पाल पर चौके और फिर कोटरेल की लगातार गेंद पर छक्के और चौके के साथ भारत का पलड़ा भारी किया।

रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर

पाक श्रृंखला जीतने से तीन विकेट दूर

कराची, 22 दिसंबर (एएफपी)।

श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज ओशादा फर्नांडो के पहले शतक ने पाकिस्तान का रविवार को दूसरे और अंतिम टैस्ट क्रिकेट मैच में जीत का इंतजार बढ़ा दिया जिसके लिए उसे अब केवल तीन विकेट की दरकार है।

पाकिस्तान ने श्रीलंका को जीत के लिये 476 रन का लक्ष्य दिया और श्रीलंका ने इसके जवाब में 97 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे। लेकिन इसके बाद ओशादा और निरोशन डिकवेला ने छठे विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी निभाई।

दिन के अंतिम तीन ओवर में डिकवेला स्पिनर हारिस सोहेल की गेंद को रिवर्स स्वीप करने के प्रयास में 65 रन पर आउट हो गए और दिलरूवान परेरा पांच रन के स्कोर पर नसीम शाह की गेंद पर विकेट के पीछे कैच देकर आउट हुए। नसीम ने 31 रन देकर तीन विकेट चटकाए। स्टंप तक श्रीलंका ने सात विकेट पर 212 रन बना लिए थे। ओशादा 102 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे और उन्हें जीत के लिए 264 रन चाहिए जो असंभव है।

पाकिस्तान को श्रृंखला जीतने के लिए सोमवार को केवल तीन विकेट चाहिए जो श्रीलंकाई टीम पर 2009 में हुए हमले के बाद घरेलू मैदान पर पहली सीरीज है। रावलपिंडी में पहला टैस्ट मैच खराब मौसम से प्रभावित रहा था और अनिर्णीत समाप्त हुआ था।

कप्तान अजहर अली और बाबर आजम के शतकों की मदद से पाकिस्तान ने श्रीलंका के सामने जीत के लिये 476 रन का विशाल लक्ष्य रखा।

मेस्सी के कमाल से बार्सीलोना की बड़ी जीत

मैड्रिड, 22 दिसंबर (एएफपी)।

लियोनल मेस्सी के शानदार प्रदर्शन से बार्सीलोना ने अलवेस को 4-1 से करारी शिकस्त दी। साथ ही क्रिसमस की छुट्टियों से पहले ला लिगा फुटबॉल टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान सुरक्षित किया। रीयाल मैड्रिड अगर अपने अगले मैच में एटलेटिको बिलबाओ को हरा देता है तो उसके भी बार्सीलोना के बराबर 39 अंक हो जाएंगे लेकिन गोल अंतर में वह पीछे रहेगा।

सेविले ने रीयाल मालोरका पर 2-0 की जीत से 34 अंकों के साथ अपना तीसरा स्थान सुरक्षित किया। शनिवार को खेले गए मैच में फ्रांस के विश्व कप विजेता एंटोनी ग्रीजमान ने 14वें मिनट में मेस्सी की मदद से गोल किया। चिली के फॉरवर्ड अर्तुरो विडाल ने 45वें मिनट में दूसरा गोल करके बार्सीलोना को 2-0 से आगे रखा।

पियरे पोंस ने 56वें मिनट में अलवेस की तरफ से गोल दागा। मेस्सी ने इसके बाद 69वें मिनट में चार रक्षकों को छकाकर खूबसूरत गोल किया जबकि लुई सुआरेज ने 75वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदला।

गांगुली-तेंदुलकर के सामने थी कड़ी चुनौती : चैपल

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

उच्च स्तर के तेज गेंदबाजों का सामना करने में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की जोड़ी का कोई सानी नहीं है। यह कहना है पूर्व आस्ट्रेलियाई कप्तान इयान चैपल का। उन्होंने कहा कि तेंदुलकर और गांगुली की जोड़ी के सामने चुनौती अधिक कड़ी थी।

चैपल ने 'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' में अपने कालम में लिखा, 'यह तर्क दिया जा सकता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भारत के सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय बल्लेबाज हैं। उन्हें चुनौती देने वालों में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की जोड़ी होगी जिन्होंने 15 वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों को परेशानी में रखा।'

कोहली-रोहित की तुलना में इस जोड़ी ने बेहतर गेंदबाजों का सामना किया

चैपल ने इसके बाद उदाहरण देकर समझाया है कि गांगुली-तेंदुलकर के समय में कैसे प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय टीम के पास दो अच्छे तेज गेंदबाज थे।

उन्होंने लिखा, 'उन्होंने (तेंदुलकर-गांगुली) अपना अधिकतर समय सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजी जोड़ियों के सामने पारी का आगाज करते हुए बिताया। पाकिस्तान के वसीम अकरम और वकार यूनिस, वेस्ट इंडीज के कर्टली एंब्रोस और कर्टनी वाल्श, आस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा और ब्रेट ली, दक्षिण अफ्रीका के एलन डोनाल्ड ओर शॉन पोलाक, श्रीलंका के लसिथ मलिंगा और चमिंडा वास का सामना करते हुए किसी भी बल्लेबाज के कौशल की असली परीक्षा होती है।'

चैपल ने इस संदर्भ में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज इमरान खान के कथन का सहारा लिया है जिन्होंने कहा था, 'आप किसी व्यक्ति की पहचान उसके प्रतिद्वंद्वी को देखकर करते हैं।' चैपल ने कहा कि विपक्ष की मजबूती को देखते हुए आपको तेंदुलकर और गांगुली का पलड़ा भारी रखना होगा। हालांकि अगर आप वर्तमान आंकड़ों पर गौर करें और कोहली को भी तेंदुलकर के समान और शर्मा को गांगुली के समान पारियां दो तो फिर वर्तमान जोड़ी का पलड़ा भारी हो जाता है।

इस पूर्व आस्ट्रेलियाई कप्तान ने हालांकि माना कि कोहली और शर्मा सफेद गेंद की सर्वश्रेष्ठ जोड़ी हैं।

उन्होंने कहा कि उनका वनडे और टी-20 का संयुक्त रेकार्ड बेहतरीन है। कोहली ने दोनों प्रारूप में 50 से अधिक के औसत से रन बनाए हैं। तेंदुलकर ने बहुत कम टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेले हैं और जब तक यह प्रारूप लोकप्रिय होता तब तक गांगुली का करिअर खत्म हो चुका था।

इलाहाबाद बैंक विश्वास की परंपरा (A Govt. of India Undertaking) **ALLAHABAD BANK** A tradition of trust

(प्रधान कार्यालय, 2नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001) 5-आर-4, गोविन्द भवन, एनआईटी, फरीदाबाद

बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के सं. 54) के अंतर्गत बैंक के पास गिरवी अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये मुहरबंद निविदाओं के आमंत्रण द्वारा (निजी संधि द्वारा स्विश चैलेंज पद्धत्ति द्वारा) ##

संदर्भः एएलबी/एनआईटी एफबीडी/सरफैसी/2019-20/403 तिथिः 21.12.2019

जैसा कि, मै. स्तुति मेटल्स प्रा.लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशकों श्रीमती लीना सेठी, पत्नी श्री प्रदीप सेठी तथा श्री प्रदीप सेठी, पुत्र अत्तर चन्द सेठी ने इलाहाबाद बैंक, एनआईटी फरीदाबाद शाखा, फरीदाबाद से धन उधार लिया है।

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत सूचना जारी किया है तथा उसके बाद चार्ज्ड/गिरवी सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है तथा स्थान एनआईटी फरीदाबाद शाखा (पताः 5-आर-4, गोविन्द भवन, एनआईटी फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, फोनः 0129-2413554, 2412942, 09795072452) में 9 जनवरी, 2020 को 12.00 बजे (दोपहर) में निजी संधि के अंतर्गत स्विश चैलेंज पद्धत्ति के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 तथा अन्य नियमों के अंतर्गत ''जैसा है जहाँ है आधार तथा जो भी वहाँ है आधार'' पर यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करने का फैसला किया है।

क्रम सं.	खाता/प्रॉप्राईटर/गारन्टरों का नाम (क) पता एवं पिन कोड के साथ ऋणधारक, खाता का नाम (ख) पता सहित मार्टगैजर का नाम (ग) पता सहित गारन्टर का नाम (घ) बैंक शाखा का नाम जहाँ खाता प्रबंधित है	बिक्री के लिये रखी गई चार्ज्ड परिसम्पत्तियों का विवरण (क) डीड धारक का नाम (ख) बिकी के अंतर्गत पता (ग) बिक्री के अधीन चार्ज्ड प्रतिभूति का विवरण, क्षेत्रफल माप एवं सीमाऐं	(क) बैंक की विशिष्ट बकाया जिसमें इस (तिथि) तक गणना की गई ब्याज एवं अन्य चार्जेज शामिल हैं, (ख) सरफैसी एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि (ग) सरफैसी एक्ट की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि	आरक्षित मूल्य एवं ईएमडी	प्रतिभूत क्रेडीटर की जानकारी में अधिभारों का विवरण (क) स्थानीय स्व शासन की बकाया देयता (यदि बैंक की जानकारी में हो) (ए1) सम्पत्ति कर-(ए-2) बिजली बिल, (ए-3) पानी सीवरेज कर/चार्जेज (घ) स्थानीय स्व शासन की देयताओं के अतिरिक्त बैंक की जानकारी में अन्य कोई अधिभार	ऐसा अन्य कोई विषय जिसे प्राधिकृत अधिकारी किसी क्रेता की जानकारी के लिये उपयुक्त समझते हैं ताकि वे नीलामी के अंतर्गत रखी गई सम्पत्ति/चार्ज्ड परिसम्पत्तियों की प्रकृति एवं मूल्य का फैसला कर सकें
1.	(क) एवं (ख) मै. स्तुति मेटल्स प्रा.लि., प्लॉट नं. 6, इंडस्ट्रियल एरिया एनआईटी फरीदाबाद 121001 (ऋणधारक एवं मार्टगैजर) द्वारा निदेशकों श्री प्रदीप सेठी एवं श्रीमती लीना सेठी (ग) 1. श्री प्रदीप सेठी, मकान सं. 758, सेक्टर-14, फरीदाबाद 2. श्रीमती लीना सेठी, मकान सं. 758, सेक्टर-14, फरीदाबाद (गारन्टर) (घ) एनआईटी फरीदाबाद, फरीदाबाद	मै. स्तुति मेटल्स प्रा.लि. के नाम में प्लॉट नं. 6, इंडस्ट्रियल एरिया, एनआईटी, फरीदाबाद-121001, माप 478.50 वर्ग यार्ड्स में संरचना के साथ सम्पूर्ण सम्पत्ति जो बैंक के पास इक्विटैबल रूप से गिरवी है।	(क) 2.3.2018 को रु. 2,12,40,564.00 (रुपये दो करोड़ बारह लाख चालिस हजार पाँच सौ चौसठ मात्र)+ बैंक के बकाये की वूसली तक ब्याज एवं अन्य खर्चे (ख) 3.3.2018 (मांग सूचना तिथि) (ग) 19.5.2018 (धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा लेने की तिथि	आरक्षित मूल्यः रु. 117.54 लाख (रुपये एक सौ सत्तरह लाख चौवन हजार मात्र) धरोहर राशि भुगतान मुहरबंद निविदा में कोट की गई राशि के 25% के बराबर	(ए 1) बैंक को ज्ञात नहीं (ए 2) बैंक को ज्ञात नहीं (ए 3) बैंक को ज्ञात नहीं	

मुहर बंद निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 8 जनवरी, 2020 के 5 बजे अप. तक — मुहर बंद निविदा खुलने की तिथि एवं समयः 9 जनवरी, 2020 के 12.00 (दोपहर)

मुहर बंद निविदा जमा करने एवं खुलने का स्थान/जगहः इलाहाबाद बैंक, एनआईटी फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद, हरियाणा-121001, फोनः 0129-2413554

नियम एवं शर्तें

यह नीलामी किसी संभावित क्रेता, यहां के बाद ''एंकर बोलीदाता'' वर्णित से हाथ में विद्यमान प्रस्ताव तथा उक्त प्रस्ताव जो रु. 117.54 लाख की आरक्षित मूल्य का आधार है, यहां के बाद ''एंकर बोली'' के आधार पर ''निजी संधि के अंतर्गत स्विश चैलैंज पद्धति'' के अंतर्गत होगा। ''एंकर बोलीदाता'' को मुहरबंद निविदा के अंतर्गत प्राप्त उच्चतम बोली का मिलान करने का अधिकार होगा।

1. इच्छुक पार्टी प्राधिकृत अधिकारी, इलाहाबाद बैंक के पक्ष में देय फरीदाबाद में भुगतान होने योग्य बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट/आईओआई द्वारा मुहरबंद लिफाफे में कोट की गई राशि के 25% के बराबर की धरोहर राशि भुगतान के साथ ''फरीदाबाद शाखा, खाता मैं. स्तुति मेटल्स प्रा. लि. में परिसम्पत्तियों के लिये प्रस्ताव के रूप में ऊपर शीर्षांकित मुहरबंद लिफाफे में उक्त सम्पत्तियों की खरीद के लिये मुहरबंद निविदा भेज/जमा कर सकते हैं। यदि बोली सफल नहीं होती है तो धरोहर राशि प्रतिदेय होगी। प्रस्ताव ऊपर वर्णित पते पर 8 जनवरी, 2020 तक अधितकतम हमारे पास पहुंच जाना चाहिये।
2. प्राप्त की गई मुहरबंद निविदाओं को ऊपर वर्णित तिथि, समय तथा स्थान पर खोला जायेगा।
3. यदि कोई मुहरबंद बोली प्राप्त नहीं होती है अथवा यहां ऊपर वर्णित आरक्षित मूल्य के बराबर मुहरबंद बोली/ ''एंकर बोली'' प्राप्त होती है, तो प्राधिकृत अधिकारी को ''एंकर बिड'' को एच 1 बोली दाता घोषित करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति जहां एंकर बोलीदाता को एच 1 बोलीदाता घोषित किया जाता है, उन्हें 3 दिनों के भीतर आरक्षित मूल्य के शेष 75% राशि का भुगतान करना होगा। अन्य बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी वापस लौटा दी जायेगी।
4. यदि इस चरण में 'एंकर बोलीदाता' वापस लेते हैं तथा एच 1 बोलीदाता के रूप में घोषित किये जाने के बावजूद भुगतान नहीं करते हैं, उनके द्वारा जमा की गई ईएमडी जब्त कर ली जायेगी
5. यदि आरक्षित मूल्य से अधिक की मुहरबंद बोली प्राप्त होती है तो ''एंकर बोलीदाता'' को बढ़ी हुई बोली की सूचना दी जायेगी तथा उन्हें शेष राशि के अपफ्रान्ट भुगतान की सूचना की तिथि से 3 दिनों के भीतर बोली को मैच करने का अधिकार होगा।
6. एक बार जब ''एंकर बोलीदाता'' कोट का मिलान कर लेते हैं तथा भुगतान कर देते हैं तो उच्चतम बोलीदाता की ईएमडी तत्काल लौटा दी जायेगी।
7. यदि ''एंकर बोलीदाता'' बढ़ी हुई बोली का मिलान कर अपना प्रस्ताव बढ़ाने के इच्छुक नहीं होते हैं तो उच्चतम प्रस्ताव करने वाले संभावित क्रेता को एच 1 बोलीदाता घोषित किया जोयगा तथा शाखा में सूचना के 15 दिनों के भीतर अपनी मुहरबंद निविदा में बढ़ाई गई शेष 75% राशि का भुगतान करना होगा वह भुगतान नगदी अथवा प्राधिकृत अधिकारी, इलाहाबाद बैंक के पक्ष में देय बैंकर्स चेक/डीडी में किया जायेगा।
8. यदि सफल बोलीदाता ऊपर निर्धारित अवधि में शेष 75% राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो बोलीदाता द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण राशि बिना किसी सूचना के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
9. सफल बोलीदाता को कॉन्वीयन्स के लिये देय चार्जेज/शुल्कों जैसे स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि एवं कानून के अनुसार लागू करों का वहन करना होगा।
10. बिक्री के अधीन सम्पत्ति से संबंधित किसी चार्ज, लिएन, अधिभार, सम्पत्ति का अथवा सरकार या अन्य किसी व्यक्ति के किसी अन्य बकाये/करों के लिये प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे
11. प्राधिकृत अधिकारी को इंटर-से बिडिंग कराने का अधिकार होगा।
12. प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने या बिक्री की स्थगित/निलम्बित करने का अधिकार है।
13. यह बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
14. सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलीदाता इलाहाबाद बैंक, एनआईटी फरीदाबाद (शाखाः गोविन्द भवन, एनआईटी फरीदाबाद शाखा, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, फोन 0129-241292) से 23.12.2019 से 6.1.2020 तक कार्यावधि के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।

एतद्द्वारा ऋणधारक (कों)/गारन्टर(रों) को सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बिक्री सूचना के विषय में सूचित किया जाता है।

टिप्पणीः यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 (1) के साथ पठित नियम 8 (5) तथा (6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत उक्त ऋणों के ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगैजरों के लिये सूचना है। एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बिक्री के लिये निर्धारित तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ आपसे वसूल की जायेगी। कृपया ध्यान रहे कि मांग सूचना, कब्जा लेने, मूल्यांकन, बिक्री आदि से संबंधित सभी खर्चे को सर्वप्रथम बिक्री राशि से कटौती की जायेगी जिसकी वसूली प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा शेष बिक्री राशि उपरोक्त रूप में आपकी देयता में समायोजित की जायेगी।

तिथिः 21.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी

स्थानः फरीदाबाद — इलाहाबाद बैंक

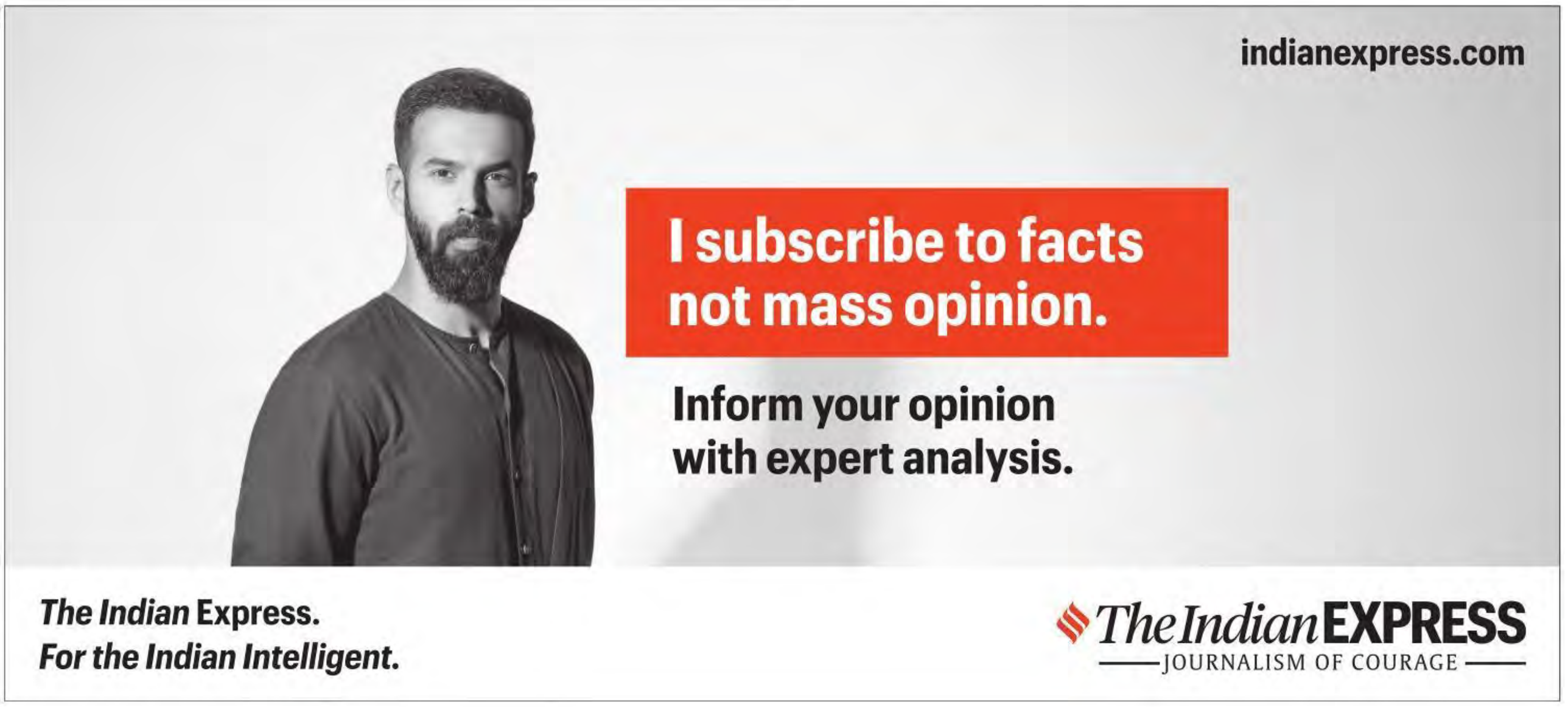

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 36, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com